# राजस्थान विधान सभा

## ८९वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–३ नवम्बर, सन् १९५४ ई०

**विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४–११ बजे प्रारम्भ हुई ।**

( श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन )

### तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ।

प्रश्न संख्या २०६१

**गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में डिग्गियों और वृक्षों को पानी लगाने पर तावान**

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए बनाई गई डिग्गियों और आबादी के अन्दर लगाये जा रहे वृक्षों को नहर का पानी लगाने पर तावान क्यों लगाया जाता है ?

(ख) क्या सरकार नहरी क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधायें देने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो सरकार ऐसी पाबन्दी कब तक दूर कर देगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) श्री गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए बनाई गई स्वीकृत डिग्गियों में पानी लेने पर कोई तावान नहीं लगाया जा रहा है । आबादी तथा खाले के किनारे वृक्ष लगाने के लिये सांझी बारी से पानी लगाया जाता है, और अपने खेत में लगाये हुए वृक्षों को कृषक अपनी निजी बारी से पानी लगाते हैं । इन दोनों दशाओं में कोई तावान नहीं लगाया जा रहा है ।

(ख) नहरी क्षेत्र में पानी पीने की सुविधायें पहले से ही पूर्णतया प्राप्त हैं और पीने के पानी लेने पर पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है ।

# Page No.2



श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सत्य है कि नहरों में जो पानी खास मुरब्बे के लिये दिया जाता है वह दूसरी जगह आबादी में नहीं लिया जा सकता है ?

महकमा नहर का यह कानून है कि जिस मुरब्बे के लिये पानी दिया जाता है उसके बाद दूसरी जमीन पर पानी नहीं लिया जा सकता। ऐसी हालत में कोई एक्स्ट्रा सप्लाई की जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने यह प्रश्न नहीं किया है। आपका प्रश्न बिल्कुल दूसरा ही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरा प्रश्न यह है कि पीने के पानी के लिये आउट लेट में कोईएक्स्ट्रा सप्लाई दी जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न दूसरा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं यह पूछना चाहता हूं कि पीने का पानी दिया जाता है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने पूछा कि तावान लिया जाता है या नहीं, उसका उत्तर मैंने दे दिया।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—जब पानी पीने के लिये नहीं दिया जाता है तो फिर तावान किस प्रकार का ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह बिलकुल गलत है। पानी पीने के लिये दिया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में है कि तावान लिया जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ऐसी सूचना देगी की कहां ऐसा तावान लिया जाता है और कहां नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं जवाब दे चुका हूं कि तावान नही लिया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या इसका अर्थ यह समझा जावे कि तावान नहीं लगता ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया है कि तावान नही लगता।

श्री टीकाराम पालीवाल—( अश्रव्य )

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

## प्रश्न संख्या २०६२

## सरकार द्वारा राजस्थान एकाउन्ट्स क्लर्क परीक्षा आयोजन

श्री जवानसिंह—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व राजस्थान एकाउन्टस क्लर्क परीक्षा आयोजित की थी, अगर हां, तो उसमें कितने उम्मीदवार सफल घोषित हुये ?

(ख) उपरोक्त सफल व्यक्तियों को आर्थिक लाभ तनख्वाह में किस प्रकार हुआ ?

# Page No.3



[ श्री जवानसिंह ]

(ग) क्या एक एल. डी. सी. भी इस परीक्षा में सफल होने के बाद यू. डी. सी. की ग्रेड में मान लिया गया है ?

(घ) क्या रिहेबिलिटेशन व सिविल सप्लाई महकमों में काम करने वाले उपरोक्त सफल एकाउन्टस क्लर्कों को भी नई ग्रेड व आर्थिक लाभ दिया गया है अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) इन सफल क्लर्कों को और महकमों के माफिक सिविल सप्लाईज़ में सब्सटेन्टिवली क्यों नहीं नियुक्त किया गया है ?

**श्री टीकाराम पालीवाल** (वित मन्त्री)—(क) हां, इस परीक्षा में ४३० परीक्षार्थी सफल घोषित हुये हैं।

(ख) सफल व्यक्तियों को इस प्रकार आर्थिक लाभ हुआ है:—

१. उन सब को परीक्षा फल घोषित होने की तारीख से वेतन में एक अग्रिम बृद्धि दी गई।

२. इन में से जो जो अपर डिवीजन कर्मचारी स्वीकृत एकाउन्टस क्लर्क के पद पर नियुक्त किये गये उनको उनके नियुक्त किये जाने की तारीख से दस रुपये माहवार स्पेशल वेतन मिला है जो ऊपर बताई हुई अग्रिम बृद्धि के अतिरिक्त है।

३. जो सफल कर्मचारी लोअर डिवीजन के पद पर थे और जिनकी नियुक्ति स्वीकृत एकाउन्टस क्लर्क के पद पर हुई उनको इस नियुक्ति होने की तारीख से तरक्की दी जा कर ऊपर डिविज़न कर्मचारी की श्रेणी में लिया गया। और उन्हें भी १०, माहवार स्पेशल वेतन दिया गया।

(ग) इसका उत्तर प्रश्न ख के भाग ३ में आ जाता है।

(घ) १. हां, रिहेब्लिटेशन और सिविल सप्लाई के विभागों में सफल एकाउन्ट्स कर्मचारियों को अग्रिम बृद्धि का लाभ दिया गया है।

२. आर्थिक लाभ के विषय में यह उत्तर है कि रिहेब्लीलोटेशन विभाग में जहां एका—उन्ट्स क्लर्क पद का स्वीकृत हुआ है वहां एकाउन्ट्स क्लर्क को उपरोक्त ग्रेड प्रश्न (ख) के पद २ व ३ के अनुसार मिला है। सिविल सप्लाई विभाग में एकाउन्ट्स क्लर्क का कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः उन्हें प्रश्न (ख) के पद (२) व (३) के अनुसार ग्रेड देने का सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) इस प्रश्न का उत्तर (घ) के आईटम (२) में दे दिया गया है।

श्री जवानसिंह्—इस प्रश्न ३ के उत्तर में यह साफ नहीं दिया गया कि क्या इस परीक्षा के पास होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क को ऑटोमेटीकली यह पद दे दिया जावेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऑटोमेटीकली नहीं। जहां स्वीकृत एकाउन्ट क्लर्क हैं वहां।

श्री जवानसिंह्—जो लोअर डिवीजन क्लर्क अपर डिवीजन की जगह ले लिया गया है उसको १२। सीनियोरिटी के अनुसार स्वीकृत जगह पर रखा गया है?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सका।

श्री जवानसिंह्—जहां लोअर डिवीजन क्लर्क जो अपर डिवीजन क्लर्क की जगह रखे गये हैं उससे यह माना जावे कि ऑटोमेटिकली अपर डिवीजन क्लर्कों की जगह नहीं लिए गये, वे सीनियोरिटी के आधार पर रखे गये?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऑटोमेटिकली नहीं। इसमें सीनियोरिटी का कन्सीडरेशन रहा होगा। मगर जिस पोस्ट पर काम करने का उनको अवसर दिया उसका उनको ग्रेड मिल गया।

श्री जवानसिंह्—जो सफल रहे उनमें से जो स्वीकृत जगहों पर रखे गये उसका आधार क्या था?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनकी सफलता, सीनियोरिटी और योग्यता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २०६३**

**राजस्थान की सीमेन्ट-फेक्टरीज़ में बनी सीमेंट-पर कन्ट्रोल**

श्री चाँदमल मेह्ता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान की सीमेंट फेक्टरीज़ में जो सीमेंट बनती है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा कन्ट्रोल से मुक्त है?

(ख) क्या यह सही है कि सीमेंट का अलाटमेंट जिस तरह सरकार करती है उस माफिक सीमेंट फेक्टरीज़ द्वारा सप्लाई की जाती है?

(ग) क्या यह राजस्थान के बाहर सीमेंट भेजी जाने पर प्रतिबन्ध है?

[ श्री चांदमल मेहता ]

(घ)सीमेन्ट फेक्टरीज़ कितना प्रतिशत माल बिना सरकार के अलॉटमेंट के बेच सकती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या ( रसद मंत्री )— (क). सीमेन्ट फेक्ट्री में सीमेन्ट का जो उत्पादन होता है उसका वितरण केन्द्रीय सरकार से संबन्धित है। इस हेतु इस कार्यालय में इस संबन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सीमेन्ट का एलोटमेंट सरकार द्वारा किया जाता है, उसी माफिक सीमेन्ट फेक्ट्रीज़ द्वारा सीमेन्ट सप्लाई किया जाता है।

(ख) सीमेंट का एलोटमेंट सरकार द्वारा किया जाता है उसी माफिक सीमेंट फेक्ट्रीज़ द्वारा सीमेंट सप्लाई किया जाता किया जाता है।

(ग) इस समय कोई सीमेंट नियंत्रण आज्ञा लागू नहीं है।

(घ) इस समय सीमेंट का जितना उत्पादन होता है वह समस्त केन्द्रीय सरकार द्वारा संबन्धित क्षेत्रों के लिए एलॉट कर दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान की फेक्ट्रीज़ का बना हुआ माल राजस्थान के बाहर एलोट किया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, किया जाता है जरूर।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान का प्रोड्यूस राजस्थान के लिए पर्याप्त नहीं होते हुए भी बाहर क्यों एलोट किया जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले ही बतला दिया और बता चुका हूं कि इस पर भारत सरकार का नियंत्रण है और जो हिस्से सीमेंट फेक्ट्रीज़ के पास होते हैं उनको वहां से सीमेंट दे दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

### प्रश्न संख्या २०९४

### किशनगढ़ में शरणार्थी परिवार बसाना

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनःस्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[ श्री चांदमल मेहता ]

(क) किशनगढ़ में कितने शरणार्थी परिवार आबाद किये गए ?

(ख) क्या यह सही है कि जितने परिवार आबाद किये गये उनमें से आधे से अधिक किशनगढ़ छोड़ कर बाहर चले गये हैं ?

(ग) कितने व्यक्तियों को किशनगढ़ में लोन दिया गया और उनमें से अभी किशनगढ़ में कितने मौजूद हैं ?

(घ) जिन व्यक्तियों को लोन दिया गया है उनकी अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी है ?

(ङ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको ५००) रु० से कम लोन दिया गया है और वे किशनगढ़ छोड कर बाहर चले गये हैं ?

(च) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें लोन नहीं मिलने की वजह से किशनगढ़ छोड़ कर बाहर जाना पड़ा ?

(छ) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके लोन के मामले दो वर्ष से अधिक पेडिंग रख कर अस्वीकृत कर दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव ( पुनः संस्थापन मन्त्री )—(क) ८०१ ।

(ख) शरणार्थी परिवार छोड़ कर जाने की कोई सूचना नहीं देते । अतः इसका पूरा रेकर्ड इस विभाग में नहीं है ।

(ग) ३६० को और उनमें से २६० किशनगढ़ में मौजूद हैं ।

(घ) अधिकतम रु० २२०० रु० और न्यूनतम संख्या १०० रु० ।

(ङ) १३४ । उनमें से केवल ३४ परिवार बाहर चले गये हैं ।

(च) कोई नहीं ।

(छ) कोई नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—इतने अधिक तादाद में शरणार्थी परिवारों के बाहर जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री चांदमल मेहता—कारण नहीं बताया आपने किसी में भी ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपको 'ख' के उत्तर में सूचना दी है कि शरणार्थी परिवार छोड़ कर जाने की सूचना नहीं देते।

श्री वेदपाल त्यागी—उनके छोड़ कर जाने के क्या कारण हैं?

श्री अमृतलाल यादव—जब सूचना ही नहीं देते तो कारण का मतलब क्या ?

श्री वेदपाल त्यागी—जब पांच सौ से ऊपर परिवार छोड़ कर क्यों चले गये हैं तो क्या सरकार को इन्क्वायरी नहीं करानी चाहिए थी कि वे छोड़ कर क्यों चले गये ?

श्री अध्यक्ष—वे अकारण ही चले जाते हैं।

श्री अमृतलाल यादव—कुल ८०० परिवार हैं। जो लोग सरकार से लोन लेते हैं उनका रिकार्ड सरकार के पास रहता है। १३४ ने लोन लिया है और उनमें से ३४ गये हैं। वे अपने काम धन्धों के लिए जाते हैं। इत्तला नहीं देते हैं।

श्री चांदमल मेहता—लोन इतनी कम तादाद में दिया जाता है जिसकी वजह से वहां कोई कारोबार नहीं चलता है और यही कारण है कि उनको बाहर जाना पड़ा क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सवाल यहां नहीं है। आपका आगे एक और सवाल है उसके उत्तर से आपको स्पष्ट हो जायगा कि कितना लोन दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—यहां जो न्यूनतम लोन बताया गया है, तो क्या उससे कोई कारोबार चल सकता है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, न्यूनतम सौ रुपया बताया गया है, उससे ऐसे कार्य वे कर सकते हैं, जैसे सब्जी बेचना, खोमचे वगैरा रखना आदि।

श्री चांदमल मेहता—ऊंचा कारोबार करने वालों के लिए भी क्या सरकार की यह नीति थी कि वे लोग सब्जी बेचने का कार्य करें और उनको सौ रुपया लोन दिया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव – मैंने आपको निवेदन किया कि यह सवाल आप अगले अपने प्रश्न में पूछें जिसमें कि विस्तार से सूचना है, ताकि उससे आपको संतोष हो जायगा ।

श्री चांदमल मेहता – वह तो दूसरी बात है । मैं इस प्रश्न में यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इतनी कम तादाद में लोन दिया है कि जिसकी वजह से वे कारोबार नहीं कर सकते और इस वजह से सरकार का रुपया भी बरबाद ही हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव – मैंने आपको निवेदन किया कि यह भारत सरकार के नियमों और बताये हुए कायदों के अनुसार ही दिया जाता है । अलग अलग क्लासिफिकेशन करके उनके अन्तर्गत उनको लोन दिया गया है ।

श्र चांदमल मेहता – ऐसे कितने परिवार हैं कि जिनको कहा गया कि दुकानों के ऊपर लोन दिया जायगा और बाद में अस्वीकार कर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव – यह एक अलग सा सवाल है और अलग से प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री चांदमल मेहता – कितने परिवारों को लोन देने की अस्वीकृति सरकार की ओर से दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव – क्या बताया आपने ?

श्री चांदमल मेहता – कितने व्यक्तियों को लोन देना अस्वीकार किया ?

श्री अमृतलाल यादव—जो नियमों में आते थे उन्हें अस्वीकार नहीं किया गया, और नियमों में नहीं आते थे उनको अस्वीकार किया गया ।

श्री चांदमल मेहता – वे क्या नियम हैं ?

श्री अमृतलाल यादव – आपने आगे प्रश्न पूछा है उसमें इस सम्बन्ध में अर्ज करूंगा ।

श्री चांदमल मेहता – आगे नहीं पूछा है । आगे तो चालू वर्ष के लिए पूछा है ।

श्री अमृतलाल यादव – आपने इस सम्बन्ध में पूछा है ।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक जो लोन दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है ? एक तरफ आपने सौ रूपया दिया है और दूसरी तरफ दो हजार, तो ये आखिर किस आधार पर है ?

# Page No.9



श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपको अर्ज किया कि इस सम्बन्ध में अलग अलग केटेगरीज़ हैं जो कि अगले सवाल के सम्बन्ध में आने वाली हैं।

श्री चांदमल मेहता—केटेगरीज़ तो नये वर्ष के लिए है, चालू वर्ष के लिए नहीं है। किन्तु मैं निवेदन करूं कि अब तक किस आधार पर दिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह उसमें आता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर दिया नहीं गया है, माननीय अध्यक्ष।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लीजिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या लोन लेने के सम्बन्ध में हर वर्ष नीति में कोई चेन्ज होता है ?

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि जब प्रश्न इस वक्त पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर भी यहीं मिलना चाहिए। यह क्यों कह कर टाला जा रहा है कि अगले प्रश्न में उसका उत्तर मिल जायगा। वह पढ़ कर बताया जा सकता है।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यदि आप इजाजत दें तो अगले प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगला प्रश्न कौनसा है ?

श्री चांदमल मेहता—दूसरा तो लास्ट है जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष—इसका और लास्ट दोनों के प्रश्न पूछ लीजियेगा। आपके सप्लीमेन्टरी का जवाब दे रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानता हूं कि जो लोन बताया गया है अधिकतम और न्यूनतम और जिसके बारे में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं और वह उसके आधार पर ही दिया जाता है, तो वह कौनसा आधार है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य को खास तौर पर इस सम्बन्ध में प्रतिलिपि भेज दी गई है क्योंकि यह सूची विस्तृत है और उस पर भी वे पूछ रहे हैं। इसको मैंने सदन की टेबल पर भी रख दिया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—क्या वह लम्बी है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—मैं निवेदन कर दूं कि वह प्रश्न तो चालू वर्ष के सम्बन्ध में है और जिसमें पूछा गया है कि किन श्रेणियों के आधार पर वह दिया गया है। वह मैं चालू वर्ष के सम्बन्ध में पूछूंगा। किन्तु मैं तो यह पूछ रहा हूं कि न्यूनतम और अधिकतम की जो सौ रुपया तक देने की बात है और जो शाक शब्जी के लिए पर्याप्त है। तो आखिर केन्द्रीय सरकार के क्या नियम थे कि जिनके अनुसार सौ रुपया तक ही लोन दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—उनके प्रश्न संख्या १०७ के 'ड' में यह पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने लोन किस आधार पर दिया है ?

['कौनसा प्रश्न' इस प्रकार की आवाज]

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २१०२।

श्री अमृतलाल यादव—यह आधार उन्होंने पूछा है। इस आधार के लिए मैंने 'ड में जवाब दिया है कि जिन श्रेणियों के पुरुषार्थियों को कर्जा शहरी और देहाती दिया गया था तथा भविष्य में भी इस ही प्रकार दिया जावेगा उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उसकी एक प्रति आपको भी दी गई है।

(सूची अनुपलब्ध)

१. नई बस्तियों के निवासी ···

श्री अध्यक्ष—सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव—वह मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था।

श्री अध्यक्ष—नेकस्ट क्वेश्चन। श्री चान्दमल मेहता।

प्रश्न संख्या २०६५

**किशनगढ़ सब-डिविजन में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी पेड़ बेच देना**

श्री चांदमल मेहता—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[ श्री चांदमल मेहता ]

( क ) क्या किशनगढ़ सब डिवीज़न में सिंचाई विभाग के कितने ही कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी पेड़ बेचकर खजाने में रुपये जमा नहीं कराने की शिकायतों के कागजात चल रहे हैं ?

( ख ) यदि हां, तो उक्त कागज़ात किस किस के -खिला.फ हैं और कितने अर्से से जेर तफ़तीश है ?

श्री टीकाराम पालीवाल ( सिंचाई मन्त्री )—( क ) छः कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी पेड़ों को बेचकर सरकारी खज़ाने में रुपये जमा नहीं कराने के कागजात चले थे। उनके नाम ये हैं :

| | | |
|---|---|---|
| १. श्री बजरंगलाल | मुआफिज | ६ महीने से। |
| २. श्री श्यामलाल | ,, | ,, |
| ३. श्री गोवर्धनलाल | ,, | ,, |
| ४. श्री कन्हैयालाल | ,, | ,, |
| ५. श्री इमदाद अली | ,, | २ वर्ष से। |
| ६. श्री छीतरदास | मेट | ,, |

( ख ) दो कर्मचारी हैं जिन्होंने अनाधिकार पेड़ बेचे।

एप्रेल, सन् १६५४।

श्री चांदमल मेहता—इतने अर्से से कागजात जेर तजवीज़ रखने के क्या कारण हैं ? छः महीने, नौ महीने, उन पर कोई फैसला नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कागजात की तकमील पूरी नहीं हो सकी थी।

श्री चांदमल मेहता—जांच कौन अधिकारी कर रहे थे, साहब, कि जो दो साल तक भी तकमील नहीं करा सके ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अधिकारी का नाम तो मेरे पास नहीं है। हां, कॉम्पीटेंट अधिकारी ही हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या ये कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं या सस्पेन्डेड हैं ?

Page No.12



श्री टीकाराम पालीवाल—यह लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पेड़ बेच करके रुपया सरकारी खजाने में जमा नहीं होना साबित हो जाने पर भी वे सरकारी नौकरी में हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास इस वक्त यह इन्फोर्मेशन नहीं है कि वे अन्डर सस्पेन्शन हैं या कार्य कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात है जिसके सप्लीमेंटरी के लिए माननीय मन्त्रीजी को तैयार रहना चाहिये था।

( हंसी )

श्री जवानसिंह—खास तौर पर नौ महीने गुजर जाने के बाद भी ?

( हंसी )

श्री चांदमल मेहता—नौ महीने नहीं, दो साल भी मन्त्रीजी ने बताया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २०६९

## जयपुर डिस्ट्रिक्ट में तालाबों का टूटना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में इस वर्ष कितने तालाब टूट गये ?

( ख ) उक्त तालाबों के टूटने के क्या कारण हैं ?

( ग ) किस किस तालाब पर कितने कितने पानी का नुकसान तालाब के टूट जाने से हुआ है ?

( घ ) क्या यह सही है कि उक्त तालाब सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा देखभाल की व्यवस्था माकूल नहीं होने की वजह से टूटे हैं ?

# Page No.13



[ श्री चांदमल मेहता ]

( ङ ) जो तालाब टूटे हैं उनमें से कितने वापिस मरम्मत कराये जा चुके हैं ?

( च ) क्या किशनगढ़ सब डिविजन में भी कोई तालाब टूट गये हैं ?

( छ ) यदि हां, तो कौन कौन से ?

श्री टीकाराम पालीवाल ( सिंचाई मन्त्री )—( क ) ६ तालाब टूटे ।

( ख ) उक्त तालाबों के टूटने का कारण इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| १. बन्ध झिलमिला | पक्के काम की नींव के नीचे से पानी ने अपना मार्ग बना लिया, जिस कारण ऊपर का हिस्सा बैठ गया । |
| २. खो नागोरी<br>३. खेरी<br>४. खोर | बन्ध के पेंदे में सुराख हो जाने के कारण । |
| ५. नैनस्या<br>६. माधोराजपुरा<br>७. दतूली<br>८. गणेशपुरा<br>९. दूंदोलाव | ज्यादा वर्षा होने के कारण । |

| | |
|---|---|
| ( ग ) बन्ध झिलमिली पर | ६०० एकड़ |
| बन्ध खेरी | पर कोई नुकसान नहीं । |
| ,, खो नागोरी | कोई नुकसान नहीं । |
| ,, खोर | कोई नुकसान नहीं । |
| ,, नैनस्या | ३०० एकड़ |
| ,, माधोराजपुरा | ४०० एकड़ |
| ,, दतुली | १०० एकड़ |
| ,, गणेशपुरा<br>,, दूदोलाव | कुछ नहीं पानी रोक कर ठीक करा दिया गया । |

[ श्री टीकाराम पालीवाल ]

( घ ) यह सही नहीं है ।

( ङ ) खो नागोरी, खेरी, नैनस्या, माधोराजपरा, दतूलो, गणेशपुरा व दूदोलाब को मरम्मत करा दी गई ।

( च ) हां एक तालाब टूट गया ।

( छ ) केवल एक दूदोलाव टूटा था ।

**श्री चांदमल मेहता**—किशनगढ़ सब डिवीजन के एक तालाब के टूटने का क्या कारण है ?

**श्री टीकाराम पालीवाल**—वर्षा अधिक होने से टूट गया ।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में तालाबों की देखभाल के लिए कोई परमानेन्ट स्टाफ नहीं है ?

**श्री टीकाराम पालीवाल**—यह सही नहीं है ।

**श्री चांदमल मेहता**—तो इससे क्या यह माना जाय कि तालाबों की देखभाल के लिए स्टाफ रहता है ?

**श्री टीकाराम पालीवाल**—पहले मैंने जो उत्तर दिया है वह ठीक है ।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में रियासत के वक्त में तालाबों की देखभाल के लिए एक गैंग रहता था लेकिन राजस्थान निर्माण के बाद उस गैंग को तोड़ दिया गया ?

**श्री टीकाराम पालीवाल**—वह गैंग इस वक्त तोड़ दिया गया है ।

**श्री चांदमल मेहता**— इस तरह के गैंग तोड़ देने की वजह से ज्यादा वर्षा होने के वक्त में तालाब टूट जाते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है ।

**श्री टीकाराम पालीवाल**—इसके कारण मैं पहले बता चुका हूँ ।

Page No.15



श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस प्रकार के गैंग को फिर से चालू करने का विचार कर रही है ताकि तालाब न टूट सके और वक्त पर उनकी देखभाल हो सके ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस समय कोई विचार नहीं कर रही है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह जो तालाब टूट गये हैं वे किन किन सालों में बने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़ के तालाब बहुत पुराने जमाने के और जीर्ण अवस्था में थे ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—जयपुर डिवीजन के जो टूटे वे कौन कौन से साल के हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वे मेरे ख्याल से नवजवान हैं ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इनके टूट जाने से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी जांच की जा रही है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इन तालाबों के टूटने से कोई आबादी को तो नुकसान नहीं हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कोई आबादी को नुकसान नहीं हुआ ।

श्री चांदमल मेहता—जिन तालाबों की मरम्मत नहीं कराई गई उनका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उनकी भी मरम्मत करायी जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—अगली वर्षा शुरू होने के पहले क्या उनकी मरम्मत करा दी जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां ।

प्रश्न संख्या २०६७

५३-५४ के वर्ष में चद्दर व सीमेंट का जिलेवार कोटा दिया जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[ श्री चांदमल मेहता ]

(क) ५३, ५४ के वर्ष में किस-किस जिले को कितने-कितने टन चद्दर व सीमेंट का कोटा दिया गया ?

(ख) उक्त कोटा किस आधार पर दिया गया?

(ग) क्या यह सही है कि नागोर डिस्ट्रिक्ट को उसकी आबादी के अनुपात से कम कोटा मिला है ?

(घ) यदि हां तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) अप्रेल, सन् ५३ से मार्च, सन् ५४ तक लोहा व इस्पात का व अप्रेल, सन् ५३ से सितम्बर, सन् ५४ तक सीमेंट का जो एलोटमेंट किया किया है उसकी सूची इस प्रकार है :

| क्रम संख्या | नाम जिला | अलोट की गई मात्रा टनों में | |
|---|---|---|---|
| | | सीमेंट | लोहा व इस्पात |
| १. | जयपुर | ४६२५ | ११६ |
| २. | अलवर | ४३२० | ८२ |
| ३. | भरतपुर | ३६६६ | ८४ |
| ४. | गंगानगर | ३६६० | ३० |
| ५. | नागोर | ३७५० | ६० |
| ६. | चूरू | २१६० | ३० |
| ७. | पाली | १६६० | ५२ |
| ८. | जालोर | १६२० | १० |
| ६. | सीकर | १६२० | ८२ |
| १०. | सवाई माधोपुर | १६१० | ८८ |
| ११. | जोधपुर | १४०५ | ५४ |
| १२. | उदयपुर | १३४० | ६२ |
| १३. | बीकानेर | ११२० | २५ |
| १४. | झंझुनू | १०६५ | ८२ |

[श्री भोगीलाल पंड्या]

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५. | बाड़मेर | १०३० | १० |
| १६. | सीरोही | ९०० | १० |
| १७. | चित्तौड़गढ़ | ६६० | ६२ |
| १८. | भीलवाड़ा | ५३० | ६४ |
| १९. | टोंक | ४२० | ५४ |
| २०. | कोटा | ३६० | ५४ |
| २१. | झालावाड़ | १४० | ५० |
| २२. | बूंदी | ६० | ४७ |
| २३. | डूंगरपुर | ६० | ८१ |
| २४. | बांसवाड़ा | ६० | २१ |
| २५. | जैसलमेर | जोधपुर के साथ | ४ |

(ख) सीमेंट, लोहा व इस्पात का अलॉटमेंट जनसंख्या के आधार व आवश्यकतानुसार किया जाता है किन्तु अलॉटमेंट को वेगन लोड में लाने के लिए किसी समय थोड़ा अन्तर भी पड़ जाता है, जिसे दूसरी तिमाही में पूरा करने का ध्यान रखा जाता है।

(ग) जैसा कि अलॉटमेंट की संलग्न सूची से स्पष्ट है कि नागोर जिले के वास्ते सीमेन्ट व लोहा और इस्पात उचित मात्रा में ही अलॉट किया गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो कोटा नागोर डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया गया वह उसको मिला नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सही नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर को सब से कम कोटा मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितनी मांग वहां से आई थी उतना दे दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—जो कोटा नागोर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया वह देहाती क्षेत्र के लिये नहीं था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कलेक्टर जितनी सिफारिश करते हैं, उसी के अनुसार दे दिया जाता है। गांव में कितना दिया गया और शहर को कितना दिया गया इसके अलग से आंकड़े मेरे पास नहीं है। अगर आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो कोटा दिया जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को जाता है और देहाती जनता को उसकी सूचना तक नहीं दी जाती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गवर्नमेन्ट की ओर इसका प्रचार किया जाता है और गांव वालों को भी दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—जब कोटा सीमेन्ट या चद्दर का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को पहुंचता है, तब क्या इसकी सूचना देहात में कलेक्टर द्वारा दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य दी जाती होगी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास सीमेन्ट का इतना स्टॉक है कि वह किसी को भी जितना चाहे देने के लिये तैयार है, अगर माननीय सदस्य किन्हीं व्यापारियों के नाम देंगे तो उनको कई सौ टन सीमेन्ट दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि जो कोरेगेटेड शीट्स डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को पहुंचता है, क्या उसकी सूचना देहातियों को दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, बराबर सूचना दी जाती है। कुछ कोटा जो सप्लाईज़ डिपार्टमेन्ट द्वारा शहरों के लिये दिया जाता है और उसी प्रकार एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट द्वारा देहातों के लिये भी दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—जो आपने ६० टन देने का बताया है उसमें काश्तकारों के लिये कितना और शहरी क्षेत्र के लिये कितना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अधिकांश काश्तकारों के लिये है टन हन्डरवेट वगैर का हिसाब तो मेरे पास नहीं है, जो मैं बता सकूं।

श्री चांदमल मेहता—क्या कभी इस बात की जांच की जाती है कि जो कोटा अलोट किया जाता है वह देहाती और शहरी क्षेत्र को बराबर मिलता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना देहातियों के लिये होता है, उतना उनको दिया जाता है और जितना शहरी क्षेत्र के लिये होता है उतना शहर वालों को दिया जाता है। इसमें जांच करने का सवाल ही नहीं। जिस जगह के लिये जितना कोटा निर्धारित होता है उतना दे दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का यह मतलब है कि जितना कोटा निर्धारित है उतना मिलता है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—केवल मिलता ही नहीं बल्कि ज्यादा भी दिया जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नागौर के रहने वालों से कहिये कि आप जितना कोटा चाहे ले सकते हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर में सीमेंट को ब्लेक में बेचने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका कारण यह है कि वहां के लोग ज्यादा सीमेंट मांगते नहीं हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ज्यादा सीमेंट आप इसलिये भी नहीं देते हैं कि वहां ब्लेक में लोग फरोक्त करें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात नहीं है । मैंने माननीय सदस्य से भी यह कहा था कि वे जितना सीमेंट चाहें हमारे से ले जा सकते हैं । अगर वे लेते नहीं हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है ? अगर वे लेंगे तो ब्लेक और व्हाइट का प्रश्न ही नहीं उठेगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह सही है कि यह जो कोटा भेजा जाता है वह तहसील हेडक्वार्टर को न भेजा जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जो कोटा दिया जाता है वह फुल वेगन जो मंगाते हैं तभी तो वह सस्ता पड़ता है । अगर कोई तहसील वाले फुल वेगन मंगाने के लिये तैयार हों तो वह उनको भेजा जा सकता है, यह अवश्य होना चाहिये, वेगन फुल लोड अवश्य होना चाहिये, तो देहात वाले भी यदि इस प्रकार फुल लोड वेगन मंगावें तो वह भी दिया जा सकता है ।

श्री सोहनलाल भटनागर—वेगन जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहता है तो ज्यादातर शहरी लोग ही ले जाते हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप असम्भव बात को सम्भव कहना चाहते हैं । मैंने जैसा कहा कि देहात का कोटा बिल्कुल अलग है । अगर किसी खास जगह की शिकायत हो तो वे स्पष्ट तौर से पछें, हम उचित कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

प्रश्न संख्या २०६८

शिवदासपुर [ त० चाकसू ] से बाड़ा पदमपुरा तक जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—क्या निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि शिवदासपुरा ( तहसील चाकसू ) से बाड़ा-पदमपुरा तक जाने वाली सड़क ( ३ माइल का टुकड़ा ) बहुत खराब हालत में है ?

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(१) सड़क की हालत खराब अवश्य है और सम्भवत: यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

(ख) अर्थाभाव के कारण इसकी मरम्मत अब तक नहीं हो सकी। अगले वर्ष उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—सरकार इस वर्ष यात्रियों को उधर जाने के लिये क्या सुविधा दे सकेगी ? गेंग लगाकर उस सड़क को ठीक कराया नहीं जा सकता है क्या, इस वर्ष ? अगले वर्ष तो सड़क ठीक कर दी जावेगी जैसा कि आपने कहा है, पर इस वर्ष आप इसके लिए क्या करियेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब भी जाने के लायक तो है।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ गये हैं इस सड़क में और यात्री बहुत अधिक आते हैं, इसको देखते हुए क्या सरकार गेंग लगाकर तैयार करने को तैयार नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—लारी वगैरह का परमिट चाहियेगा तो दे देंगे।

( हंसी )

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—गेंग वगैरह लगाकर सड़क को ठीक नहीं कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—यह सड़क बहुत खराब है और क्योंकि राजस्थान से बाहर के बहुत यात्री दर्शनार्थ यहां आते हैं तो इस सड़क की कुछ मरम्मत तो इस समय भी होनी बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—वह सड़क मोटरेबल है, ट्रान्सपोर्टेबल है।

श्री जवानसिंह—लेकिन यह परमिट देने से सड़क कब से सुधरने लग गई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २०६६**

**लछमन-डूंगरी सड़क का जोर्णोद्धार**

श्री धर्मचन्द—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या लछमन-डूंगरी रोड़ की हालत बहुत ज्यादा खराब है ?

(ख) क्या सरकार इसे ठीक करवाने का काम शीघ्र ही शुरू करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—(क) हां।

(ख) यह सड़क जयपुर म्यूनिसिपेलिटी के अधिकार में है और इसकी मरम्मत का सम्बन्ध वहीं से है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २१०८**

**ग्राम रोधर (त. मडरायल) में बांध टूटना एवं उसका जीर्णोद्धार**

श्री धर्मचन्द—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गांव रोधर, तहसील मडरायल में एक बांध गत वर्ष टूट गया था ?

[ श्री धर्मचन्द ]

(ख) क्या सरकार इस बांध को शीघ्र ही तैयार करावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल( निर्माण मंत्री) —(क)इस प्रकार का कोई तालाब इस विभाग के आधीन नहीं है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री छीतरमल शर्मा ।

प्रश्न संख्या ११०१

रसद नियन्त्रण के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का लाइसेंस लेना आवश्यक

( श्री छीतरलाल, प्रश्नकर्ता अनुपस्थित )

श्री भोगीलाल पंड्या—आपकी (अध्यक्ष महोदय) स्वीकृति हो तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इसका जवाब दे दूं ।

( श्री छीतरलाल शर्मा द्वारा उनकी अनुपस्थिति में निम्नांक प्रश्नोतर सदन में लिया गया ) क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने रसद नियन्त्रण के अन्तर्गत अब किस किस सामान के बेचने वालों के वास्ते लाइसेन्स लिया जाना जरूरी रखा है ?

(ख) कब तक इस प्रतिबन्ध को सरकार हटाने का विचार रखती है ?

श्री भोगी लाल पंड्या(रसद मंत्री)--(क)कपड़ा, साड़ी, धोती व अनाज २६ मन से अधिक ।

(ख) यह फैसला सरकार की नीति पर आश्रित है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २१०२

## भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को शरणार्थियों को लोन के लिये दी गई रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्स्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शरणार्थियों को लोन दिये जाने के लिये भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को कुल कितने रुपये दिये ?

(ख) उक्त रकम में से कितनी रकम शरणार्थियों को दी जा चुकी है ?

(ग) कितनी रकम राजस्थान सरकार के पास जमा है ?

(घ) चालू वर्ष में कितनी रकम शरणार्थियों को लोन देने के लिये राजस्थान सरकार के डिस्पोज़ल पर है ?

(ङ) राजस्थान सरकार को लोन किस आधार पर दिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मन्त्री)—(क) केन्द्रीय सरकार ने ८०,३७,०००) रु० की राशि कर्जा शहरी के भुगतान के लिये, २,३७,४५,०००) रु० देहाती ऋणों के लिये और रुपया १,२४,६४,००० निर्माण कार्यों के लिये कुल रु० ४,४२,४६,०००) दिये हैं।

(ख) ७६,८९,०००) रुपया शहरी कर्ज के रूप में, १,२८,१४,२३०–४–० देहाती ऋण के रूप में तथा रु० ९९,०९,९३२–२–० निर्माण कार्यों के लिये, कुल ४,०४,१३,१६२–६–० रुपया कर्जा दिया गया।

(ग) चालू वर्ष में शरणार्थियों को शहरी लोन देने के लिये रुपया ३,४८,०००) रुपया ९,३०,७६९–१२–० देहाती ऋण व रु० २५,५४,०६७–१४–० निर्माण कार्यों के लिये कुल ३८,३२,८३९–१०–० राजस्थान सरकार के पास हैं।

(घ) [ग] में कथित सब रुपया भिन्न २ कार्यों के लिये राजस्थान सरकार के डिस्पोज़ल पर है।

(ङ) जिन श्रेणियों के पुरुषार्थियों को कर्जा शहरी और देहाती दिया गया था तथा भविष्य में भी इस ही प्रकार दिया जावेगा, उसकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

# Page No.24



श्री चांदमल मेहता—जो रुपया राजस्थान सरकार को लोन के रूप में मिला है वह आखिरी रुपया कब मिला है ?

श्री अमृतलाल यादव—आखिरी रुपया से आपका मतलब क्या है ?

श्री चांदमल मेहता—मेरा मतलब यह है कि भारत सरकार ने आखिरी रुपया कब दिया ? चालू वर्ष में दिया, साल भर पहले दिया, या दो साल पहले दिया ! कब दिया ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तो एक साथ बजट मन्जूर होता है और फिर सरकार की सेंक्शन आ जाती है। वह इन्स्टालमेंटवाइज़ नहीं मिलता।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया राजस्थान सरकार के पास है, क्या यह सही है कि उस के लिए यह आदेश है कि वह रुपया उन्हीं सालों में दे दिया जाना चाहिये था, जिन सालों में वह मिला था ?

श्री अमृतलाल यादव—आपके एक प्रश्न के जवाब में पहले बताया गया था कि रुपया भारत सरकार की ओर से लोन के लिये राजस्थान सरकार को दिया जाता है। जितने लोनीज़ होते हैं उनको दिया जा चुका है वह रुपया। और अगले साल में नये लोनीज़ के लिये नया रुपया दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको एक इन्स्टालमेन्ट दे दी गई और बाकी इन्स्टालमेन्ट का रुपया अभी तक जो रकम उस मुद्दे बताई गई है उसमें शामिल हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—क्या कहा आपने ?

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—ऐसा कितना रुपया है राजस्थान के पास जमा कि जिसमें से एक इन्स्टालमेन्ट तो दे दी गई और बाकी इन्स्टालमेन्ट्स देनी अभी बाकी हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—वह तो इंस्टालमेन्ट्स में दी जाती है और जो बाकी है वह उनको दे दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे व्यक्ति हैं कि नहीं कि जिनको और देना है ?

श्री अमृतलाल यादव—मुझे इसकी मालूम नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया देने की बात कही गई है उसमें वह जिनकी कि इन्स्टालमेंन्ट्स ड्यू हैं, दिया जावेगा कि नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—हां, कायदे मे अगर ड्यू है तो जरूर दिया जावेगा और अगर बेकायदे से है तो नहीं दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—कायदे से ड्यू है कि नहीं ? जिनको रुपया मन्जूर कर दिया गया, उनको कायदे से ड्यू होता है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—क्या कायदे से ड्यू है ? ड्यू का कोई बेसिस होता है, आधार होता है, लोन्स जो गवर्नमेन्ट से मांगते हैं तो वह लोन क्लासिफिकेशन के माफिक दिया जाता है। अगर उसके माफिक देख कर दिया जाता है तब तो कायदे से होता है और अगर उसके माफिक देखकर नहीं दिया जाता है और कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह नहीं दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनकी दुरुपयोग के बारे में शिकायत है और जिनको इस वजह से नहीं दिया जावेगा और ऐसे कितने हैं कि जिनकी शिकायत नहीं है और जिनको दिया जाना चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव—जिनकी शिकायत नहीं है उनको जरूर दिया जावेगा, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है उनके लिए।

श्री चांदमल मेहता—कोई वक्त मुकर्रर है ?

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान सरकार के जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें सरकार के दफ्तर हमेशा ही खुले रहते हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (१६)—लोन के रुपयों के दुरुपयोग के मामले कितने व्यक्तियों के विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—कई व्यक्तियों के हैं। करोड़ों रुपयों, मैंने निवेदन किया, का दुरुपयोग हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह—सिर्फ किशनगढ़ के लिए पूछ रहा हूं।

श्री अमृतलाल यादव—ये आंकड़े मुझे मालूम नहीं हैं। अगर आप अलग से पूछोगे तो बता सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि किसी भी शरणार्थी ने लोन के रुपये का दुरुपयोग नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—अलग से प्रश्न पूछ लीजियेगा साहब।

श्री भैरोंसिंह—यह जिक्र इसमें ही है, इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—इससे यह क्वेश्चन इर्रिलेवेन्ट है। आप अलग प्रश्न कर लें।

Questions are over.

## भारत सरकार के मन्त्री श्री रफी अहमद किदवई के देहावसान पर शोक-प्रदर्शन

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, हम अपना नियमित काम चालू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम थोड़ा सा समय उस दुर्घटना के सम्बन्ध में लगावें जो २४ अक्टूबर को घटी थी; जिस दिन कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री श्री रफी अहमद किदवई साहब का देहावसान हो गया।

श्री रफी अहमद किदवई साहब एक राष्ट्रीय विचार वाले व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। जिस प्रकार से उन्होंने स्वतन्त्रता के संग्राम में भाग लिया और देश को आजाद बनाने में हिस्सा बटाया, यह किसी से छिपा नहीं है। संयुक्त प्रान्त की सरकार और भारत सरकार में रहकर जिस तरह से, जिस योग्यता से, उन्होंने राष्ट्र के शासन का काम चलाया वह भी किसी से छिपा नहीं है। खाद्य समस्या, जो भारत के लिये एक महा भयंकर समस्या थी उसको उन्होंने एक प्रकार से हंसते हंसते हल कर दिया।

स्वतन्त्रता के बाद में पोस्ट और तार की जो अव्यवस्था हो गई थी उसको सुव्यवस्था में परिणत करके जिस तरह के साहस का परिचय दिया यह भी हम जानते हैं। एवियेशन के राष्ट्रीय-करण का काम जिस आननफानन तरीके से उन्होंने किया वह उनकी योग्यता का परिचायक है। राष्ट्र को ऐसे योग्य शासकों की, ऐसे देशभक्त व्यक्तियों की, ऐसे हुमेनिटेरियन की, ऐसे, यों कहना चाहिये, प्रेमी और स्नेही दोस्तों की अत्यन्त आवश्यकता थी, परन्तु एक सभा में व्याख्यान देते हुए उनका देहावसान होगया और जिसे अंग्रेजी में कहते है "ही डाइड इन सेडिल", काम करते हुए उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इस अवसर पर हमें उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धान्जलि जो है वह अर्पण करना चाहिये, और इस सदन की ओर से उनके इस असामयिक देहावसान के उपर न

[ श्री जयनारायण व्यास ]

सिर्फ शोक और खेद प्रकट करना चाहिए, बल्कि उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और उनके कुटुम्बी जन जो है उनको अपनी ओर से सहानुभूति का संदेश भेजना चाहिए।

मैं समझता हूं इन शब्दों के साथ आपकी आज्ञा से सदन की ओर से स्वर्गीय रफी साहब के प्रति अपनी श्रद्धान्जली अर्पित करता हूं।

**श्री शाह अलीम्मुद्दीन**—अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी हाउस ने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, मैं उसकी ताईद करते हुए दो शब्द इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। रफी अहमद साहब किदवई की अचानक मौत से जो सदमा हुआ है वह अपनी हद रखता है। मौतें होती हैं और हर शख्स को एक रोज जाना है, मगर ऐसी मौत जो अचानक हो और ऐसे शख्स की मौत जो कि हिन्दुस्तान के हर कौने कौने में हर दिल अजीज़ था, बहुत ज्यादा रंजीदा होती है।

रफी अहमद साहब किदवई को अपनी तवारीख वज़ारत में जो महकमे दिये गये उसको उन्होंने बड़ी खूबी के साथ अन्जाम दिया, उसमें सिवाय तारीफ के और कही भी कोई नुक्स नहीं बताया जा सकता है। खसूसियत के साथ सप्लाई का महकमा ऐसे नाजुक वक्त में उनके सुपुर्द किया गया था जब कि हिन्दुस्तान में गल्ले की बड़ी भारी तंगी थी; किदवई साहब मरहूम ने इस बड़े भारी काम को दुदियानी के साथ अन्जाम दिया कि हम यह महसूस नहीं करते हैं कि हमारे मुल्क में गल्ले की कमी की वजह से तकलीफ पा रहे थे। सबब क्या था? सबब यह था कि रफी अहमद साहब मरहूम ने जब भी किसी काम को अपने हाथ में लिया बड़ी खसूसियत के साथ उसको किया। उन्होंने बड़ी खसूसियत के साथ गल्ले के काम को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने यह मालूम करने की कोशिश की कि कन्जूमर्स को, गल्ले के खर्च करने वालों को क्या दुःख है, गल्ला बेचने वालों को क्या दुःख है, किसानों को क्या दुःख है। ब्लेकमार्केट किस तरीके से होता है। बड़ी काबलियत के साथ तमाम नब्जों पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद निहायत आसानी से हल कर दिया, और उस हल का आज यह अन्जाम है कि गल्ला जो कि निहायत दुश्वारी के साथ मिलता था वह आसानी से मिलने लगा। उनकी इस काबिलियत से आज हम यह कहने को मजबूर हैं कि रफी अहमद साहब केवल थ्योरीज़ के ही मालिक नहीं थे, बल्कि एक प्रेक्टीकल इन्सान थे। वह जानते थे कि अमली जिन्दगी ही हकीकी जिन्दगी है।

इसके साथ दूसरी उनकी कामयाबी जो है कि जिसका हर हिन्दुस्तानी को सबक लेना चाहिए, वह यह है कि उन्होंने जिस काम को किया उसको सच्चे दिल से किया और बिला रियायत के किया। वह उस काम में अपने आपको भूल जाते थे। वह सिर्फ यह जानते थे कि उनके यह फरायज़ थे उनको उन्हें पूरा करना चाहिए चाहे कितना ही बड़ा उनका शख्सी नुकसान हो।

[ श्री शाह अलीमुद्दीन ]

उन्होंने जिस लगन से मुल्क की खिदमात अन्जाम की है उनसे यह साबित कर दिया है कि मादरे वतन की मोहब्बत, मादरे वतन को ऊंचा करने की लगन, हर शख्स में हो सकती है। जिसके दिल में मादरे वतन और मादरे वतन के बाशिन्दों की मोहब्बत हो वह इस तरह से मुखलिस्त खिदमात कर सकता है। उनसे हमें बड़ा भारी सबक लेना चाहिए और हर शख्स को जिसके दिल में मोहब्बत बेजजबात हों वह इस तरह से खिदमत कर सकता है। आज हम उनका अफसोस मनाने के लिए खड़े हुए हैं। अफसोस है कि वे हमारे बीच नहीं हैं; लेकिन उनके कारनामों को कोई नहीं भुला सकता। उनकी खिदमात को हिन्दुस्तान का हर बच्चा बच्चा याद करता रहेगा।

मैं लीडर ऑफ दी हाउस के रीजोल्युशन की ताईद करता हूं, और अल्ला ताला के हूजूर में दुआ करता हूं, जिसको कि आप श्रद्धान्जली कहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव लीडर ऑफ दी हाउस ने रखा है मैं इधर बैठने वालों (विरोधी पक्ष) की तरफ से उसकी ताईद करता हूं। मैं भी ऐसे खुशकिस्मतों में से एक हूं जो कि रफी साहब को बहुत नजदीक से जानते थे। आज देश के कोने कोने में रफी साहब के निधन पर शोक प्रकट किया जा रहा है, लेकिन जो लोग उनको नजदीक से जानते थे उनके दिल वास्तव में रोते हैं। जिस समय रफी साहब जैसे व्यक्तियों की देश को जरूरत थी; जो इतने ऊंचे उठ गये थे कि न केवल एक कुशल शासक ही थे, बल्कि इन्सानियत में बहुत से लोगों में एक व्यक्ति थे। जिस तरह से उन्होंने आजादी की लड़ाई में काम किया उससे भी ज्यादा खूबी के साथ आजाद होने के बाद भारतवर्ष को ऊंचा उठाने में सहायक हुए। आज देश उनको कभी भी भुला नहीं सकता।

मैं सब लोगों की तरफ से, जो इधर बैठे हुए हैं; लीडर ऑफ दी हाउस के प्रस्ताव की ताईद करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से रफी अहमद साहब किदवई के अकस्मात देहान्त के समाचार पर जो प्रस्ताव लीडर ऑफ दी हाउस ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

रफी अहमद साहब किदवई के गुणगान करने की मुझ को कोई आवश्यकता नहीं है, देश के कौने कौने से जो समाचारपत्रों में हम सुन रहे हैं और इस हाउस के अन्दर जिन सज्जनों ने उनका गुणगान किया है वह गलत नहीं है, बल्कि यों कहना चाहिये, उनका गुणगान करने के लिए हमारे पास शब्द भी काफी नहीं हैं। जिस खूबी के साथ जो जिम्मेवरियां उनको सुपुर्द की गई थीं

[ राज श्री हिम्मतसिंह ]

उनको निभाया वह काबिले तारीफ हैं। क्या पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ ऑफिस, क्या टेलीफोन और क्या फूड ? आज हिन्दुस्तान में देखेंगे तो घर घर में टेलीफोन्स की सुविधा हो गई है वह उन्हीं के दम के ऊपर था। आज हिन्दुस्तान में गल्ले की बहुतायत हो गई है यह उन्हीं के प्रयत्न का कारण था। इसका एक मुख्य कारण यह मालूम होता है कि वह बड़े कुशल कार्यकुशल और सच्चे ईमानदार शासक थे। ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ऊंचा उठाती है, और उनकी ईमानदारी के ऊपर कोई भी लांछन लगा नहीं सकता था। आज यही कारण है कि उनकी ईमानदारी के कारण ही उन्हें इतना ऊंचा हमारे हृदय में स्थान मिल पाया है। अब विशेष शब्द न कह कर मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे।

श्री अध्यक्ष—श्री रफी अहमद किदवाई के स्वर्गवास पर इस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर मैं अपनी और सदन की ओर से उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री रफी अहमद किदवई जैसा कि कहा जाता है "एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस" (Actions speaks louder than voice) ऐसे आदमी थे; जिनका कार्य उनकी स्वयं प्रशंसा करता है। वे बड़े मितभाषी और उच्चतम क्रियाशील व्यक्ति थे। उनके निधन से हमारे राष्ट्र का एक सच्चा नेता उठ गया है। मैं उनकी आत्मा को सद्‌गति प्रदान करने के लिए और परमात्मा उन्हें शान्ति प्रदान करे इसके लिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे एक मिनिट तक खड़े रह कर परमात्मा से प्रार्थना करें।

( सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिये मौनरूप से प्रार्थना की)

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए उनके नाम के आगे अंकित दिनों तक के लिए अनुमति चाही है।

(१) श्री माधव प्रसाद एन. पन्डित (६१) दिनांक ३. ११. ५४ से पूर्ण सत्र तक।

(२) श्री रघुराजसिंह (१२१) दिनांक १६. १०. ५४ से २३. १०. ५४ तक।

(३) श्री चन्द्रकान्त राव (२६) दिनांक ३. ११. ५४ पूर्ण सत्र तक।

(४) राजा श्री मानसिंह (६८) दिनांक ३. ११. ५४ से ५. ११. ५४ तक।

(५) श्री हरिदत्त (५४) दिनांक ३. ११. ५४ से ५. ११. ५४ तक।

[ श्री अध्यक्ष ]

क्या सदन की अनुमति है कि इनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

## राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ ( पारित करने का प्रस्ताव )

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान टिनेन्सी बिल, १९५४ को पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—अध्यक्ष महोदय, इस टिनेन्सी बिल पर इस सदन ने दो महीनों तक करीब २ अलग २ क्लॉज़ेज़ पर काफी विस्तार के साथ विचार किया। इसमें ज्यादा समय लगना स्वाभाविक था, इसलिए कि यह स्वयं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है। इसके अलावा अलग २ भूतपूर्व रियासतों में अलग अलग कानून थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक कानून बनाने में कई प्रकार की दिक्कत सामने थीं। लेकिन आखिर में जो इस कानून का स्वरूप बना है, मैं समझता हूं, सबको उससे संतोष होगा।

इस कानून द्वारा हमने किसानों को अपनी जमीन पर काश्त करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टिन्योर जिसे कहते हैं वह दिया है। वे जिस जमीन पर काश्त करते हैं वह कायम रह सकती है यह अधिकार उनको दिया है। एक काश्तकार से दूसरा व्यक्ति अधिक से अधिक कितना मुनाफा ले सकता है इसके बारे में इसनें प्रतिबन्ध लगाया है और जो एक सब टिनेन्ट अब तक चला आरहा था उसको जमीन से बेदखल नहीं करने के लिए अब तक जो प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स के नाम से संरक्षण दिया हुआ था उसको एक सीमा तक पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये इसमें धाराएं रखी गई हैं कि उचित मुआवजा देने के बाद वह भी सब टिनेन्ट से खातेदारी टिनेन्ट बन सकता है। काश्तकारों को दरख्तों के मामले में खुद की काश्त के लिए कई प्रकार के झगड़े आया करते थे उनके लिए क्लॉजेज़ रखी गई हैं। काश्तकारों के मकान बनाने के लिए कई प्रकार के झगड़े आया करते थे उनके लिए भी क्लॉज़ेज़ रखी गई हैं। हर तरह से काश्तकारों को पूरा संरक्षण दिया गया है और इस प्रकार जिस हद तक ज्यादा से ज्यादा सम्भव था, काश्तकारों को आज के युग में जो अधिकार होने चाहिए और जो दूसरी जगह जमीन जोतने वालों को हैं उन्हीं के अनुसार अधिकार कायम रखते हुए जमीन से अधिक से अधिक उनको फायदा उठाने देना चाहिए, इस बात का समावेश इस बिल में किया गया है। इस पर काफी लम्बी बहस हुई थी क्योंकि बिल भी

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

काफी लम्बा है, समय भी ज्यादा लगा लेकिन आज जिस स्वरूप में यह बिल सदन के सामने उपस्थित हुआ है उसे सदन स्वीकार करेगा और राजस्थान में इससे निश्चित तौर से भूमि सुधार के कानून के अन्दर और भूमि सुधार की नीति की तरफ हम लोग एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ायेंगे। जागीर रिजम्पशन बिल द्वारा जिन इन्टरमीडिरीज़ को समाप्त करने का कदम रखा उससे मैं समझता हूं कई गुणा ज्यादा महत्वपूर्ण यह बिल है। जो भूमि रह जाती है उसमें किस तरह की व्यवस्था हो उसके लिए इस बिल में उन चीजों का समावेश किया गया है। अन्य राज्यों के कानूनों में जहां २ अच्छी क्लॉज़ेज़ थीं उनको ध्यान में रखा गया है और सारी चीजों पर विचार करने के बाद इस बिल को लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं वे इसे स्वीकार करेंगे।

**राज श्री हिम्मतसिंह**—अध्यक्ष महोदय, कई महीनों की कोशिश करने के बाद आज यह टिनेन्सी बिल हमारे सामने अन्तिम रीडिंग के लिए आया है। जो मेहनत इसके ऊपर की गई है वह कहना यों चाहिये कि काफी मेहनत हुई है, लेकिन जितना शौक इस हाऊस को लेना चाहिए था वह हाऊस ने नहीं लिया। कई बार ऐसा मौका आया कि कोरम न होने के कारण हाऊस की मीटिंग स्थगित करनी पड़ी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया।

**राज श्री हिम्मतसिंह**—( भाषण जारी रखते हुए ) कई बार घंटियें बजा बजाकर सदस्यों को बुलाना पड़ा। प्रत्यक्ष में देखा जाय तो जिस प्रान्त से मैं आया हूं उस प्रान्त के काश्तकारों की व्यवस्था को देखते हुए वहां पर पहले जो कानून था उसके मुकाबले में इसमें बहुत कुछ त्रुटियें हैं। जो आजादी, जो सहूलियतें और जो रियायतें कोटा राज्य के समय काश्तकारों को मिलती थी अब इस कानून के जरिये उतनी रियायतें उनके लिये दुश्वार हो गई हैं। यह मेरे को बड़ा खेद है। खासकर इसमें कई त्रुटियें ऐसी रही हैं जो हाउस में जाहिर की जांय तो सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि जयपुर और उदयपुर डिवीज़नों के काश्तकारों को जो बापी राइट थे वे समाप्त हो गये हैं। कहा यह जाता है कि बहुत सारे अख्तियार दिये हैं लेकिन सब इस बात को मानते हैं और सब ने इस बात को दोहराया है कि काश्तकारों के अधिकार छीन लिये गये हैं। इसके साथ ही जेलिया···

( हंसी )

( विराम )

जेलिया से मेरा मतलब हमारे सदस्य जेलिया साहब से नहीं है लेकिन जेली काश्तकार जिनको आप सब टिनेन्ट कहते हैं उनसे है। उक्त सब टिनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स दिलाने की कोशिश की गई है लेकिन जो खातेदार मालिक थे उनका हक छीनकर उनको बेकार बैठने का प्रयत्न इस बिल में किया गया है।

[ राज श्री हिम्मतसिंह ]

शुरू से आखिर तक अगर इस बिल को देखा जावे तो पता चलेगा कि इस बिल में लैंड लोर्ड्स और टिनेन्ट्स के झगड़ों के अलावा और कोई चीज़ को डील विथ् नहीं कर सके हैं। इसमें शुरू से आखिर तक यही रखा है कि लैंड लोर्ड्स और टिनेन्ट्स के झगड़ों को किस तरह से निपटाया जावे।

जब से यह बिल हाउस के सामने आया और विचाराधीन रहा तो मैं महीनों तक इसी खयाल में रहा कि सिवाय लैंड लोर्ड्स और टिनेन्ट्स के झगड़ों को निपटाने के अलावा इसमें और कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य—और क्या होना चाहिये ?

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—लोगों की समझ में ही नहीं आता कि और क्या हो सकता है ? यह कहा गया है कि और जगहों में टिनेन्सी राइट्स थे वे नाम मात्र के थे, काश्तकारों को कोई अधिकार ही नहीं थे, परन्तु आज जैसा बिल पास हो रहा है उसके लिये कहा जाता है कि काश्तकारों को बड़े हकूक दे दिये हैं। परन्तु यदि इसे गौर से देखा जाय तो पता चलेगा कि कोटा रियासत में काश्तकारों को जो हकूक थे वे इसमें बिल्कुल ही नहीं हैं।

लगान वक्त पर जमा नहीं कराने की हालत में इस बिल में यह पाबन्दी लगा दी गई है कि वक्त पर लगान जमा नहीं कराया जावे तो उन पर सूद भी लगा दिया जावे। ऐसी व्यवस्था कोटा रियासत में कभी नहीं थी। इस तरह की धारा हाउस के सामने आई थी तो मैंने उस समय प्रकट किया था कि इस तरह की सूद की कमाई राजस्थान सरकार को शोभा नहीं देती।

आगे जाकर व्यवस्था की गई है कि खातेदारी राइट्स सब टिनेन्टस को या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हैं उनको किस तरह दिलाये जावें ? इसका जो लम्बा चौड़ा ब्यौरा बनाया है और किस तरह से कम्पेन्सेशन तय किया जावेगा वह तो बिल्कुल ही गोरख-धन्धा होगया है। वह न तहसीलदार की समझ में आयेगा, न एस० डी० ओ० की समझ में आयेगा और न कलेक्टर को ही समझ में आयेगा।

श्री मथुरादास माथुर—एम० एल० एज़० बतायेंगे।

राज श्री हिम्मतसिंह ( अटरू )—हां एम० एल० एज़० जरूर वकालत करेंगे और फायदा उठायेंगे।

(हंसी)

[ राज श्री हिम्मतसिंह ]

और भी बहुत प्रकार की डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं जिनको अगर एग्ज़ामिन नहीं करेंगे तो शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी और बाद में जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। जो टाइम दिया है वह इतना संकुचित है कि हम अमेंडमेंट नहीं ला सकते और थर्ड रीडिंग में अमेंडमेंट लाने का भी सवाल नहीं है। इसमें रद्दोबदल करनी है तो किस तरह रद्दोबदल किया जायगा ? क्या इस बिल के पास होने के बाद में एक नया अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा ?

ग्रोव होल्डर के लिए हमारी रियासत कोटा में खास रियायतें थीं वे ग्रोव होल्डर की रियायतें इस बिल में समाप्त करदी गई हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—आप नहीं थे तब सब रियायतें दे दी गई हैं।

**राज श्री हिम्मतसिंह ( अटरू )**—जो रियायतें आपने इस बिल में रखी हैं वे पूरी रियायतें नहीं। रेंट फ्री बगीचे थे उन पर इस बिल के माफिक रेंट लगाना लाजिमी होगया है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—आपकी एब्सेंस में होगया है।

**श्री कपिलदेव**—हो जाने के बाद भी एक्ट में छपाया नहीं है। (हंसी) आप तो एक्ट में देखें।

**राज श्री हिम्मतसिंह ( अटरू )**—एक्ट में देखने को तो समय चाहिये, इतना समय नहीं मिला है। जल्दबाजी में यह एक्ट पास होने जारहा है। मेरे ख्याल में यह आरहा है कि कहीं जल्दी में डिफेक्टिव एक्ट पास नहीं हो जाय जिससे कि विधान सभा की हंसी हो।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—माननीय अध्यक्ष, जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं वह राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। जब से राजस्थान एक हुआ और जब से राजस्थान बना तरह तरह के टिनेन्सी के कानून विभिन्न रियासतों में लागू थे। कई ऐसी रियासतें थीं जहां कई कानून बने हुए थे और कई ऐसी रियासतें थीं जहां किसी किस्म का कानून नहीं बना हुआ था और यह एक समस्या थी कि सारी रियासतों को मिलाकर एक कानून कैसे बनाया जाय जो सब जगह उपयोगी साबित हो, सब जगह के किसानों को राहत मिल सके और साथ ही ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके ? इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने मौजूदा टिनेन्सी बिल रखा।

जब से यह टिनेन्सी बिल सदन के सामने आया, तरह तरह की तरमीमें इसमें हुई हैं। और उस बिल को अगर देखें जो शुरू में सदन के सामने आया था, तो पता चलेगा कि हमने इस

[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

दिशा में कितनी प्रगति की है। मैंने यू० पी० और सी० पी० के टिनेन्सी एक्ट्स को देखा है।' राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के ज्यादातर प्रोविन्सेज़ के टिनेन्सी बिल्स को देखने का मुझे मौका मिला है और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का यह टिनेन्सी बिल उन सब टिनेन्सी बिल्स से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। यू० पी० में बांटे का सवाल था, वहां सब टिनेन्सी नहीं रखी गई है, बांटे को रखा है। खातेदार टिनेन्ट हल बैल दे तो बांटा ले सकता है। पैदावार के लगान का यदि वह रिवाज हमारे यहां रखते तो छटे बांटे का जो प्रोड्यूस रेंट का रखा है वह भी खत्म हो सकता था। दफा ६७ और दूसरी दफाओं में ज्यादा से ज्यादा रेंट की दर निर्धारित की है, वह दुगुने से ज्यादा नहीं रखी है। इस बिल की मुख्य धारणा यह रखी है कि चाहे खातेदार टिनेन्ट हो, चाहे सब टिनेन्ट हो, चाहे और किसी किस्म का टिनेन्ट हो, केवल उसी को जमीन के अधिकार दिये गये जो कि कुछ खेती करता है। कई साहबान ने यह बात कही है कि इस बिल से किसानों को नुकसान पहुंचता है, पर वास्तव में किसानों से पूछे जिनको इस कानून से नफा होने वाला है, तो वे क्या कहते हैं? यह तो उन लोगों की भावना है जिन्होंने इस बिल में जब जब प्रगति की बातें कही गईं तो रोड़े अटकाने की कोशिश की। अभी जो माननीय सदस्य कहते हैं कि इस बिल से किसानों को राहत नहीं मिली। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों को ज्यादा राहत दी जा सकती थी या अधिक राहत दी जाने की व्यवस्था की जा सकती थी उस समय इस तरह से ओब्जेक्शन्स किये गये। बावजूद उन ओब्जेक्शन्स के यह बिल इस मौजूदा हालत में पास किया गया। इस बिल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि सीक्यूरिटी ऑफ टेन्योर्स है, जो कि किसानों के लिये सबसे बड़ी बात है और वह इसमें रखी गई है। जो किसान काश्त करता है उसको बेदखल नहीं किया जा सकता, यदि किन्हीं खास सूरतों में बेदखल किया भी जा सकता है तो उसका प्रोसीजर इतना लम्बा बड़ा रखा है कि कोई खातेदार टिनेन्ट किसी किसान को बेदखल नहीं कर सकता। यदि बेदखल होगा भी तो उसके जिम्मे जितने लगान के पैसे और पैसे बाकी हैं वे राइट ऑफ हो जाते हैं। आम तौर से लेन्ड लोर्ड किसानों को बेदखल कर दिया करते थे उसको इतना व्यवहारिक कर दिया गया है कि अब जमीन किसानों से नहीं छुड़ाई जा सकती। पहले किसान जमीन छोड़कर चले जाते थे। इसलिये खुदकाश्त करने वालों से जमीन छुड़ाना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। गर्ज यह है कि हर सूरत में जो लोग काश्त करते हैं वे किसी भी हालत में बेदखल नहीं होंगे।

किसानों के लिये तीन चीजें होना जरूरी है। सीक्योरिटी आफ टिन्योर, रेन्ट, और जमीन के अन्दर पैदा होने वाली चीजों पर जैसे पेड़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उन पर उनका अधिकार और इस टिनेन्सी बिल में इन तीनों चीजों की गारेन्टी दी गई है। यह जरूर है कि सेक्शन १६ जिसमें सब टिनेन्ट टिनेन्ट के राइट्स के क्वेश्चन कम्पलीकेटेड जरूर हैं और चूंकि यह सारे राजस्थान का प्रश्न है और इसमें खातेदारों को ज्यादा नुकसान नहीं हो, उनको पैसा मिल जावे उसके लिये प्रोविजन है, क्योंकि असल किसान तो वे हैं जो खेती करते हैं। मगर

[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

चूंकि उन्होंने भी पैसा लगाया है और उनको खातेदारी का हकूक था जिसको हम इस बिल के मुताबिक और भारत के संविधान के अनुसार भी उनको मुआवजा देना चाहिये इसलिये उनको कम्पेन्सेशन देने की इसमें व्यवस्था की गई है। राजस्थान में अलग अलग किस्म की जमीनें हैं, इसलिये सब बातों को देखते हुए जो बात इस बिल में रखी गई है वह उचित है हालांकि उसमें कुछ कमियें रह गई हैं।

इस बिल के दफा ३ में यह भी व्यक्त किया गया है कि अगर कोई इस बिल के प्रोविजनों के खिलाफ किसी प्रकार से एग्रीमेंट करेगा या कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वह नल एन्ड वोइड होगा। इसलिये हर एक क्लॉज़ और दफा में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किसानों के हकूकों की रक्षा की जावे। अगर कोई इस को यह कहे कि यह बिल किसानों के अधिकार छीनने वाला बिल है, तो मैं यह कहूंगा कि यह महेज एक भ्रम है। जो भी एक्सटिन्ट बिल हैं वे सब के सब इसमें समावेश हो जावेंगे और जहां तक हो सका है इस बिल को पूर्ण बनाने की कोशिश की गई है, इसलिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिसने तीन-चार साल में महनत करने के बाद ऐसा प्रोग्रेसिव बिल पेश किया। मैं समझता हूं कि इस को पास किया जावे और पब्लिक व किसानों की भलाई को सामने रखते हुए इसको सदन के सामने पेश किया है।

**श्री जयसिंह रानावत**—माननीय अध्यक्ष, इस बिल की उपयोगिता के बारे में जो भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा वह पर्याप्त है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जावे, परन्तु इसके साथ यह निवेदन करूंगा कि इसका अनुवाद हिन्दी में हो तो यह ज्यादा अच्छा साबित होगा।

**श्री तनसिंह**—माननीय अध्यक्ष, ऐसे तो देखा जाय तो इस बिल पर बोलने के लिये काफी समय दिया गया और इसलिये इस पर कोई विशेष बात कहने को नहीं रहती। वैसे तो बारह वर्ष तक लगातार बोलते रहें तो कोई न कोई ऐसी बात रह जाती है जो कहनी हो। इसलिये मैं भी अपना भाषण करते समय एक बात कहूंगा जो यहां रह गई है। यह कानून एक महत्वपूर्ण कानून है और वह काश्तकारों के लिये बहुत हितकर है और इसको पास करने में सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है और मैं तो आपको भी बधाई दूंगा कि आपने भी दो महीनों तक इसका यहां पर धैर्यपूर्वक चिन्तन किया और इसके साथ ही साथ गौर किया है। इसलिये मैं आपको बधाई दूंगा। मैं समझता हूं कि . .

**श्री अध्यक्ष**—To the Minister-in-charge or to the Chair?

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—To both.

श्री अध्यक्ष—I am not going to retire just now.

श्री तनसिंह—मेरा मतलब यह है कि आपको तो धन्यवाद दिया है वह इसलिये कि आप निकट भविष्य में ही किसी आगत विपत्ति द्वारा प्रथक किये जा रहे हो, क्योंकि मेरा अनुमान है, ऐसी किसी विपत्ति का आप पर कोई असर नहीं होगा।

( हंसी )

मेरा मतलब यह है कि आपने जो अधिक समय इस बिल के लिये दिया है उसका सदुपयोग ही हुआ है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें हर व्यक्ति को अधिक से अधिक बोलने का मौका मिला है, जितना भी समय दिया गया उसका सदुपयोग हुआ और जो इस ओर से सुझाव दिये गये उनको मंजूर भी किया गया। अमुमन यह कहा जाता है कि विरोधी दल वाले विरोध के लिये ही बोलते हैं मगर इस बार कई संशोधनों को माना भी, कई संशोधन मंजूर किये गये। मैं अन्त में एक बात यह भी निवेदन करूंगा और वह यह है कि क्लॉज़ १ (ए) शायद भूल से रह गया और पास नहीं हुआ। इसको पहले क्लॉज़ २ से शुरू किया गया और यह कहा गया कि क्लॉज़ १ के बाद में लिया जावेगा, लेकिन जब बाद में लिया गया तो इसको नहीं लिया गया। यह जनरल क्लॉज़ को एप्लाई करने का है और वह रह गया है।

श्री अध्यक्ष—Short title, extent and commencement that has been passed.

श्री तनसिंह—तो मैं इस कानून का जो राजस्थान के किसानों के हित में और गरीब जनता के हित में हमारे सामने आया है उसका हृदय से स्वागत करता हूं और आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इसको पास किया जावे और जो पहले के कानून हैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो इस कानून द्वारा रिपील किए जा रहें हैं।

( हंसी )

श्री कस्तूरचन्द—माननीय अध्यक्ष, आज जो बिल हमारे सामने आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और काश्तकारों के लिये बड़ा ही हितकर व हित करने वाला बिल है, इसके साथ साथ वकीलों का भी इसमें बड़ा भला हो जावेगा। यह बिल अंग्रेजी में है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसकी हिन्दी होने वाली है।

श्री कस्तूरचन्द—अगर यह हिन्दी में होता तो काश्तकारों के लिये ज्यादा हितकर होता। मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल देवताओं का बिल है। मगर बड़े दुःख की बात है कि काश्तकारों को वकीलों के किवाड़ खटखटाने पड़ेंगे और वकीलों का पहले भला करना पड़ेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वकीलों के किवाड ही नहीं हैं।

श्री कस्तूरचन्द —अध्यक्ष महोदय, यह बिल पास होता है तो कुछ जागीरदार लोगों को इस बात के लिये एतराज होता है और उनको दुःख हो रहा है कि आज हमारे हक किसानों की तरफ जा रहे हैं।

वे लोग फिर भी दुःख देने के लिए नहीं रहेंगे। पर किसान लोगों को वकीलों के पास जाकर के अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उनकी जेबों में डाल करके फिर उनका कहीं भला हो सकेगा। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल का हिन्दी भाषा में अनुवाद कराया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो राजस्थान काश्तकारी विधेयक अन्तिम स्वीकृति के लिए माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तावित हुआ है, उस सम्बन्ध में जो विचारधारा पक्ष और विपक्ष की ओर से सामने आई है उसको देखते हुए मैं भी उस सिलसिले में अपने शब्दों में विचार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय अटरू से आये हुए सदस्य ने अपने डिवीज़न का खाका सदन के सामने रखा है और उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अनुसार हमें बताया। यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन राजस्थान की स्थिति को देखते हुए और यहां के काश्तकारों की स्थिति को देखते हुए, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान देहातों में बंटा हुआ है, राजस्थान में वास्तव में जो भूमि को जोतने वाले हैं वे हैं भूमि हीन किसान, वे खुद खेती करते हैं। इस कानून के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने पिछले दो महीनों में विभिन्न धाराओं को पारित कराने के लिए अपना काफी अमूल्य समय दिया है और उन समस्याओं को जो कि उन विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आयी हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, राजस्थान के सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, एक प्रकार से सामाजिक न्याय उनको देने की कोशिश की है। जो खुद हाथ से खेती करते नहीं और किसानों की भावना को ठेस पहुँचने की जो आशंका प्रकट की जा रही है तो मैं मानता हूँ कि भारत के संविधान में जो संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया है और इस सदन ने भी क्लॉज़ १६ के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्रश्न रखा है, उस प्रश्न को किसी प्रकार हल करने की कोशिश की गई है। सभी खुश हो जांय यह तो जरा मुश्किल ही होता है, लेकिन जो कुछ हुआ है आज की स्थिति को देखते हुए, वह काफी है। राजाओं ने अपने राज्य सौंप दिये, जागीरदारों ने अपनी जागीरें सौंप दीं। जमाने की रफ्तार को देखते हुए हृदय परिवर्तन करना होगा। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो लोग हाथ से जमीन जोतने वाले हैं, जो हाथों से कमाई करते हैं और जैसी कि राजस्थान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए मुआवजे की जो चीज रखी है, मैं मानता हूँ कि वह उलझनप्रद हो सकती है, किन्तु उसको मिटाने का हमारा और आपका काम हो सकता है। किन्हीं उलझनों में किन्हीं तत्वों का हक हो सकता है और आलोचना की दृष्टि से आलोचना की जा सकती

[ श्री कंवरलाल जेलिया ]

है, लेकिन उनके समाधान के लिए यदि बड़ा हृदय है तो ये सुलझ जावेंगी। कोई असंभव बात नहीं।

अतः यदि कुल मिला कर देखा जाय तो यह हमें मानना ही पड़ेगा कि भारत के अन्य प्रान्तों में इस प्रकार के कानून बने हैं, कानून पास हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अभी कानून बना है, उसको देखते हुए हम मानते हैं कि राजस्थान की विधान सभा द्वारा भी यह कानून पास हो जाना जरूरी है। भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन की भूमि हीन किसानों के सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था की जो मूलभूत बातें हैं उनको भी इस विधेयक में स्वीकार किया गया है। आलोचना करने वालों को सन्तोष दिलाना मुश्किल है। जिस वर्ग से मेरा सम्बन्ध है, मैं यह अवश्य मानता हूँ कि भूमि हीन किसानों को इससे राहत मिलने वाली है। कानून में जो खामी मानते हैं उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो लोग कानून को नहीं समझते हैं उनको आप, जो कानून जानते हैं, समझाने की कोशिश कीजिये।

माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है। साथ ही साथ मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि जो कानून हम पास करने जा रहे हैं उसका अनुवाद हिन्दी भाषा में कराया जायगा, सरल हिन्दी भाषा में कराया जायगा जो कि सब की समझ में आ सके और ऐसी भाषा में नहीं कराया जायगा जो कानून की दृष्टि से भी अर्थ का अनर्थ हो जाय। मैं आशा करता हूं कि इसका खास तौर पर ध्यान रखा जायगा।

राजस्थान विधान सभा ने जितने कानून पास किये हैं उनमें से पंचायत कानून के अलावा आम जनता से जो सम्बन्ध रखने वाला बिल है, वह यही राजस्थान काश्तकारी विधेयक है और इस दृष्टि से इसका दूसरा नम्बर आता है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हमने दो महीने का जो इसमें अमूल्य समय लगाया है उसका नतीजा हमारे सामने आया है। यह काश्तकारों को राहत पहुँचाने वाला बिल है, अतः मैं इसका समर्थन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि सदन इसको स्वीकृत करे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्रीजी को आपके द्वारा इस बात के लिये बधाई दूं कि राजस्थान में अब तक एक ऐसा कोई कन्सोलिडेटेड टिनेन्सी लॉ नहीं था और वह उन्होंने परिश्रम कर राजस्थान के लिए बनाया, जिसको हम अन्तिम तौर पर पारित करने जा रहे हैं। लेकिन किन किन समस्याओं, किन किन विचारधाराओं और किन किन परिस्थितियों में से होकर वह बिल क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास हुआ है उसकी तरफ ध्यान गये बगैर नहीं रह सकता। जहां तक अभी थोड़ी देर पहले जो यह आक्षेप किया गया था कि इधर बैठने वालों ने जहां काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा हक देने का सवाल था वहां पर हर प्रकार से रोक लगाई और इस बात के लिए एतराज किया कि उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार नहीं दिये जांय। मुझे दुख है और माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अध्याय ४ को ध्यान में लेते

[ श्री जसवंतसिंह ]

वक्त मैंने निवेदन किया कि हमको केवल ख्याली पुलाव या केवल स्वप्न में ही काश्तकारों को अधिकार नहीं देना है, बल्कि हमें वास्तव में काश्तकारों को अधिकार देना है, उनके मालिकी को एक असली हकीकत बनाना है और जो भी हकूक हम काश्तकारों को दें उसका फायदा वास्तविक रूप से अपनी जमीन का उठावें, न कि हम केवल इस कानून के अन्दर, केवल शब्दों के जरिये ही एक वाह वाही लेने की कोशिश करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें। तो यह मैंने निवेदन किया था उस वक्त जब कि अध्याय ४ के ऊपर विचार किया जा रहा था। इस वक्त इस तरह का कोई आक्षेप किया जाता है तो वह बिल्कुल निर्मूल है। शुरू से अखीर तक इस ओर बैठने वालों ने यह प्रयास किया है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा हकूक दिये जांय यह बात आप अवश्य ध्यान में रखें कि जिन लोगों ने जागीरों को छोड़ दिया है अपनी मर्जी से, उनके लिए इस प्रकार का आक्षेप किया जाय कि उन्होंने काश्तकारों को अधिकार देने के लिए कोई रोकथाम की है, तो उनके साथ न्याय नहीं होगा और खास तौर पर मैं इस बात पर ज़ोर देता हूं और उनके स्वार्थ की दृष्टि से निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष, कि इस वक्त वे आदमी जिनके लिए आक्षेप किया गया है वे खुद काश्तकार की हैसियत में हैं और इस वक्त उन पर किसी लान्छन का सवाल ही नहीं है। वे खुद चाहते हैं कि काश्तकारों की हैसियत के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले। इस कानून को पास करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले और इस विधेयक में उसको समावेश करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया गया है और मैं मानता हूँ कि जो आक्षेप किया गया है वह बिलकुल निर्मूल है, निराधार है और साथ ही मैं इस बात को कहे बगैर नहीं रह सकता कि कुछ आदमियों ने, जिनका न काश्त से संबंध है और न काश्तकारों से सम्बन्ध है, उन्होंने नाल बन्ट के नाम पर जरूरत से ज्यादा लगान में फायदा उठाने की कोशिश की है और इस कानून में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रोविजन्स रखाये हैं। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि नाल बंट उनके फायदे के लिए रखा गया है। इसलिए इसका अर्थ यह कदापि न समझा जाय कि इस तरफ बैठने वालों ने अपने पुराने हकूकों को कायम रखने के लिए काश्तकारों को दिये जाने वाले हकूकों में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया है।

अब मैं माननीय अध्यक्ष, इस कानून को जो हमने क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास किया है उसके ऊपर थोडा दृष्टिपात करना चाहूंगा। इस कानून को पास करते वक्त हमें यह अवश्य देखना होगा कि हम इसको पास करने में इम्पार्शियल रहे हैं या नहीं ? केवल हमने इसमें काश्तकारों के हित को देखा है या नहीं ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमने इस कानून में इम्पार्शियल दृष्टिकोण नहीं रखा और इसी दृष्टिकोण से हमने यह कानून भी नहीं बनाया है। इसमें हुआ क्या है कि अलग अलग जगहों से आये हुए माननीय सदस्यों ने अलग अलग तरह के संशोधन दिये, उन संशोधनों को हमने इस बिना पर मन्जूर नहीं किया कि ये सब काश्तकारों के हित के लिये न्यायपूर्ण हैं, बल्कि इसलिये मन्जूर किया कि उनकी ताकत थी और उनको मानना पड़ा। जब यह कानून हम पास कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि हम इसमें कहां तक निष्पक्ष रहे हैं ? अगर किसी

[ श्री जवानसिंह ]

निष्पक्ष व्यक्ति से जांच कराई जाय तो पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार उल्टी सीधी बातों का समावेश कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान क्लॉज़ ४ की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें ग्रोव होल्डर की परिभाषा की गई है। उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर हमने ग्रोव होल्डर को खातेदार टिनेन्ट माना है। और आगे चलकर हमने ग्रोव होल्डर के लिये एक नया अध्याय भी बनाया है। ग्रोव होल्डर को इस तरह से रखा है, जैसे वह टिनेन्ट हो नहीं हो, वह कोई साधारण काश्तकार भी नहीं है, इसलिये उसके लिये अलग से प्रोवीज़न दिया गया है। मैं आपका ध्यान क्लॉज़ १५० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज तक आपने ग्रोव होल्डर को अलावा उसकी परिभाषा के काश्तकार तक नहीं माना है जैसे कि इन धाराओं में प्रोवीजन दिया है।

मैं इस धारा को पढ़कर इस बात को साफ करूंगा। वह धारा इस प्रकार है:—

" 150. Ejectment (1) while the land continues to be grove-land a grove-holder shall be liable to ejectment only on any of the grounds mentioned in section 129 and the provisions of sections 118, 119, 120, 121, 122, 122A and 122B, 130, 130A, 134, 134A and 135, 135A and 135AA shall apply to him as if he were a tenant."

इसका अर्थ तो यह हुआ कि जैसे वह टिनेन्ट ही नहीं था। उसकी टिनेन्ट की हैसियत के लिये अलग प्रोवीजन दिया है, ग्रोव होल्डर को टिनेन्ट मानकर। यह बहुत गलत चीज़ है इससे पहले जो क्लॉज़ हमने पास की है, ग्रोव होल्डर की परिभाषा की, उसमें हमने इस बात को पास कर दिया है:—

"Grove-holder shall mean so long as the grove retains its character, a khatedar tenant or holder of khukasht who has a grove in whole or part of his holding and has got it registered with the Tehsilder."

तो इस प्रकार की कुछ उलट पुलट बातें हमने इस कानून में पास की हैं जो इस ख्याल से पास नहीं की थी कि इन बातों पर हमने पहले से सोच लिया हो, लेकिन जिस वक्त भी ये सवाल उठाये गये उसी वक्त उनको पास कर दिया गया। इस पर सोचने का हम लोगों को ठीक तरह से समय मिला नहीं ताकि हम इस पर सोच सकें। जैसा कि हमने देखा करीब आठ बजे तो हमें सात सात पेज के अमेंडमेंट्स मिलते थे और ९ बजे उनको ले लिया जाता था और उन पर विचार होता था। यह तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने अल्प समय में कौन कितना ठीक नतीजे पर पहुँच सकता है। जिस कानून द्वारा हम राजस्थान के काश्तकारों का भाग्य निर्माण करने जा रहे हैं उसको इतना जल्दी और बिना सोचे समझे पास किया है जिससे इसमें कई प्रकार की भूलें रह गई हैं।

[ श्री जवानसिंह ]

इसके साथ में यह जो कहा जा रहा है कि काश्तकारों को इसमें बहुत हक दिये गये हैं मुझे वाकई खुशी होती अगर काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा हक दिये जाते और उनको अपनी जमीन का पूरा मालिक बनाया जाता। मुझे दुःख है कि जिन पुरानी रियासतों की हर प्रकार से आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि वे बहुत पिछड़ी हुई थीं और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने काश्तकारों के हित के लिये कोई काम नहीं किया, उनकी हर तरह से बुराई की जाती है। मैं जहां तक देखता हूँ कि इन जमीन के मुतल्लिक जो जमीन पर खेती करते हैं उनको किस प्रकार खातेदारी के हक दिये गये हैं। जैसा कि अभी मेरे एक पूर्व वक्ता ने बताया कि कोटा रियासत में आज के बनिस्बत वाकई ज्यादा हक हांसिल थे, बनिस्बत इस कानून की तहत आज हम जो देने जा रहे हैं। वाकई में यह सत्य है कि पुरानी रियासतों में आज की अपेक्षा ज्यादा हक काश्तकार को हांसिल थे। हमने मौजूदा कानून द्वारा ज्यादा से ज्यादा काश्तकार बनाने की कोशिश की है यह तो मैं मानता हूँ। पुराने वक्त में जो खातेदारी के हक थे उनसे कम इस कानून द्वारा दिये गये हैं। इसके साथ २ पुराने जमाने में जो काश्तकारों को अपनी जमीन पर हक थे वे इसमें नहीं मिले हैं। जैसे ट्रान्सफर के सिलसिले में, अपनी जमीन को बेचने के सिलसिले में, या शिकमी तौर पर देने के सिलसिले में समझ लीजिये, इसमें हर प्रकार की पाबन्दी लगाई गई है, इससे क्या हुआ कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन का ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता, इस प्रकार के प्रतिबन्ध इसमें लगाये गये हैं। मेरा यह मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की जायदाद है तो उसको हर प्रकार से भोगने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। जब हम इस प्रजातन्त्र में हर प्रकार की स्वतन्त्रता की मांग करते हैं तो क्या आपको परेशानी होती है काश्तकारों को उनकी जमीन का पूरी तरह उपभोग करने न देने में, ऐसी कौनसी परेशानी है जिस कारण हम यह बात इस कानून में समावेश नहीं कर रहे हैं ? मुझे दुःख है कि इस प्रकार का समावेश नहीं किया गया। इसलिये हर काश्तकार उस जमीन के ऊपर ट्रान्सफर के सिलसिले में या बेचने के सिलसिले में अपने अधिकार का पूरी तरह उपभोग नहीं कर सकता। इससे क्या होता है कि वह अपनी जमीन का पूरी तौर से फायदा नहीं उठा सकता। जहां तक गिरवी रखने का सवाल है बीस से दस साल तक के लिये कम कर दिया गया है और इतने ही अर्से के लिये गिरवी रख रखता है। मेरा यह निश्चित मत है कि जमीन गिरवी रखने के एवज़ में ज्यादा से ज्यादा पैसा भी मिल सकता है अगर उसकी लिमिट फिक्स न हो तो। इसलिये केवल मोर्टगेजी के लिये जो रोका है वह काश्तकारों के हक को बढ़ाने के बजाय उल्टा कम करने वाला है। अगर हम इस नजर से इस कानून को देखते हैं तो हमको इस कानून में ऐसा पता चलेगा कि रियासतों के वक्त में जो हक थे उन से भी कम हक न दिये गये हैं। जो यह कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हक दिये गये हैं बिल्कुल गलत बात है। इक्वाईयली अगर हम देखें तो जब किसी व्यक्ति की शहर में जायदाद है, जब वह शहरी जायदाद का पूरी तौर से उपभोग कर सकता है, तो फिर गांव वालों को अपनी जमीन जायदाद के उपभोग करने में क्यों रोक लगाई जाय ? क्या जब शहर वाले को अपनी जायदाद पर हक है तो क्या गांव में काश्त करने वाले का उसकी जमीन पर हक नहीं है ? क्या वजह है कि इस कानून द्वारा

[ श्री जवानसिंह ]

यह पाबन्दी लगाई जाय कि कोई भी काश्तकार तीस एकड़ से ज्यादा जमीन इकट्ठी काश्त नहीं कर सकता ? इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी इशारा किया था। आप इस बात की दुहाई देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा से ज्यादा हक इस बिल द्वारा दिये हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है किस अध्याय और किस क्लॉज़ को आप कह रहे हैं जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये हैं ? इस बात को मैं अवश्य मानता हूं कि जो आर० पी० टी० ओ० का काफी असर था वहां उन काश्तकारों को उस जमीन के ऊपर कब्जा रखने का एक मौका दिया गया था ताकि बाद में जाकर हक निश्चित कर सके। वास्तव में उस जमीन पर काश्तकार का कब्जा है या उसका हक है या नहीं ? इस बात का मौका देने के लिये कि काश्तकार को यह मौका दिया जाय कि वह अपना हक प्रमाणित करे आर० पी० टी० ओ० उसको कायम रखा गया।

मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके सामने ऐसे कितने ही उदाहरण रख सकता हूँ जिसमें बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जिनको किसी कारणवश थोड़े समय के लिए अपनी जमीन किसी दूसरे काश्तकार को देनी पड़ी और इसके बाद में जब वापिस लेने का अवसर आया तो इस कानून ने ऐसी धारायें पास कर दीं कि वह अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता। पहले आर० पी० टी० ओ० भी उसकी मदद को मौजूद था पर अब तो कानून ही ऐसा बना दिया गया है।

पर इस कानून में भी आर. पी. टी. ओ. की तरह ऐसा मौका होना चाहिये असल काश्तकार को कि अगर वह चाहे तो वह जमीन उसके उस वास्तविक मालिक को मिल सके। पहले उसको लेने का मौका होना चाहिये और अगर वह स्वयं न लेना चाहे तो बात दूसरी है। पर इन बातों की ओर इस कानून में कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने इन बातों को नजर अन्दाज किया और उन काश्तकारों को हक दिया जिन्होंने एक वक्त में वह जमीन किसी तरह से उसके असल मालिक से हथिया ली या पुराने जमाने में जो सबलेटिंग का कानून था उसके मातहत ले ली, पर अब देना नहीं चाहते हैं। तो इस कानून से उन आदमियों को जो असल में उसके मालिक थे हट जाना पड़ा और उन नये आदमियों को जिन्होंने किसी तरह से या तो हथिया ली है या सबलेटिंग में ले ली है अधिकार मिल गया है उस जमीन पर, जैसी कि धारायें इस कानून में हमने पास की हैं उनके अनुसार वापिस नहीं ली जा सकती। तो ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी इस कानून में हैं कि जो एक दूसरे से टकराती हैं और इस तरह किन्हीं मुख्तलिफ कारणों से हमने इस चीज़ को पास किया है। और ये सारी बातें बिलकुल साफ जाहिर हैं। कोई भी निष्पक्ष आदमी जब इस कानून को पढ़ता है तो उसे ये बातें साफ मालूम हो जाती हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि आखिर में इस कानून को हम जब पास करने जा रहे थे तब ट्रेसपासर की डेफीनेशन को जरूर अमेन्ड किया था और अगर कोई दुहाई इसकी मांगे तो अवश्य देने को तैयार हूं, कि इस सरकार ने ट्रेसपासर के

[ श्री जवानसिंह ]

हित में कोशिश की है और ज्यादा से ज्यादा फेसीलिटी उसको दी है। परेशानी तो यह है कि जिनके पास जमीन चली गई है और जो असल में एन्टाइटिल्ड है वह जमीन वापिस लेने के लिये, वह भी अगर वापिस जमीन लेने जाय तो उसे नहीं मिले। उसके मिलने का जो पुराना प्रोवीजन था, पुराना कानून था वह भी इस कानून के पास करते वक्त डिलीट कर दिया गया। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि यह सरकार ट्रेसपासर की हिमायती है और उसने जरूर इस बात की कोशिश की है कि ट्रेसपासर को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले और इसलिए ट्रेसपासर की हिमायती सरकार यह अवश्य कही जा सकती है।

लेकिन इन सब बातों के साथ २ मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस राजस्थान में विभिन्न प्रकार के टिनेन्सी कानून, दस तरह के कानून लागू थे, उनको बजाय अब यह एक कन्सोलिडेटेड कानून आया है और इसको हम पास करने जा रहे हैं और मुझे इस बात की कम से कम खुशी है कि अब इतने सारे कानूनों के बजाय और दुनिया भर के Self Contradictions होते हुए भी यह एक कानून बन गया है। टिनेन्सी में कोई निश्चित कानून भी नहीं था, इसकी जगह कम से कम यह कानून आ तो गया। यह जरूर है कि इसके गर्भ में एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखने वाले प्रोवीज़न्स इसमें अवश्य आ गये हैं और बहुत जल्दी ही हमें सुधार इसमें लाने होंगे, क्योंकि इसके बिना यह कानून चल नहीं सकता। पर फिर भी नहीं होने से कुछ होना अच्छा ही है और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसको किसी प्रकार से भी हो इस वक्त पास किया जावे। वैसे सरकार के लिये यह लाजिमी हो जावेगा कि जरूरी सुधार वह अवश्य लावे और बहुत जल्दी लावेगी।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी बिल सदन में करीब दो माह तक चला और इसके दो वाचन पास हो गये और आज इसका तीसरा वाचन पास हो रहा है।

राजस्थान टिनेन्सी बिल में टिनेन्ट्स की जैसी स्थिति है और टिनेन्ट्स के प्रोटेक्शन के वास्ते जैसे प्रोवीजन्स हैं, उनको देखते हुए तो सन्तोष गिना जा सकता है। परन्तु इसमें तो सिद्धांत का ही मतभेद है। इससे पहले राजस्थान में टिनेन्ट्स और रेन्टस जैसी बात नहीं थी। पर अब इस कानून के अनुसार राजस्थान में जो यूनिफोर्मिटी लाने का प्रयत्न किया गया है इससे ऐसा हुआ है कि कई हिस्सों में तो काश्तकारों को अधिकार मिल रहे हैं और कई हिस्सों में जो अधिकार पहले उनको थे वे उनसे छीन लिये गये हैं। इस कानून द्वारा ऐसी यूनिफोर्मिटी लाकर तो हम उस कहावत को चरितार्थ करते हैं जिसमें कहा गया है कि सबको एक लाठी से हांकना।

इस बिल को जब हमने अच्छी तरह से देखा तो प्रतीत हुआ कि हमने जमीदारी सिस्टम जिन प्रान्तों में प्रचलित है उन्हीं की इस कानून में ज्यादा से ज्यादा नकल करने की कोशिश

[ रावत श्री शम्भूसिंह ]

की है । हमने हमारे राजस्थान में जो विशेषता थी, यहां काश्तकारों की जो स्थिति थी और काश्तकारों को जो दर्जा, जो स्थान प्राप्त था, उस स्थान से उन काश्तकारों को गिराकर टिनेन्ट, किरायेदार और रेन्ट पेयर जैसे एक निम्न स्तर व निम्न स्थान पर ला बैठाया है । रेन्ट पेयर यानि किराया देने वाला काश्तकार । रेन्ट पेयर और किराया देने वाला जैसे शब्द काश्तकार के साथ हमारी राजस्थानी भाषा में जुड़े हुए नहीं थे । काश्तकार हांसिल, भोग, वगैरह देता था । लाग भी देता था । पर यह रेन्ट क्या ? रेन्ट तो वह होता है जब कि किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति को वह उपभोग करता हो और उस उपभोग के रूप में रेन्ट देता हो । इससे तो यह सिद्ध हुआ कि जमीन काश्तकार की निजी सम्पत्ति नहीं रही और वह तो केवल एक रेन्ट देने वाला किरायेदार हो गया, टिनेन्ट हो गया । तो मैं तो इस टिनेन्ट शब्द को ही काश्तकार के वास्ते एक अपमान की बात मानता हूं । काश्तकार जो वास्तव में भूमि का स्वामी था उसको हमने हमारी जो ओरीजिनेलिटी और हमारी जो मौलिकता थी उससे वंचित कर दिया है । यह मौलिकता खोकर और दूसरे राज्यों के कानूनों की नकल करके आज हमने अपने काश्तकार को किस स्थिति में ला बिठाया है यह सोचने की बात है ?

भारत में सब जगह जमीन्दारी सिस्टम तो नहीं है । कई भागों में रैयतवारी सिस्टम भी है । पर हमने केवल जमीन्दारी सिस्टम और जमीन्दारी सिद्धान्त के अनुसार खेती करने वालों की नकल की, हमने यह देखने का कष्ट नहीं किया कि मद्रास और बम्बई जैसे प्रान्तों में जहां रैयतवारी सिस्टम है, वहां क्या स्थिति है किसान की, वहां क्या किस तरह का कानून है और उसकी क्या २ अच्छाईयां हैं ? और फिर हमारे यहां स्वयं के प्रान्त राजस्थान में जहां किसान को आज के इस टिनेन्ट और रेन्ट पेयर वाले किसान से कहीं अधिक अधिकार प्राप्त थे उनके समक्ष दूसरे हिस्सों में यह हो सकता है कि जहां जमीन्दारी सिस्टम होने के साथ २ किसान की स्थिति रेन्ट पेयर जैसी रही हो पर हमें तो इन सब को देखकर आम किसान को सारी स्थितियों से ऊपर उठाकर उन लोगों जैसी स्थिति में लाना चाहिये था इस कानून के द्वारा कि जो अधिक अधिकार का उपभोग करते थे । परन्तु हमने यह नहीं करके यह किया कि उन अधिक अधिकारों का उपभोग करने वालों को भी एक ही लाठी से हांका जिसका परिणाम यह हुआ कि वे अधिक अधिकारों का उपभोग करने वाले भी कम अधिकार वाले रेन्ट-पेयर किसान की स्थिति में ला बिठाये गये ।

तो, अध्यक्ष महोदय, काश्तकार सरकार को केवल रेन्ट ही नहीं देते थे, बल्कि रेवेन्यू भी देते थे, और जागीरदारों को गवर्नमेंट के फन्क्शन एक्सरसाइज़ करने के अधिकार थे, और जागीरदार काश्तकारों से केवल रेन्ट ही नहीं लेते थे, बल्कि रेवेन्यू भी लेते थे । मगर हमने हमारे राजस्थान की जो मौलिकता थी उसको खोकर दूसरे प्रान्तों की नकल की है । यह सन्तोष हो सकता है कि यू. पी. में जो अधिकार हैं उनसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उनसे ज्यादा अधिकार दिये हुए हैं, मगर आखिर रखा तो टिनेन्ट ही उसको, रेन्ट पेयर ही । इस दृष्टिकोण से इसमें अधिक सन्तोष प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

[रावत श्री शम्भू सिंह]

अब जिस स्थिति में यह बिल पास हुआ है उस स्थिति में इसको देखेगें तो इसमें कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि टिनेन्ट को पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लैन्ड होल्डर्स के मुकाबले में टिनेन्ट को जहां प्रोटेक्शन देने की इसमें कई जगहे बातें हैं, वह प्रोटेक्शन, यदि स्टेट कोई भी काम करे तो, मेरे ख्याल से, जैसे कि रेन्ट होल्डर के मुकाबले में टिनेन्ट को मिला हुआ है, गवर्नमेंट के मुकाबले में क्या टिनेन्ट को मिलेगी, मेरी समझ में इस बिल में कोई ऐसा विधान नहीं है कि गवर्नमेन्ट के मुकाबले में टिनेन्ट को कोई प्रोटेक्शन दिया हुआ हो। मैं देखता हूं कि गवर्नमेन्ट को खुली छूट दे दी गई है कि जिस तरह से चाहे वह अपना बर्ताव काश्तकारों के साथ करे। केवल रेन्ट होल्डर्स के मुकाबले में प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, और बहुत सी बातें हैं। एनहान्समेंट जैसी भी व्यवस्था की गई है। काश्तकारों के लगान में जहां फिक्सिटी का दावा करती है, रेन्ट के एनहान्समेंट के लिए विधान कर दिया गया है कि जब चाहे लगान बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा काश्तकार को अपनी सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में भी हमने न ट्रान्सफर के पूरे राइट्स दिये हैं और न उसके ऊपर प्रतिबन्ध सबलेटिंग इत्यादि के द्वारा, जैसा कि अपनी सम्पति के पूरे उपभोग के सिलसिले में होना चाहिए उसमें विधान है, बहुत भारी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और इन प्रतिबन्धों का नतीजा यह हो सकता है कि काश्तकारों के दरमियान में मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी और भूमि का बन्दोबस्त ठीक तौर से नहीं होने के कारण देश का उत्पादन घट जाय। तो, अध्यक्ष महोदय, इन बातों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस बिल को पूरा सन्तोषजनक नहीं कह सकते।

इसके बाद जब हम इस बिल पर विचार करते हैं तो जहां प्रोप्राइटरी राइटस हैं जो कि काश्तकार में पूरे वेस्ट होने चाहिए वे अब स्टेट में वेस्ट होने जा रहे हैं। यह हम कुछ कम्युनिस्ट देशों की नकल करने जा रहे हैं। जैसा कि कम्युनिस्ट देशों में काश्तकारों की कोई निजी जमीन नहीं होती है, तमाम जमीन स्टेट कि होती है और वहां काश्तकार सिर्फ उसमें खेती कर लेता है, स्टेट के वास्ते। इसी प्रकार का कुछ हम कदम उठा रहे हैं कि जो प्रोप्राइटरी राइट्स काश्तकारों के हाथ में थे उन प्रोप्राइटरी राइट्स को हम स्टेट में वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी यह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि टिनेन्टस का जहां तक सवाल है यह कुछ हद तक इस बिल में किसी प्रकार से संतोषजनक कहा जा सकता है बावजूद उन खामियों के जो इसमें रख दी हैं, और पहले से जो अधिकार उपभोग करते आ रहे थे, वह अधिकार नहीं रहे हैं, हां, यह बात जरूर है कि जहां जमींदारी सिस्टम हैं, उन प्रान्तों के मुकाबले में उनके समकक्ष कहा जा सकता है। जो राजस्थान में किसान की विशेषता थी और किसानों के विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको देख कर, अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि कोई प्रोटेक्शन

[ रावत श्री शम्भूसिंह ]

नहीं दिया गया है। इस बिल के वर्तमान रूप को संतोषजनक नहीं कह सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि समय समय पर इसमें सुधार होकर यह संतोषजनक हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष—वर्तमान स्वरूप को पास करें या नहीं करें यह कहना चाहिए। मैं सदन के माननीय सदस्यों के वाद विवाद में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उनको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि यह थर्ड रीडिंग है। इसमें जनरल डिस्कशन ऑफ प्रिन्सीपल्स नहीं हों, और इसमें जो वाद विवाद हो वह इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये जांय कि इस बारे में उनकी राय कुछ होनी चाहिए। यह कारण है और इन कारणों से इस बिल को स्वीकार किया जाय या इस बिल को इन कारणों पर अस्वीकार किया जाय। साफ दृष्टिकोण उनका होना चाहिए। हाफ हार्टेडली नहीं होना चाहिए. जैसी कि बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। प्रारम्भ में मैं समझ नहीं सका कि वे पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में और अन्त में न वह यह कह पाये हैं कि इसको पास किया जाय या पास नहीं किया जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता इस बिल के ऊपर टकटकी की निगाह से देख रही है जो कि तीसरे रीडिंग के रूप में हमारे समक्ष है और जनता का उत्साहपूर्वक देखना भी वाजिब है, क्योंकि राजस्थान की ८० प्रतिशत से अधिक जनता मुख्यतया भूमि पर आश्रित है।

इस बिल के आने से पूर्व हमारी रियासतों में अलग २ टिनेन्सी लॉज़ मौजूद थे। परन्तु उदयपुर और कई रियासतें थीं उनके अन्दर टिनेन्सी एक्ट मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद हमारे राजस्थान के निर्माण के बाद कई ऐसे एक्ट्स पास हुए जिनके कारण हमारा राजस्थान भूमि सुधार में बड़ी प्रगति पर पहुंचा। यहां तक कि प्लानिंग कमीशन ने कहा कि राजस्थान भूमि सुधार के मामले में बहुत हो आगे है। तो जिस वक्त यह बिल लाया गया और जिस रूप में यह लाया गया और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में रखा गया और सिलेक्ट से आने के बाद जो पास हुआ तो सबसे बड़ा चीज जो हमें दिखाई दी वह यह है कि जो पहले क़ानून चले आरहे हैं और बाद में सुख सुविधा कृषकों को दी गई हैं उनके अन्दर कोई कमी तो नहीं हुई है और दूसरी बात जो हमने देखी थी वह यह है कि इस भारतवर्ष के अन्दर जो भूमि सम्बन्धी नीति चल रही है उसके साथ यह बिल कहां तक कारागर बैठता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में यह बिल यहां पेश किया गया था और जिसके बाद जिस रूप में सिलेक्ट कमेटी में रखा, कई ऐसे मुद्दे थे कि उनको अगर देखें तो, मैं निवेदन करूंगा कि, वह रिट्रोग्रेसिव स्टेप्स थे और उनके बारे में कुछ लोगों ने और खास तौर से हम नौजवानों को काफी चिन्ता थी, और माननीय राजस्व मन्त्री को मुबारकबाद देता हूं कि जो स्थिति पहले थी उससे उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

माननीय अध्यक्ष, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जो अधिकार पहले से किसानों को थे उनमें काफी कमी की गई है और खास तौर से उनका कहना है कि पहले प्रोप्राइटरी राइट्स थे उनमें कमी की गई है। कई रियासतों में किसानों को बापीदार कहते थे, कई रियासतों में खंडदार कहते हैं, कहीं खातेदार कहते हैं, तो केवल नाम की फेर-फार से यह नहीं कहा जा सकता कि उनके अधिकारों में कमी की गई है। लेकिन उनके नाम—करण में जो अधिकार दिया है उसको देखना है कि आया उनसे किसानों के अधिकारों में कमी तो नहीं हुई है? इस बारे में किसानों को हक दिया गया कि वे अपनी जमीन को बेच सकते हैं, लेकिन ३० बीघा से कम है तो नहीं बेच सकते। इसके साथ ही मोर्गेज करने का अधिकार दिया गया है और एक्सचेन्ज करने का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन इस में यह बात देखी गई है कि किसानों को हर तरह से शोषण से बचाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह विदित है कि आज किसानों की भूमि को रहन रख कर कई लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। पहले ६० वर्ष तक जो रकम बाकी रह जाती थी उसके बजाय अब १० वर्ष में ही मोर्गेज समाप्त हो जायगा। ऐसा प्रोवीजन हिन्दुस्तान की और किसी स्टेट के कानून में नहीं रखा गया है। अधिकारों में जो कमी की गई है वह इसलिये की गई है कि किसानों को शोषण से बचाया जाय। जिनकी आजिविका का मुख्य साधन भूमि है उसको समाप्त नहीं किया है। ऐसा नहीं होने दिया है कि एक ही व्यक्ति के अधिकार में इतनी भूमि आ जाय कि उसका दुरुपयोग करने लगे और दूसरों से खेती कराकर शोषण करे या मुनाफा उठावे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कमियें इसलिये की गई हैं कि काश्तकारों को शोषण से बचावें। उनको उस जुल्म से बचाना है जो उन पर जमीन्दार और दूसरे व्यौपारी करते हैं। इसके साथ ही इस बिल में जो सबसे बड़ी चीज है वह शायद हिन्दुस्तान के दूसरे किसी स्टेट में नहीं है, वह है शिकमी काश्तकारों को खातेदारी राइट्स देना। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स टेम्पोररी फेज़ था। जिस वक्त वह लागू हुआ उस वक्त जिनका जमीन पर कब्जा था उनको हक दे दिया गया है कि वे खातेदारी राइट्स प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के कारण बिना मुआवजा दिये राइट प्राप्त नहीं किया जा सकता वरना इधर के लोगों की राय तो यह थी कि बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये यह अधिकार दिया जाय, क्यों कि जमीन जिन के कब्जे में है उन्हीं की मिलकियत बननी चाहिये लेकिन संविधान की दिक्कत के कारण ऐसा नहीं कर सके। जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल प्रस्तुत हुआ था उस समय कुछ शंका होती थी कि किसान कभी खातेदारी हक प्राप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो बात सदन ने पास की है उसे देखें तो पता चलेगा कि किसानों को बहुत सहूलियतें दी गई हैं। जब तक खातेदारी प्राप्त करने के लिये रकम नहीं देता तब तक के लिये लगान अलग देता और किश्तों के रूप में अलग देता, इससे काफी तकलीफ होती। उसके बजाय यह कर दिया गया है कि रकम मुकर्रर कर दी गई है। वह रकम किश्तों के रूप में मय लगान दे दी जायगी। ये बातें है, जो मुझे मजबूर करती हैं यह कहने के लिये कि हमारा यह टिनेन्सी

[श्री सोहनलाल भटनागर]

बिल दूसरी रियासतों की बनिस्बत बहुत ही अग्रिम कदम रखता है। हमारा लेजिस्लेचर नया जरूर है। इसमें मुमकिन है शब्दों का जाल ऐसा हो जिनके कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़े लेकिन किया क्या जाय? कानून का राज्य है। कानूनी पोइन्ट्स अदालतें ही तय करेंगी।

इसमें कई बातें रह भी गई हैं जिनको सदन और देखता तो यह कानून और भी प्रगतिशील होता और किसानों को ज्यादा फायदा पहुँचता। इसके साथ ही कई एक्टस रिपील होंगे। उसके साथ ही रिमूवल ऑफ ट्री ज़ऑर्डिनेन्स खत्म होगा और काश्तकारों को लकड़ी काटने का जो अधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया है। दूसरी खामी कम्पेन्सेशन के तरीके में है। जब किसान को मुआवजा देते समय या भूमि की कीमत देखते हुए कम्पेन्सेशन की दर मुकर्रर की जायगी उसके बाद दूसरे इम्प्रूवमेन्ट का कपेन्सेशन और दिया जायगा, यद्यपि यह रखा गया है कि कुए का कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इंप्रूवमेंट का अलग कम्पेन्सेशन देना किसानों पर भारी बोझ होगा। जो मध्यम वर्ग के छोटे छोटे लोग हैं और जिनके पास जमीन है लेकिन जो पुराने धंधों के कारण खेती नहीं करते हैं उनको भी मौका दिया गया है कि वे या तो जमीन को छोड़ दें या खुद उसमें काश्त करें। इसके लिये काफी समावेश है। आज मध्यमवर्ग के लोगों की हिन्दुस्तान में हालत खराब है। उसको देखते हुए सब टिनेन्सी के अधिकार दिये हुए हैं ताकि पांच वर्ष में वह मध्यमवर्ग का किसान खुद खेती करने लग जाय।

इसके अलावा बीज आदि के लिये चौथा बांटा लगाया गया है जो मध्यमवर्ग के लोग जमीन के मालिक हैं उनके लिये मौका है कि या तो वे खेती करें या जमीन छोड़ दें।

इसके अलावा कुछ बातें और थीं जो बिल पास होने से पहले रखी गई थीं कि जिनका एक दिन का भी कब्जा जमीन पर है वे खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो विलेज सर्वेन्ट्स हैं और जिनके पास सेकड़ों और हजारों वर्ष से खेती करने का काम और दो चार या दस रुपयों में ही वे सेवा अर्पित करते हैं गवर्नमेंट को या जमीदारों को, उनके लिये प्रोविजन रखा है कि यदि वे सेवा नहीं करेंगे तो बेदखल करदिये जायेंगे। ऐसा करना उनके लिये हार्डशिप होगी। ये छोटी मोटी चीजें और भी आगे स्पष्ट हो सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा मुद्दे की बातें जो सदन के समक्ष रखी हैं उनको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि बिल जैसा है वैसा पास कर दिया जाय।

**श्री संतोषसिंह कछवाहा**—अध्यक्ष महोदय, जो सदन के समक्ष बिल पेश हुआ है उसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत से सदस्यों ने काफी कहा है और बहुत से सदस्य यहां तक कह गये हैं कि यह बिल बहुत अच्छा है और मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि मंत्रीजी उस हद तक बधाई के पात्र हैं कि राजस्थान में बहुत सी रियासतें थी उनमें कई तरह के टिनेन्सी बिल चल रहे थे उन सब को एक में समावेश करके यह एक बिल बनाया है लेकिन बिल बनाने से पहले यहां के कृषक वर्ग को अनपढ़ देखकर इस बिलको हिन्दी भाषा में लाना चाहिये था

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

ताकि दूसरे लोग भी अपने विचार इस पर रख सकते। यह बताया गया कि समय बहुत लगा है तो समय के साथ धन भी बहुत लगा है। जितना धन और समय लगा है उतना जरूरी यह बिल नहीं था क्योंकि जागीरें खत्म हो रही हैं, इसलिये इसकी जरूरत नहीं थी, अब जबकि लैण्ड रेवेन्यू बिल आ रहा है वह सारी बातों को पूरा कर देता। इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करते समय यह देखा गया है कि इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य दिलचस्पी नहीं लेते थे।

**श्री अध्यक्ष**—आप इस बिल के बारे में कहिये, दिलचस्पी लेनेनलेने की बात का क्या ? Advance arguments in favour of or against the Bill.

**श्री संतोषसिंह कछवाह**—यह जो बिल बनाया है वह बहुत लेंग्दी बनाया है, जो कि किसी की समझ में नहीं आता (हंसी) यहां तक कि वकीलों की समझ में भी नहीं आता। और इस बिल के बारे में यह कहा गया कि इस बिल से काश्तकारों को बहुत अधिकार दे दिये हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इसमें काश्तकारों को ज्यादा अधिकार नहीं दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह कहें कि इसके पक्ष में बोलो (हंसी)

**एक माननीय सदस्य**—पक्ष में या विपक्ष में ?

**श्री संतोषसिंह कछवाहा**—विपक्ष में कहो तो मैं विपक्ष में ही बहूँगा। हर एक सदस्य इस बिल के अन्दर खामियां बतला रहा है। इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसे पास नहीं किया जाय। जब तक उन खामियों को पूरा नहीं किया जायगा यह बिल किसानों को रौंदने वाला होगा। यह जो बिल पेश किया गया है तो वह द्वेष की भावना से पेश किया गया है, कई ज किसानों को जो हक थे वे इसमें नहीं रखे गये हैं। ओन दी होल (on the whole) किसानों को जो पहले हक थे उनको हटा दिया गया है इसलिये, माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी में टिनेन्सी बिल पास नहीं करके इस पर और विचार करें और माननीय सदस्य जो बार बार खामियां बता रहे हैं उन खामियों को दूर करके फिर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करें।

**श्री मोतीलाल चौधरी**—माननीय अध्यक्ष, हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश, खास तौर से भूमि सम्बन्धी कानूनों को देखते हुए जागीरी या जमींदारी से जर्जरित देश, राजस्थान, के अन्दर आज हम एक प्रगतिशील कानून बनाने जा रहे हैं। वास्तविक तथ्य तो यह है कि हिन्दुस्तान के उन इलाकों से जो कि इस इलाके से बहुत आगे कहे जाते हैं और आगे उन्नतिशील माने जाते हैं उनसे भी ज्यादा उन्नतिशील कानून हम उस देश में बनाने जा रहे हैं, जहां कुछ हिस्सों में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी।:

[श्री मोतीलाल चौधरी]

कुल २२ रजवाड़ों में से सिर्फ ५ या १० रजवाड़ों के अलावा दूसरे रजवाड़ों के अन्दर राजा का मन और जागीरदारों की इच्छा के अनुसार ही काम होता था। उस देश के अन्दर एक यूनीफाइड कानून और एक तरह का कानून बना कर किसानों को राहत दी जा रही है। १,५५,००-००० जनता से सीधा ताल्लुक रखने के कारण यह कानून राजस्थान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कानून है, यह राजस्थान की आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति करने वाला कानून है। ऐसा कोई कानून राजस्थान में आज तक पास नहीं हुआ जिसके द्वारा राजस्थान की जनता के राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को पेश किया गया हो।

कोटा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पंचायत एक्ट के बाद यही एक दूसरे नम्बर का कानून है जो राजस्थान की जनता को राहत देने वाला है। मैं तो पंचायत एक्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कानून और राजस्थान का सबसे पहले नम्बर का कानून इस कानून को मानता हूं। पंचायत कानून राजस्थान की जनता के आपसी झगड़ों को निबटाने का कानून है और यह कानून हर जनता की रोटी रोजी को बनाने का कानून है, इसलिये यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर जितने ऐसे कानून बने हुए हैं उनसे सब ज्यादा प्रोविजन्स किसानों के फायदे के लिये रखे गये हैं जो दूसरे कानूनों में नहीं पाये जाते।

हालांकि इसमें कुछ खामियां रही हैं जो कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर जो कानून हैं उनमें भी हैं, वह आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की एग्रेरियन पोलिसी के कारण हैं। इस संस्था की जमीन सम्बन्धी नीति है उसके अनुसार हम एक कदम पीछे चल रहे हैं, फिर भी हमारा यह कानून और प्रान्तों के इस तरह के कानूनों से सब से ज्यादा प्रगतिशील है। उधर बैठे हुए एक माननीय सदस्य जिनकी कोन्स्टीट्यूएन्सी का नाम मैं नहीं जानता पर जो लाल पगड़ी बांधे हुए हैं, उन्होंने इस कानून को लाल झन्डे का कानून का नाम दिया था और कहा था कि यह कोम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरह का कानून बना रहे हैं। लाल झंडे का हमें डर था पर लाल पगड़ी धारण करने वालों को लाल झंडे का डर क्यों हुआ ?

अब जो इस कानून के अन्दर खामियां बताई गई हैं उनके बारे में मैं, और जो शंकाएं इस कानून के बारे में माननीय सदस्यों को हुई हैं उनके सम्बन्ध में कहूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को यह शंका हुई है कि किसानों को भलाई इससे होगी या नहीं। इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि उनकी यह शंका निर्मूल थी। किसानों के हकों की बात कह कर आपने अलंकारिक भाषा में जो रिप्रेजेन्टेशन किया है कि इससे किसानों को हकूक नहीं मिलेंगे यह कह कर जो भावना प्रकट की है, एक तथ्य का रिप्रेजेन्टेशन किया है, इसके लिये उनको भाषा की दृष्टि से उनको धन्यवाद देना चाहिये। वास्तव में उनका दिल, मन और इच्छा क्या थी और क्या हो रहा है, इस कानून में उनकी भाषा के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। वास्तव में वे जानते हैं कि यह कानून कितना प्रगतिशील है।

[ श्री मोतीलाल चौधरी ]

इस कानून के अन्दर वे सब बातें मौजूद हैं जो कि एक प्रगतिशील कानून के अन्दर होनी चाहिये। किसानों को क्या क्या हक होने चाहिये और उनके हकों के प्रोटेक्शन के लिये "securty of tenure, fixity of tenure and right of improvements and protection from threats and invasion of ejectment." और हर किसान को रहने के लिये मकान बनाने की सुविधा और इस देश के अन्दर राजस्थान के अन्दर एक पीढ़ियों से चली आती हुई जागीरदारी द्वारा लाग-बाग लेते आ रहे थे। उन लाग बागों का अन्त और जमीन को किसान की मंशा के माफिक मोर्गेज करने और बेचने का अधिकार दिया है, वह बहुत सुन्दर ढंग से दिया गया है। विरोधी दल के सदस्यों ने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए अपनी सुन्दर भाषा में कहा है कि कोटा में, सिरोही में, किसानों के जो हकूक थे उन हकूक को इस कानून के मातेहत नहीं दिया गया है और उन हकों में रुकावट की है, ट्रान्सफर के राइट्स में, मोर्गज के राइट्स में कमी की गई है। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इस तरह के शब्दाडम्बर में पड़ कर सत्य चीज़ को रोकना उचित नहीं। इस कानून के अन्दर जमीन बेचने के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन्स रखे गये हैं, पर वे रेस्ट्रिक्शन्स किसानों के फायदे के लिये ही रखे गये हैं।

यह कानून राजस्थान की आर्थिक हालत में उन्नति करने वाला है। जो देश सुसंगठित होना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, तो पहले उस देश की जनता को आर्थिक दृष्टिकोण से ऊंचा उठाने के कार्य करने पड़ते हैं। इस बिल में यह रखा गया है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन अगर किसी किसान के पास है और वह इससे ज्यादा को बेचना चाहता है तो वह ३० एकड़ से ज्यादा जमीन को बेच सकता है। मोर्गेज के अन्दर भी यही रखा गया है कि सेठ साहूकार या पैसे वाले या दूसरे लोग जो बाहर से आकर मोर्गेज कर लें और किसानों को उचित फल उनकी मेहनत का नहीं मिले इसी उद्देश्य से इस बिल में ट्रान्सफर में, मोर्गेज में रुकावट रखी गई है।

हो सकता है कि माननीय सदस्य जिनको आपत्ति है किसी बोहरे को, किसी मनिलेन्डर्स को या किसी खास जागीरदारी प्रथा को या किसी दूसरी ऐसी ही चीजों को रिप्रेजेन्ट करते होंगे और इसके अन्दर क्या तथ्य है, उसको दूसरी नजर से देखते होंगे। मोर्गेज के राइट्स कोटा और अलवर में थे कि काश्तकार हर तरह से जमीन को मोर्गेज कर सकता था। हमने इसमें भी सिम्पल मोर्गेज की बात रखी है। और उसमें १० साल की बात रखी गई है। इसमें किसान को यह फायदा होगा कि अगर किसी के पिता ने किसी कारण से या किसी गलती के कारण से या शराब पी कर या और किसी कारण से जमीन को मोर्गेज कर दी तो उसकी गलती के कारण से उसके लड़कों को सजा नहीं मिले और वे भूखें नहीं मरें, इसलिये १० वर्ष का कन्ट्रोल बांध दिया है कि १० साल के बाद वह जमीन उसके फेमिली को मिल जावेगी। पिता की गलती से पीढ़ियों तक आने वाली संतानों को तकलीफ नहीं उठानी पड़े, इसके लिये ऐसा रखा गया और इसके साथ साथ यह भी रखा गया है कि

[ श्री मोतीलाल चौधरी ]

अगर वह रुपया भी नहीं चुकाए और एक पैसा भी नहीं चुकाए तो भी इस कानून के अनुसार वह जमीन किसान को वापिस मिल जावेगी। मेरे खयाल से किसान की फेमिली के लिये यह कितना सुन्दर प्रोटेक्शन है। अगर किसी ने गलती की भी हो, तो भी वह जमीन १० वर्ष के बाद उसकी फेमिली में वापिस पहुँच जावेगी।

माननीय अध्यक्ष, इस राजस्थान के अन्दर किसी भी किसान को मकान बनाने का हक नहीं था जब तक कि वह जागीरदार से उसके लिये पट्टा नहीं करा ले या सरकार से पट्टा नहीं करा ले। और सरकार के पास जो जमीन होती थी, जिसको हम खालसा कहते हैं, वहां पर पट्टा बनाने के लिये लोगों को तीन-तीन वर्ष तक रुलना पड़ता था। जागीरदारों के इलाकों में जागीरदार की बिना इजाजत कोई मकान नहीं बना सकता था। आज के दिन भी जागीर के इलाकों में ऐसा ही हो रहा है। जहां पर जागीर रिजम्पशन हो गई है वहां पर भी जागीरदार लोगों को धमकी दे कर रुकावट पैदा करते हैं। इसलिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ यहां पर रखी गई है जिससे हर किसान खेत में या गांव में अपना घर बना सकता है। इतना ही नहीं बल्कि जिस किसान को खातेदारी राइट्स मिले हैं और जिसके पास रहने के लिये जमीन नहीं है तो उसको सरकार बिना पैसा लिये रहने के लिये मकान, बैलों को रखने के लिये और चारा रखने के लिये मुफ्त जमीन देगी। स्मरण रहे कि इस प्रकार का प्रोवीज़न हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में नहीं है जैसा यहां पर रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि ये राइट्स जो किसानों को दिये गये हैं सदस्यों ने समझा ही नहीं था और उन्होंने अपने अपने इलाकों के वातावरण का जिक्र किया। ओपोज़िशन के लीडर जब कभी बोलते हैं वे बीकानेर की बात कहते हैं और आज उनके पास बैठने वाले सदस्य ने कोटा की बात कही और दूसरों ने दूसरे स्थानों की बात कही, लेकिन उन्होंने राजस्थान के पूरे किसानों की हालत को समझने की कोशिश भी नहीं की होगी। इसी तरह से सिरोही से आने वाले और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने दूसरा कारण रखा और अपना संकुचित वातावरण बताया और दृष्टिकोण रखा।

माननीय अध्यक्ष, यह तो सब लोग जानते हैं कि हर किसान को खेती के सम्बन्ध में वर्षा के समय झगड़े होते थे और जागीरदार झगड़े करके उनको खेतों से बेदखल कर दिया करते थे और उनको धमकी देते थे, इससे बचाने के लिये सिर्फ एक ही राजस्थान में रास्ता था और वह १०७ का दावा काश्तकार को करना पड़ता था, मगर अब किसान को प्रोटेक्शन का मौका मिल रहा है। वास्तव में होता यह था कि किसान को खेती से बेदखल किया जा रहा होता था और चूंकि उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी होता था इसलिये वह फाल्स केस १०७ का बनाया जाता था और जो होशियार जागीरदार होते थे वे इससे भी बच निकलते थे और जो काश्तकार को बेदखल कर दिया

# Page No.53



[श्री मोतीलाल चोधरी]

जाता था और वह उस साल की फसल से महरूम रह जाता था। मगर अब जब धमकी दे कर खेत से उसको बेदखल किया जाने का समय आता है तो वह टेम्परेरी इन्जक्शन लाकर उसके बाद परमानेन्ट इन्जेक्शन ला सकता है।

श्री भैरूं सिंह—इस संबन्ध में Civil Procedure Code है।

श्री मोतीलाल चोधरी—कहीं नहीं मिलता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जानते नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरे खयाल से आप नहीं जानते होंगे।

इस तरह के राइट्स किसानों को दिये गये हैं। ज्योंही उनको धमकी दी जावेगी वे टेम्परेरी इन्जक्शन प्राप्त कर लेंगे।

इन चीजों को देखते हुए भी मैं, इसके अन्दर जो कुछ खामियें रह गई हैं, उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Hot and cold in the same breath ?

श्री मोतीलाल चौधरी—No, I am coming. हालांकि जिस तरह का कानून है उसको पास करने के पक्ष में मैं हूं और यह कहूंगा कि इसको आज ही पास कर देना चाहिये और इसी सेशन में पास कर दिया जाना चाहिये, लेकिन इसमें सिर्फ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हाउस का ध्यान उन कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—But it is not relevant on this occasion. The Hon'ble Member has avowed himself in favour of his Bill.

श्री मोतीलाल चोधरी—माननीय अध्यक्ष, मैं इसको पास करने के पक्ष में हूं और एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि आपोजिशन की तरफ से यह जब कहा गया कि उन आदमियों को, किसानों को हक दिये ये खातेदारी के, सब टिनेन्ट को राइट्स दिये गये, लेकिन जिनके पास जमीन थी उनको क्या दिया ? मैं समझता हूं कि उस तरफ बैठने वाले और इस तरफ बैठने वाले कुछ भाई मेरे मत से कुछ अलग मत रखते हों, लेकिन मैं तो आइडिया रखता हूं। कांग्रेस एग्रेरियन रिफोर्मस कमेटी की रिपोर्ट जो अक्टूबर, १९४९ में प्रकाशित हुई उसके अनुसार

# Page No.54



[ श्रीमोतीलाल चौधरी ]

Land mast go to the tiller और उसका आधार खुदकाश्त ही रखा है । इस दृष्टिकोण को कि राजस्थान का पुनर्गठन करने के लिये जागीरदार जो बाद में क्या करेंगे, क्या खावेंगे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको मोरेजी जमीन देते हैं। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में उनको कोई हक जमीन में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—But these are all irrelevant so far as this stage of the discu--ssions is concerned.

श्री मोतीलाल चौधरी—तो जो शब्द मैंने इस कानून के पक्ष में कहे हैं और उसमें जो कमियें हैं उनको न कहते हुए भी जो अच्छाइयें और भलाई किसानों को हैं उसके लिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री को धन्यवाद देते हुए यह कहूंगा कि इस पिछड़े हुए देश में उन्होंने जो इस प्रकार की प्रगतिशील कानून, जो हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में नहीं है, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए बनाया है उससे हिन्दुस्तान के हर किसान को उसी तरह के राइट्स मिलेंगे और दूसरी स्टेटों में जहां पर इस प्रकार के हकूक नहीं हैं वे स्टेटें उनको हकूक देंगी और हिन्दुस्तान के किसानों की सेवा करेंगी। इसलिये इसको जल्दी पास कर दिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह ( वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काश्तकारी विधेयक इस सदन के समक्ष आज तीसरे वाचन के स्वरूप प्रस्तुत हुआ है उस पर माननीय राजस्व मन्त्री की ओर से जो प्रस्तावना स्वरूप शब्द सुनने को मिले मैंने उन शब्दों को ठीक प्रकार से नाप तोलकर देखा है और उनको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि जो आशाएं इस प्रकार के कानून से राजस्थान की जनता लगाये हुए थी वे आशायें काफी अंशों में पूरी नहीं होती हैं और जब आशाओं के पूरी न होने का स्पष्ट चित्र इस कानून में हमें देखने को मिलता है, तो वैसी सूरत में मैं तो इस बात को मान्यता देने वाला हूं कि ऐसे एक गंभीर कानून का असर राजस्थान के भोले भाले काश्तकारों पर जल्दी ही पड़ने वाला है, तो हम इसको इतने तकाजे से पास न करके थोड़ा समय और लें गम्भीरता से विचार करने के लिए तो ज्यादा उचित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने बताया कि हमने इस कानून के जरिये को काश्तकारों को काश्त करने का स्थायित्व प्रदान किया है, काश्तकारों से ज्यादा से ज्यादा कितना लगान लिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में भी नीति निर्धारित की है, काश्तकारों को जितनी भी फेसिलिटीज़ मिलनी चाहिये थी, मकान बनाने की, पेड़ काटने की और इस प्रकार की कानूनी सहूलियतें जो उनको कानून द्वारा मिल सकती थीं हमने उनको वे फेसिलिटीज़ प्रदान की हैं और साथ ही साथ एक प्रवृत्ति चली आ रही थी इजेक्टमेंट की उस इजेक्टमेंट की प्रवृत्ति से भी काश्तकारों को बचाने का प्रयत्न किया है।

[ श्री भैरूंसिंह ]

माननीय अध्यक्ष, यदि इस सारे कानून के साथ जिस प्रकार की सहूलियतें देने का जिक्र माननीय राजस्व मन्त्रीजी की ओर से हुआ है, उन सारी सहूलियतों को जोड़कर देखा जाय तो यह चित्र स्पष्ट हो जायगा कि हम काश्तकारों को विशेष अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, उन अधिकारों से जो कि उनको पहले मिले हुए थे। इतने अधिकार, मैं अवश्य मानता हूं कि जो आज किसी न किसी कारण से समझ लीजिये, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स आर्डिनेन्स के जरिये से दिये हुये समझ लीजिये, या राजस्थान में सम्मलित होने वाली रियासतों में जो भिन्न भिन्न रूप से कानून प्रचलित थे उनके अनुसार समझ लीजिये, उनमें जो टिनेन्ट्स थे उनको खातेदारी के अधिकार नहीं दिये हुए थे उनको इसके द्वारा खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं। लेकिन उन्हें जो अधिकार दिये हैं वे किसी आसान तरीके से नहीं दिये हैं कि जिस आसान तरीके से गौरव के साथ कह सकें कि जो सुधार किये हैं वे किसी हद तक प्रगतिशील हैं। इन बातों के विशेष विश्लेषण में न जा कर काश्तकारों को जो विशेष सहूलियतें मिली हैं उनका एक एक का मैं जिक्र करूंगा।

माननीय अध्यक्ष, जहां पेड़ों को काटने का प्रश्न उपस्थित होता है मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में सिवाय भूतपूर्व दो तीन रियासतों के, कोई भी ऐसी रियासत नहीं थी कि जहां पर काश्तकारों को खेती के काम के लिए और डोमेस्टिक परपज़ के लिये पेड़ काटने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक ऑर्डिनेन्स के जरिये यह इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था जो कि अब इस कानून के द्वारा रिपील कर दिया गया है, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी उसको इस विधेयक में दूसरे तरीके से जोड़ दी है। आज हमने यह कानून बनाया कि काश्तकार चाहे तो अपने किसी कार्य के लिए, डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए पेड़ काट सकता है। यदि इन चीजों के अलावा पेड़ को काटने की आवश्यकता हो तो वह तहसीलदार के पास दरख्वास्त करे और दरख्वास्त पेश करके लाइसेन्स प्राप्त करे। लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात् वह पेड़ काट सकता है। लेकिन इस चेप्टर में यह बाधा डाल दी है कि किसी सूरत में भी काश्तकार हरे दरख्त को नहीं काट सकता है। मेरी समझ में नहीं आया कि जिस प्रकार का अधिकार पेड़ के काटने के लिए दे रहे हैं तो क्या किसी को जमीन में पेड़ सूख जायगा तब ही वह काट सकेगा, काश्तकार को तब ही काटने का हक होगा? मैं समझता हूं कि किसी जमीन में ट्रीज़ लगा लगा दिये गये। यदि वे हरे हैं तो काट नहीं सकता और यदि सूखे हैं तो काट सकता है। फिर वह कल्पना करे कि जल्दी से जल्दी पेड़ सूख जाय। कोई साल एक पेड़ सूख गया और कोई साल दो पेड़ सूख गये किन्तु यह नहीं कह सकते कि उसका हल क्या निकला? हमने तहसीलदार को सख्त हिदायत दी है कि कोई हरा पेड़ न काटे। यदि काश्तकार के लिए यह आशंका प्रगट की है कि हरा वृक्ष वह काट डालेगा और इस प्रकार से अगर इजाजत दी गई तो हरे वृक्षों का सफाया हो जावेगा और ऐसी आशंकाओं को मानकर और उस ओर गम्भीरतापूर्वक न सोचकर केवल संकोच और डर कर ही कानून बनाया है तो कई प्रकार की अड़चनें पैदा हो सकती हैं। कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि 'रिमूवल ऑफ ट्रीज़' ( removel of trees ) का क्या मतलब है! यदि कोई काश्तकार हरे वृक्ष की एक टहनी भी काटेगा तो वह उस कानून की परिधि में आ जावेगा, यदि कोई

[श्री भैरोंसिंह]

बड़ी लकड़ा काट लेता है तो वह उस जुर्म में शामिल होगा, या वह जड़ काट ले तो वह उस जुर्म में शामिल होगा। 'रिमूवल ऑफ़ ट्री' का मतलब हरे पेड़ को काट कर दूसरे स्थान पर ले जाना। जब तक इसका मतलब साफ नहीं होगा तब तक काश्तकारों यूटने का रेवेन्यू के अधिकारियों को अच्छा मौका मिलेगा कि तुमने हरे वृक्ष की टहनी काटी है, डालीकाटी है, जड़ काटकर उसको दूसरे स्थान पर ले गये हो। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार की चीजें साफ नहीं होती हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह काश्तकारों के लिए फायदे की चीज है और यह, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी शोभनीय नहीं है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष, मकान बनाने के सम्बन्ध में और जितनी इम्प्रूवमेंट्स करने के बारे में सहूलियतें दी हैं उनका भी जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें भी दो तरीके चला रहे हैं। यदि खातेदार इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो कर सकता है, जागीरदार, लैण्ड होल्डर, कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन टिनेन्ट को तो परमीशन लेनी पड़ेगी। परमीशन के बाद लैण्ड होल्डर या टिनेन्ट इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो प्रायोरिटी टिनेन्ट को दी जायगी और यदि टिनेन्ट निर्धारित समय में नहीं कर सकता है तो लैण्ड होल्डर को दी जायगी। अजीब चीज रखी है। सब टीनेन्ट को अधिकार दिया गया है कि वह इम्प्रूवमेंट कर सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि यदि इम्प्रूवमेंट्स के बाद किसी भी काश्तकार को बेदखल किया जायगा तो मुआवजा देना पड़ेगा! सब टिनेन्ट को यह अधिकार देते हैं कि खातेदार बिना इजाजत के इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है, वह कर ले। माननीय अध्यक्ष, यदि आपकी इजाजत हो तो, चूंकि कन्फ्यूजन न हो इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण कराना चाहूँगा। यह है क्लॉज़ ५१ :

"Right of other tenants to make improvements—No Ghair Khatedar tenant or tenant of Khudkasht or subtenant shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landholder ;

Provided that no consent of the landholder shall be necessary in respect of any landheld by a tenant of Khudkasht or subtenant if the area of such land is not in excess of the minimum area prescribed by the State Government for the purposes of Section 131."

माननीय अध्यक्ष, यह इस १३१ क्लॉज़ 'ए' का है जिस क्लॉज़ के जरीये स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज़ यह प्रेसक्राइब करेगी कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन रह सकती है, ज्यादा-से ज्यादा वह कितनी जमीन रख सकता है, यदि इसको इम्प्रूवमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं और सब टिनेन्ट को अधिकार देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस जमीन का सबलेटिंग का अधिकार मिलता है और दो साल के लिए किसी काश्तकार को सबलेट की जाती है तो बाद में लीज़ के

[ श्री भैरोंसिंह ]

एक्सपायर होने पर उसके लिए लाजमी हो जाता है कि वह उसको छोड़ दे। यदि दो साल के अन्दर उस जमीन में कोई इम्प्रूवमेंट्स कर लिये हैं तो उन इम्प्रूमेंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका कम्पेन्सेशन के रूप में एवजाना देना होगा, नहीं देता है तो उसके लिए हटना मुश्किल हो जायगा। एवजाना देना भी तय कर लिया किन्तु मान लीजिये कि लैन्ड होल्डर की आर्थिक स्थिति खराब है, जो कुछ डिफरेन्स उस कम्पेन्सेशन का या रेन्ट का जो एवजाना देना है वह किसी कदर डेट्रीमेंट किया जाय, लैन्ड होल्डर की आर्थिक स्थिति खराब होने से न दे सके तो उस सूरत में सब टिनेन्ट के पास वह जमीन हमेशा के लिये चली जावेगी। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जिस प्रकार खातेदार को कुछ रेस्ट्रिक्शन्स के अधिकार दिये है, उसी प्रकार सब टिनेन्ट को भी दिये जाने चाहिए थे। नहीं देते हैं तो आगे उलझनें होंगीं और दोनों को परेशान होना पड़ेगा। सब टिनेन्ट को उसकी टर्म एक्सपायर होने के बाद उसको वहां से बेदखल होना पड़ेगा, किन्तु लैन्ड होल्डर को जो नुक्सान होने वाला है उसको नुकसान से बचाने का कोई मार्ग नहीं है।

दूसरी चीज जहां इम्प्रूवमेन्ट्स का प्रश्न आता है, उसमें ऐसे इम्प्रूवमेन्ट्स का जिक्र किया है, जिन इम्प्रूवमेन्ट्स के कारण काश्तकार को नुकसान हो सकता है, यदि ये इम्प्रूवमेन्ट्स किसी लैन्ड होल्डर ने किये हैं। उसके द्वारा किये हुए इम्प्रूवमेंटस के जरिये काश्तकार को नुकसान होता है तो हमने इस बात की सहूलियत दी है कि उसका मुआवजा दिया जाय। मुआवजा देने के साथ साथ यह भी रियायत दी है कि इस प्रकार के नुकसान के लिये लगान में कमी करना आवश्यक जान पड़े तो लगान में भी कमी की जाय। अगर कोई किसान उसी साल आ जाय और अपनी जमीन की मांग करे तो अगर उसमें लैन्ड होल्डर की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट हो तो उसको मुआवजा दिलवाया जा सकता है और अगर काश्तकार द्वारा किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स हों जिनके जरिये से उस खेती की आमदनी में कमी हो या उपज में कमी हो तो वैसी सूरत में क्या काश्तकार को भी मुआवजा देना पड़ेगा, इसका कही भी जिक्र नहीं है। अगर हम कानून बना रहे हैं तो उस कानून का दृष्टिकोण यह अवश्य होना चाहिये कि कोई भी एक्शन हो, सबके साथ समान ही हो। एक्शन में किसी प्रकार के वर्ग की भिन्नता का खयाल नहीं रखा जाना चाहिये। अगर किसी एक्शन पर किसी एक वर्ग को सजा दी जा सकती है तो दूसरे वर्ग को भी उसी प्रकार की सजा दी जानी चाहिये। इसी में ईमानदारी है। दोनों के लिये दृष्टिकोण एक होना चाहिये, यह नहीं हो सकता कि लैन्ड होल्डर्स के इम्प्रूवमेंट के जरिये नुकसान होता है तो उससे काश्तकार को मुआवजा दिलवाया जा सकता है, और अगर काश्तकार के इम्प्रूवमेंट से लैन्ड होल्डर को नुक्सान होता हो तो उसका मुआवजा नहीं दिलवाना, न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। जागीरदार पर यदि इस प्रकार का बोझा पड़ता रहा तो जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स वह करने जा रहा है, जिससे कि उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई तो इस प्रकार से जो भी सिचाई के साधन है वे सारे के सारे खतम हो जायेंगे। एक टिनेन्ट कुआ बनवा कर उसकी मरम्मत करता है, मरम्मत के समय यदि वह कुआ ढह जाता है तो उस पर काश्तकार की तो कोई लाएबिलिटी नहीं होगी। अगर इस प्रकार का सुधार

[ श्री भैरोंसिह ]

लैन्ड होल्डर करता है और उस वक्त वह कुआ ढह जाता है तो उसका एवजाना देना पड़ेगा। इस प्रकार एक्शन के प्रति भिन्न २ विचारधारा है, वह कभी न्याय संगत नहीं कही जा सकती।

अब इम्प्रूवमेन्ट्स के बाद में प्रश्न आता है अबंडनमेन्ट और सरेन्डर का। इस कानून द्वारा अगर कोई काश्तकार राज्य में किसी प्रकार की जमीन छोड़ जाय तो उसके लिये क्या सुविधायें प्रदान की हैं, यह हमें देखना हैं। एक काश्तकार जमीन छोड़ कर जाता है। उस जमीन को खाली करार दिये जाने के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस के एक महीने की मियाद के अन्दर अगर वह काश्तकार इस बात के लिए कोई ओब्जेक्शन करता है कि उसकी होल्डिंग को अबन्डन नहीं किया जाय तो उस जमीन को, जिसको काश्त करने के लिये दी हुई हैं वह उसका जिम्मेदार होगा। अगर वह किसान किसी प्रकार के ओब्जेक्शन फाइल नहीं करता हैं तो वैसी सूरत में तहसीलदार को यह हक दिया गया है कि वह उस जमीन के ऊपर लेन्ड होल्डर या टिनेन्ट इन चीफ, किसी को भी कब्जा करने के लिये कहे। कब्जा होने के बाद में उनके लिये यह गुंजाइश रखी हैं वह न्यायोचित हैं। इसलिये न्यायोचित हैं कि अगर कोई भी काश्तकार अकाल की परिस्थिति में या किसी अपेडेमिक बीमारी, हैजे, आदि के सिलसिले में अपने खेत को छोड़कर चला जाता हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि उसके कहने पर उसको जमीन मिल जाय। लेकिन यदि काश्तकार के भागने के बाद भी काश्तकार इस नीयत से नहीं गया है कि वह अपनी जमीन को छोड़ दे, उसका जमीन छोड़ने का आधार बीमारी या अकाल था, जीवन निर्वाह की दृष्टि से उसे अपने खेत से उनको जाना पड़ा तो तहसीलदार को यह अधिकार होगा कि वह उस जमीन को उसे वापिस करवा दे।

माननीय अध्यक्ष, यह बात बिल्कुल न्यायोचित प्रतीत होती है और आवश्यक भी है। अगर उपरोक्त कारणों से काश्तकार को भागना पड़ता है और अपनी जमीन को छोड़ना पड़ता है तो उस काश्तकार को राहत देने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसको एक साल के बाद भी उस पर उसका कब्जा कराया जावे। लेकिन इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा दो दृष्टियों से। एक साल के समय में जिस वक्त काश्तकार जमीन छोड़कर चला गया और उसके छोड़ने के बाद दूसरे का कब्जा हो गया उस आदमी द्वारा, अगर उसमें किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स करवा दिये गए तो एक साल के बाद यदि काश्तकार आता है और अपनी जमीन का क्लेम करता है कि मैं अमुक कारणों से जमीन छोड़ कर चला गया था अतः मुझे अपनी जमीन वापिस दिलाई जाय, तो ऐसी हालत में उसको जमीन दे दी जाती है तो उस आदमी द्वारा जो इम्प्रूवमेन्ट्स कराये गये हैं उसका मुआवजा उसे दिलवाया जाय। इस प्रकार के मुआवजे को दिलाने का इसमें कहीं प्रोवीजन नहीं है। इस प्रकार इम्प्रूवमेंट्स जो कि उसने अन्तरिम काल में कर दिये हैं उनका मुआवजा यदि हम नहीं दिलाते हैं तो यह एक प्रकार से संविधान के खिलाफ काम होगा। इसलिए इस प्रकार से इस कानून में एक बड़ी भारी खामी रह गई है। इसलिये इस सुधार की बहुत आवश्यकता है। सुधार

[ श्री भैरोंसिंह ]

यह हो सकता है कि यदि कोई काश्तकार प्राकृतिक बाधाओं के कारण जमीन को छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए यह लाजिमी कर दिया जाय, तहसीलदार यह कर दे कि जब तक वह लौट कर नहीं आता है तब तक के लिए उसको काश्त करने के लिए दूसरों को दे। इस तरह से कोई भी कब्जा करेगा तो वह कन्डीशनल कब्जा होगा। इस तरह से कब्जा करने पर किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आयगी। लेकिन इस प्रकार का प्रोवीजन इसमें नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस कानून में है वह लगान निर्धारित करने के बारे में है। अगर लगान निर्धारित करने वाले चेपटर को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाय तो मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को ज्यादा-से-ज्यादा कानूनी सिकन्जे में जकड़ने की कोशिश की गई है। उनको किसी प्रकार वकीलों के फन्दे में फंसना पड़ेगा, उनको वकीलों के शिकन्जे से निकालने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, परेशानियां कम करने की कोशिश नहीं की गई। इसमें ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि जिससे किसान यह अनुभव करे कि उसको लगान देने में किसी प्रकार की सहूलियत दी गई है और वकीलों के चंगुल में न फंसना पड़ेगा, इससे तो काश्तकारों और लेन्ड होल्डर्स के बीच हमेशा संघर्ष बना रहेगा। जिन चीजों के जरिये अगर काश्तकार लगान न देना चाहे तो लेन्ड होल्डर किस तरह से वसूल कर सकता है। अगर कोई काश्तकार लगान किस्म के रूप में देता है तो उसको तहसीलदार को दरख्वास्त पेश करनी पड़ेगी। इसके बाद वह किसी ऑफीसर को डेपुट करेगा जो मौके पर जाकर देखेगा, एपीजमेंट करना होगा तो वैसा करेगा, जिस प्रकार का वह अवार्ड देगा वह तहसीलदार के सामने पेश किया जायगा। उसके बाद अगर तहसीलदार के सामने काश्तकार ने एतराज कर दिया कि जो लगान उससे वसूल किया जा रहा है वह निर्धारित लगान से ज्यादा है और इसलिए मैं इस प्रकार के लगान को देने का मुस्तहक नहीं। इस तरह से तहसीलदार किसी प्रकार भी उससे लगान वसूल नहीं कर सकेगा। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि लेन्ड होल्डर किसी कम्पीटेन्ट कोर्ट में कार्यवाही के लिए आवेदन करेगा। कम्पीटेन्ट कोर्ट यदि उचित समझेगी कि यह लगान वाजिब है तो उसको दावा करने के लिए कहेगा। अगर इस तरह से एक साल लगान नहीं दिया तो उसको इस बात की इन्तजार करना पड़ेगा कि लगान एरियर्स कब होता है, अगर वह एरियर्स का खयाल करेगा तो उसको पता लगेगा कि इसमें दो साल का लगान बाकी है। जब यदि किसी काश्तकार का लगान दो साल से बाकी है तो वह एरियर्स बनेगा। इस तरह के एरियर्स बनने के बाद वह दावा कर सकेगा। दो साल तक उसको इसलिए इन्तजार करना पड़ेगा कि कब जल्दी-से-जल्दी दो साल हों और मुझे मौका मिले इस बात का कि कानून द्वारा सिविल कोर्ट में दावा करूं कि मुझे लगान दिलाया जाय। दो साल का समय तो ऐसे गया और एक महीना काश्तकार को नोटिस दिया जायगा कि तुम्हारे पर लेन्ड होल्डर ने दावा किया है कि तुम्हारे इतना लगान बाकी है, इस प्रकार का नोटिस काश्तकार को देना होगा। अगर वह कोई कारण नहीं बताता है तो उसके बारे में कोर्ट द्वारा कार्यवाही होगा। इस तरह से एक महीने का टाइम फिर चला गया। उसके बाद यदि लगान न देने की सूरत में उसको बेदखल किया जाता है तो इसमें समय लग जायगा कि इम्प्रूवमेंट्स आदि के बारे में इसको कितना कम्पेन्सेशन देना है और भी किसी प्रकार के क्लेम्स होंगे तो वे पेश किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह ]

इसके बाद में झगड़े चलेंगे। कोर्ट्स में काश्तकार और लैण्ड होल्डर दोनों जावेंगे और वहां वकीलों के खतरनाक चंगुल में फंसकर एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—कितना समय और लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह—थोड़ा समय लगेगा, साहब।

श्री अध्यक्ष—ऐसे तो फिर घण्टों बोलते जाइये। मैं तो यह ascertain करना चाहता हूँ कि अब आप कितना समय लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह—करीब पौन घण्टा और बोलना चाहूँगा, साहब।

श्री अध्यक्ष—यह भी पता होना चाहिए कि कितने समय तक बोल चुके हैं ? जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से तो अभी घण्टों लग सकते हैं।

श्री जवानसिंह—यह तो, कसूर इस बिल का है, साहब।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि जो दलीलें दी गई हैं वे ही पहले भी दी जा चुकी हैं, यह तो रिपीटीशन है और फिर हाईपोथिकेशन पर आप चले जावें तो इसका तो ठिकाना नहीं रहेगा। मैं तो यह जानना चाहूंगा, I want to ascertain the will of the House how long the members want to take on the third reading ? इस बहस को आप आज ही खत्म करना चाहते हैं या कल भी चलाना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आज ही पूरा कर दिया जावे, साहब इसको।

(कुछ सदस्यों द्वारा यह कहना, 'आज ही पूरा कर दिया जावे')

कुछ माननीय सदस्य—कल साहब।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कल करिये साहब। फिर एक वक्ता एच. के. तो हैं ही नहीं आज। कल होने से उनको भी बोलने का मौका मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष—हाउस ही एडजोर्न कर दें, कोई मेम्बर नहीं आवे तो ?

[ श्री अध्यक्ष ]

(श्री भैरोंसिंह से) बहुत सा रिपीटीशन हो रहा है। बोलने का आपको काफी मौका दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** (वि. स. १६)—यह तो बिल भी बहुत बड़ा है साहब और फिर दस-पन्द्रह मिनिट ही अभी बोलते हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष**—आप करीब आध घण्टे से बोल रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह**—नहीं साहब, इतना समय तो नहीं हुआ। करीब पन्द्रह मिनिट से बोल रहा हूँ।

**श्री अध्यक्ष**—No, I am noting time of every member.

**श्री सन्तोषसिंह कछवाहा**—क्लॉज़ में खामियां रह गई हैं, वे तो बतावेंगे ही साहब।

**श्री अध्यक्ष**—A member can speak for days and days, if there is no restriction. If it has to be done today......

**श्री भैरोंसिंह**—यह तो है नहीं कि आज खत्म होना है, इसलिए कोई बोले ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष**—नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। पर बहुत से माननीय मेम्बर तो केवल रिपीटीशन कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (१६)—मैं तो समझता हूं कि मैंने कोई रिपीटीशन नहीं किया है।

**श्री अध्यक्ष**—हाईपोथिकेशन पर अगर आप चले जावें तो कहां तक आप कहते जावेंगे, इसका अन्त नहीं ? हरेक क्लॉज़ पर चले जा रहे हैं जिन पर कि आप पहले काफी कह चुके हैं। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बोलने का यह अवसर अब है भी। I think that is not the way of debating on Third Reading.

**श्री भैरोंसिंह**—मैं तो, क्या क्या खामियां किन-किन क्लॉज़ों में रह गई हैं, यही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—खामियां बतावें आप, but brevity is the soul of wit. जितना संक्षेप में आप कहेंगे उतनी ही अक्लमन्दी की बात है। एक-एक क्लॉज़ का विश्लेषण किया जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह—ऐसा मैं कर भी नहीं रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष—ऐसा तो मैं करने भी नहीं दूंगा। That stage has paased.

श्री भैरोंसिंह—वह तो नहीं करूंगा पर चैप्टर वाइज़ तो खामियां बताऊं?

श्री अध्यक्ष—हाईपोथिकेशन पर आप नहीं कर सकते; इसमें ये खामियां हैं, इसमें ये खामियां हैं, यह बता सकते हैं। हाईपोथिकेशन पर नहीं चला जा सकता। आप यह करेंगे, वह करेंगे, यहां जावेगा, अपील करेगा, वह करेगा, ऐसे नहीं चल सकता। Yes, go on.

श्री भैरोंसिंह—(जारी) काश्तकार और लैण्ड होल्डर के बीच में लगान का तरीका जो रक्खा है वह ऐसा है कि उससे न किसान को मुक्ति मिल सकती है और न लैण्ड होल्डर को ही कोई लाभ हो सकता है।

पहले हमने रक्खा एक साल तक एरीयर होने के लिए। इसके बाद दो साल का रक्खा। इसमें झगड़ा पड़े तो कोर्टों में जाओ। कोर्टों का आज का जो रवैया है वह आम विदित है। वहां से जिस ढंग से मुकदमे चलते हैं और जो उनका ढंग है उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहां जाने वाली पार्टियां दोनों एक दूसरे को झूंठा साबित करने का प्रयत्न करती हैं। कोर्टों में डिलेइन्ग टैकटिक्स चलते हैं। इस कारण ऐसे मुकदमों का कोई जल्दी से साल भर में फैसला हो जावेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती और अगर साल भर में फैसला हो भी गया तो इसके बाद में भी वह अपना उजर पेश कर सकता है कि मुझे जो कुछ भी डिग्री मिली है, मुझे इजेक्ट करने की उसको उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाये, जब तक कि और दूसरे तरीके उसको एग्जीक्यूट करने के हैं। और इसके लिए दूसरे तरीके रक्खे हैं। इन तरीकों से एग्जीक्यूट होने के लिए दो साल की अवधि रक्खी है। इस दो साल की अवधि तक सरकार इन्तजार करेगी, इस प्रकार के लगान की डिक्री के रुपयों का भुगतान इस अवधि में होता है या नहीं और हो जाता है तब तो ठीक पर अगर नहीं हुआ तो फिर नोटिस दिया जावेगा उसको कि जो समय डिक्री के प्राइवेट भुगतान के लिए किया गया था उस में किसी प्रकार का भुकतान नहीं हो सका है और अब अगर करना है तो अपनी सहमति प्रकट करें, नहीं तो बेदखल किया जावेगा बेदखल करने के लिए तब डिक्री एग्जीक्यूट होगी। पर अगर वह यह सोच ले कि बेदखल करने से ही लगान वसूल हो जावेगा तो उसको बेदखल करने से भी लगान मिलेगा या नहीं, तो इसका कोई प्रोवीजन इस कानून में नहीं है। जिस वक्त काश्तकार बेदखल होगा तो बेदखल होने के साथ साथ जो लगान है वह सारा का सारा भुगतान हो जावेगा

[ श्री भैरोंसिंह ]

काश्तकार बेदखल हुआ, इस कारण से कि उसने लगान जमा नहीं कराया। अब हम यह चाहें कि कोई भी काश्तकार लगान न जमा कराने के लिए अगर बेदखल हो वैसी सूरत में भी इस पर लाजिमी शर्त नहीं होगी कि वह लैन्ड होल्डर को किसी प्रकार का लगान अदा कराने। अगर लगान अदा नहीं कराते हैं तो फिर एक चीज पैदा होती है कि यदि उस काश्तकार का कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि जो काश्तकार के आइन्दा होने वाले लगान से ज्यादा है तो इसके लिए तो कमीशन तैयार की है कि लैंड होल्डर उस जमीन के असल लगान से अगर इम्प्रवमेंट की कीमत ज्यादा है तो उसके डिफरेन्स को लैन्ड होल्डर अदा करे किसान को इजेक्ट करते समय, तभी वह डिक्री एग्जीक्यूट हो सकेगी और अगर लैन्ड होल्डर इम्प्रूवमेंट के अधिक डिफरेन्स को अदा नहीं करता है तो फिर उस किसान के लगान अदा न कर सकने से मिली, बेदखली की डिक्री के एग्जीक्यूशन के द्वारा उसको जमीन से बेदखल करने का भी प्रश्न नहीं उठता। पर अगर इम्प्रूवमेंट की कीमत डिक्री की कीमत से कम है, जो बाकी का डिफरेन्स किसान किस तरह से दे या लैन्ड होल्डर उसको किस तरह से वसूल करे यह सवाल जहां आता है वहां यह कानून बिल्-कुल चुप है। तो इस प्रकार का कानून लगान वसूल करने का यह है। काश्तकारों को राहत मिले, यह अच्छी बात है। पर यह भी बात पूरी नहीं होती और लैन्ड होल्डर भी फायदे में नहीं हो सकता। इससे तो बन आवेगी उनकी जो टैक्टिक्स चलाने में चतुर हैं, वकील हैं, कोर्टों में दोनों को लड़ाने में अपनी बुद्धि खर्च करते हैं। होगा यह कि काश्तकार को बेदखल किये जाने के बाद में उसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोर्टों की शरण लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सूरत में मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार के टैक्टिक्स आज कोर्टों में विद्यमान हैं, जिस प्रकार के टैक्टिक्सों द्वारा आज कोर्टों का काम चलता है उस हिसाब से उस किसान को कोर्टों में जाने से लगभग दस गुना लगान का देना पड़ेगा इस रूप में कि वह कुछ वकील को देगा, स्टाम्प फीस का देगा, अदालतों में आने-जाने में उसका खर्चा होगा और इस प्रकार के और कई खर्चे उसको करने होंगे और इस प्रकार सारे रुपये का अगर जोड़ लगाया जावे तो यह सारा खर्चा उस लगान से कहीं बहुत अधिक ही ऊंचा जावेगा जो वाजिब ढंग से लगान देने पर नहीं हो सकता था।

अगर यह भी मान लें कि इससे राहत मिल सकती है किसान को तो लगान के लिए कोई सरल उपाय निकालना चाहिये था। अगर लगान वाजिब है तो उसे देना पड़े और अगर गैर वाजिब है और लैन्ड होल्डर का लगान का क्लेम झूठा साबित हो तो उस लैन्ड होल्डर पर जुर्माना किया जावे कि तुमने बेगुनाह को बेकार में परेशान किया, उसे कोर्ट में घसीटा और कोर्टों का जो आजकल का तरीका है उससे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से परेशानी होती है। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि जो लगान वसूल करने का तरीका आपने इस कानून में रक्खा है वह वह बहुत असन्तोषजनक है, काश्तकारों को और लैन्ड होल्डरों को आपस में लड़ाने वाला है और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि यह तो वकीलों का घर बनाने का तरीका है।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष, इस कानून में रक्खी है कि लगान किस तरह से निर्धारित किया जावेगा। हमें उम्मीद तो यह यह थी कि काश्तकारों को राहत पहुंचाने के साथ साथ यह

[ श्री भैरोंसिंह ]

राजस्थान सरकार, जो अपने आपको प्रगतिशील कहलाने का दम भरती है, आज पंजाब की नकल करती और घोषणा करती कि जितने भी छोटे काश्तकार हैं उन लोगों को हम लगान देने से मुक्त करते हैं। पंजाब ने अभी हाल में ही पांच एकड़ से कम वाले होल्डिंग को लगान से मुक्त रखने का निश्चय किया है। यदि इसी प्रकार का तरीका यह राजस्थान सरकार भी अपनाती तो वास्तव में यह इस सरकार की ओर से एक नया प्रगतिशील कदम होता और इससे निश्चय ही छोटे काश्तकारों को बहुत बड़ी राहत मिली, कई प्रकार के झंझटों से वे मुक्ति पाते। पर इस कानून के बनने के बाद अब कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं होगा जिसे लगान से मुक्ति मिल सके।

पर इसके बाद भी लगान का तरीका निर्धारित करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है। वह लगान बनेगा दो तरह से। सेटिलमेंट रेकार्ड से या सरकारी सेटिलमेंट होने के बाद अगर आवश्यक समझें कि विशेष परिस्थिति के कारण रिवीजन करना है तो उस रिवीजन के लिए भी वह सरकार रेंट रेट ऑफीसर मुकर्रर करके उसके जरिये से लगान में वृद्धि या कमी कर सकती है। लेकिन इसमें सोचने की आवश्यकता यों प्रतीत होती है कि हम यदि इस सारे तरीके को जिसमें लगानको कम करने का या बेसी करने का जो मूल कारण है उसको हटा दें और इसको हटा कर अच्छे कारण ला दें तो सारी समस्या ही हल हो सकती है। वह अच्छा कारण क्या हो सकता है ? उस कारण को मैं दोहराना नहीं चाहता। वह यह हो सकता है कि केश रेन्ट जिस जगह इन्ट्रोड्यूस किया जा चुका है तो पाश्चात्य प्रणाली को न अपनाया जाकर भारतीय प्रणाली को अपनाया जाय, जिस प्रणाली में न यह आवश्यकता हो सकती है कि अकाल पड़ गया है तो छूट करनी चाहिए, न यह आवश्यकता हो सकती है कि रेट्स बढ़ गये हैं तो छूट करनी चाहिए, न इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि रेट गिर गई है तो किसी प्रकार की छूट करने की आवश्यकता महसूस हो, बल्कि एक चित्र रहता है कि जिस प्रकार की पैदा हुई है उस पैदा का बांटा सरकार ले ले।

माननीय अध्यक्ष, इजेक्टमेंट का प्रश्न है, इसमें गम्भीरता से सोच समझ कर रखा है, और उस इजेक्टमेंट के प्रश्न में आवश्यक जो बात रखी है वह क्लॉज़ १३१ में है। क्लॉज़ १३१ के अन्दर और काश्तकार को बेचने के अधिकार दिये हैं जमीन को, उस बेचने के अधिकार को देखने से और जो जमीन जो मोर्टगेज करने का अधिकार दिया है, और इस प्रकार से तीन चार अधिकारों को एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कानून किसानों को परेशान करने वाला है। इन सारे अधिकारों का एक मूल सिद्धान्त यह रखा गया है कि काश्तकारों के पास ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अनइर्रिगेटेड लेन्ड रह सकती है, और दूसरा सिद्धान्त जो हमने काश्तकार के लिए स्वीकार किया है वह यह है कि काश्तकार के पास ज्यादा से ज्यादा १२०० रू० उसकी आमदनी हो सकती है। वैसी परिस्थिति में यह सोचना पड़ेगा कि चाहे लेन्ड

[ श्री भैरोंसिंह ]

होल्डर हो, चाहें कोई काश्तकार हो उसके पास एक तरफ तो आमदनी का जरिया ३० एकड़ इर्रिगेटेड और ९० एकड़ अनइर्रिगेटेड लेन्ड रखी है और दूसरी तरफ आमदनी रखी है उसकी १२०० रु०। आज-कल के डेमोक्रटिक युग में हमने किसी बाहर गांव के आदमी का १२०० सिर्फ जीवन निर्वाह का सालाना खर्च रखा है, तो इस ३० एकड़ या ६० एकड़ जमीन द्वारा उसके जीवन निर्वाह का साधन जुटाया है, वह इसमें शिक्षा भी प्राप्त करे, और जितने प्रकार की मुकद्दमे बाजी और दूसरी परेशानियां, जो उसे बर्बाद किये जा रही हैं इस प्रकार के कानून द्वारा उनका मुकाबला करे। इसके बाद में डेमोक्रेटक युग में अपनी विचार धारा को एक डेमोक्रेटिक स्टेज पर लाने का प्रयत्न करे, मैं समझता हूं कि ऐसा करना एक काश्तकार के लिए बिल्कुल असम्भव है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। किसी बात का प्रिन्सीपल तय करें। आज के डेमोक्रेटिक युग में जिस वोइस को बलवती बनाना है वह वोइस इस प्रकार के सिद्धान्तों से कुचली जायगी। अगर कुचली जा रही है तो इस प्रकार के कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं कह सकता है, कोई सिद्धान्त नहीं है कि बाहर के काश्तकारों के लिए केवल १२०० रूपये की आमदनी काफी है, बाहर के काश्तकारों के लिए ३० एकड़ सिचाई भूमि या ६० एकड़ असिंचित भूमि पर्याप्त समझी जाय। इसका सारे का मतलब यह स्पष्ट मालूम होता है कि बाहर गांव वालों को बड़े बड़े पूंजीपति कुचलना चाहते हैं। जागीरदारों के स्थान पर शहरी अपना घाचा जमा करना चाहते हैं। न वे इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और न अपनी विचारधारा को जाहिर कर सकते हैं। किस तरह से वे डेमोक्रेटिक स्टेज पर आने का का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की विचारधारा बाहर गांव वालों को कुचलने के लिए है, न किसी तरह की राहत पहुँचाने के लिये है, चाहे वह काश्तकार हो या जमींदार हो, हमने, जो किसी प्रकार की राहत नहीं कर सकती है, उस सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

हमने राजस्थान में सीलिंग कमेटी एप्वाइन्ट की है। आवश्यकता तो इस तरह की थी कि इस प्रकार के सिद्धान्त करने को मन्जूर करके सरकार को अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिये था। सरकार को कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिये था, लेकिन एक निर्धारित नीति बना दी है। यद्यपि उन्होंने आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन उनको एक तरह से बान ( ban ) कर दिया है कि रिपोर्ट देते हैं तो ऐसे फीगर्स से ज्यादा नहीं हो। काश्तकारों के हित में रिपोर्ट प्रकाशित करनी हो तो भी उनको एक प्रकार से पाबन्द कर दिया है, प्रतिबन्धित कर दिया है। यदि यह प्रयत्न सफल हुआ है तो निश्चित रूप से बाहर गांव के लोगों को पूरे तौर से कुचल दिया जायगा, उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी।

अब इजेक्टमेंट का प्रश्न आया। इजेक्टमेंट में एक जगह एक सब-टिनेन्ट है और जागीरदार को भूमि खुदकाश्त के लिए दिलाना आवश्यक समझा तो उस जगह सिद्धान्त रखा है कि

[ श्री भैरोंसिंह ]

कम से कम आमदनी १२०० ) रु० है या नहीं और यदि काश्तकार को जमीन छोड़ने का प्रश्न आये तो उस वक्त यह सब सोचते कि जागीरदार के पास ३० एकड़ या ९० एकड़ भूमि है या नहीं? एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि कम से कम १२००) रु० की आमदनी होना किसी भी व्यक्ति के लिए लाजिमी है और दूसरी तरफ हम यह नीति निर्धारित करते हैं कि चाहे उसकी १२००)रू० की आमदनी हो या नहीं, लेकिन उसके पास ३० एकड़ सिंचित या ९० एकड़ अनइर्रिगेटेड लेन्ड है या नहीं? हमें जागीरदार का भी भरण पोषण करना है और टिनेन्ट का भी भरण पोषण करना हैं। टिनेन्ट का पोषण करने के लिए यह दुधारी चाल नहीं अपनानी है। एक तरह की एक समान नीति अपनानी चाहिये फिर चाहे वह लेन्ड होल्डर हो या टिनेन्ट। अगर उसकी आमदनी १२००) रू० से कम है तो सूरत मैं किसी भी किसी सूरत में बेदखली नहीं की जायगी और जिन लोगों के पास आमदनी के जरिये हैं उनसे लेकर उन लोगों को देगें। हमारे सामने एक स्केल हो। दोनों एक अधिकार के साथ में आते हैं। और अगर हम दोनों को अपने अपने अधिकारों से वंचित करते है और उस मूल सिद्धान्त को भुला देते है तो यह किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं होगा। न्यायोचित नहीं होने की सूरत में, चाहे कानून लोगों को कहने के लिए कि उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हैं यह राहत नहीं पहुंचाकर सब लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा।

माननीय अध्यक्ष, इसलिए इन सारी चीजों को भुलाकर इस बात को देखा जाय कि राजस्थान में यह कानून इसलिए बना कि जितनी रियासतें थीं छोटी मोटी उन सब के कानूनों का इसमें समावेश हो जाय, और उनके समावेश हो जाने के कारण काश्तकारों को विशेष अधिकार मिले हों, तो मुझे शक होता है कि इसमे उन रियासत्तों के कानूनों का समावेश हुआ हो। हमारे यहां दूसरे प्रान्तों की नकल की जाती है, दूसरे देशों की नकल की जाती है। जिन अंग्रेजों ने कानूनों के अन्दर कम्प्लीकेशन्स पैदा करने की नीति के आधार पर कानून बनाये थे उसी नीति पर ये आज भी बनाये जा रहे हैं। काश्तकार के लिए हम कानून बनाते हैं तो वह सरल भाषा में हो, जिसका इन्टरप्रिटेशन किसी प्रकार से गलत न हो, जिसे मामूली से मामूली काश्तकार समझ सके। वह काश्तकार को राहत पहुंचाने वाला कानून हो सकता है। वह राहत पहुंचाने वाला कानून नहीं हो सकता है जिसके लिए तहसीलदारों के पास, कोर्ट या हाई कोर्ट में जिसका इन्टरप्रिटेशन होता रहे; इस प्रकार के कानून राजस्थान की जनता को किसी प्रकार से राहत नहीं पहुँचा सकते। इसलिए आवश्यक था कि कोई भी कानून बने वह बिल्कुल स्पष्ट बने जिससे कि काश्तकारों को फायदा मिल सके। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई चीज का समावेश नहीं है, रियासतों के कानूनों का समावेश नहीं हुआ है। इससे उलझनें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके अलावा कई कानून रह गये हैं जिनका समावेश आवश्यक था वह नहीं किया गया है।

इसके अलावा सबसे मोटी बात जो आखीर में मुझे निवेदन करना है वह यह है कि यह बिल अंग्रेजी में पास नहीं करके हिन्दी भाषा में होना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने

[ श्री भैंरोंसिंह ]

कहा कि हम अपनी विचारधारा ऐसे कानून पर नहीं रख सकते हैं जिसको कि हम ठीक ढंग से नहीं समझ सकें हैं, और उनको इस बात का गौरव है कि वे अंग्रेजी ठीक ढंग से नहीं समझ सके और अपने क्षेत्र की विचारधारा को इस सदन में प्रस्तुत करने से वे महरूम रहे हैं। आज उनके क्षेत्र की जनता उनके द्वारा क्या क्या विचार रखना चाहती थी, उस विचारधारा का प्रनिकिधित्व नहीं किया जा सका है। वह उसको नहीं समझ सके हैं, और इस कानून के बारे में अपनी राय देने से महरूम रहे हैं। ऐसी कई दिक्कतों के होने पर ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून को पास नहीं किया जाय, बल्कि दुबारा विचारार्थ लिया जाय, और इस प्रकार की जो खामियां रह गई हैं, उन खामियों को दूर करके इसको पास किया जाय।

**श्री नाथूराम मिर्धा**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हम राजस्थान टिनेन्सी बिल पर तीसरी रीडिंग के सिलसिले में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, और उन चर्चाओं के दौरान में मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता जो दांता रामगढ़ से आये हैं, उनके भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना और उसके पहले भी उन माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना, जिन्होंने इस बिल के सिलसिले में यह कहा है कि यह बिल राजस्थान का एक बहुत ही प्रगतिशील कानून है। उसके साथ साथ मैंने उन विचारधाराओं को बड़े गौर से सुना, जिन्होंने इस बिल का में विरोध किया, और यह बताने की कोशिश की कि इस बिल को हमारे सदन के माननीय सदस्य हिन्दी में नहीं होने की वजह से बिल्कुल ही नहीं समझ पाये हैं, और अपने इलाकों की जो दिक्कतें थीं, और जो उनके इलाकों की आवाज़ थी उसको ठीक तौर से सदन में नहीं रख सके हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके सामने यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की दलीलों से इस कानून के महत्व को हम कभी कम नहीं कर सकते। जो राजस्थान में आज हम काश्तकार विधेयक पास करने जा रहे हैं, वह वास्तव में हिन्दुस्तान भर के अलग अलग इलाकों में जो काश्तकार विधेयक लागू हैं और जिनकी जितनी जानकारी मुझे भिन्न भिन्न रूप में है, उसके आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कानून उनसे कहीं प्रगतिशील है और बहुत ज्यादा आगे है। इसमें जो कमियें जिन माननीय सदस्यों ने अपने अपने भाषणों में बताने की कोशिश की हैं उन्होंने उनके बारे में नाम मात्र की कमियों की तरफ इशारा करके, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं रखी गई है और यह कहना कि यह कानून इतना सीधा नहीं है, यह भारतीय परम्परा के खिलाफ है, इससे वकीलों और उसी लोगों का घर भरेगा जो शोषण करते हैं, इससे किसानों और जागीरदारों का संघर्ष बना ही रहेगा, आदि आदि इस तरह की बातों से इस कानून के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें केवल दो-तीन बातें बताई गई हैं।

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

दरख्तों के सिलसिले में जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में कहा गया है कि किसानों को सिवाय थोड़े इलाके को छोड़ कर वृक्ष काटने का और उनका उपयोग करने का अधिकार था। जो विधेयक रियासतों में पहले से या ज्यादा अर्से से था और उन रियासतों में जो कानून चलते थे उनमें जो अधिकार इस दिशा में दिये गये थे, उनसे ज्यादा साफ अधिकार हमने दिये हैं। जितने साफ अधिकार हमने दिये हैं उतने साफ अधिकार बहुत से कानूनों में नहीं थे, इस वजह से किसानों को दरख्तों के मामले में बड़ी असुविधा थी।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें यह रेस्ट्रिक्शन है कि किसान अपनी जमीन पर से दरख्त नहीं काट सकते। लेकिन वह रेस्ट्रिक्शन इस सूरत में नहीं है; किसानों के लिये जब कि वे हरे वृक्ष काट कर खेती के काम में लाते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खेती के काम में आने वाला हरा वृक्ष ही होगा। इस एक्सेप्शन को छोड़ कर बाकी काम के लिये किसान हरा वृक्ष काटना चाहता है तो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी।

**श्री भैरूंसिंह**—ऐसा नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा**—क्लॉज़ ५१ में जो प्रोविजन है उसमें आप साफ तौर से देख लीजिये। उसमें साफ लिखा है कि किसान को हरा दरख्त खेती के काम के लिये काटने में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी और किसी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। खेती के अलावा हरा दरख्त काटना चाहता है तो इजाजत की जरूरत रहेगी।

**श्री वेदपाल त्यागी**—हरा दरख्त काटने का कोई प्रोविजन नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा**—इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है।

**श्री वेदपाल त्यागी**—आप पहले पढ़ लीजिये।

**श्री अध्यक्ष**—Reference is sufficient

**श्री नाथूराम मिर्धा**—मैं आपको बाद में बता दूंगा।

इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष, जो दिक्कत उन्होंने किसानों से लगान वसूल करने के सिलसिले में बताई, उसमें यह कहा कि एक तो लगान मुकर्रर करने का तरीका और दुबारा लगान वसूल करने का तरीका, ये दोनों तरीके इस कानून में बहुत कॉम्प्लीकेटेड बना दिये गये हैं। उन्होंने इस सिलसिले में क्लॉज़ १०८ की तरफ इशारा किया, उन्होंने बताया कि एक किसान जिसके लटाई या

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

कूंत का सिस्टम है उसमें जो तरीका है, तहसीलदार के सामने अर्जी दे रखी है, उसके बाद किसान आकर कहता है कि मेरा लाटा या कूंत इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि मैं दूसरे तरीके से लगान देता हूं, तो पहले के कानून के अनुसार तहसीलदार किसान का कोई उजर नहीं सुनता और एरियर ऑफ रेन्ट की डिक्री पास कर देता, क्योंकि पहले के बहुत से कानूनों में यह बात थी। जैसा कि हम महसूस करते हैं कि सेटलमेंट हमारे यहां बहुत तेजी से चल रहा है, फिर भी उसमें कुछ समय लग सकता है। हमने एक और जागीर रिजम्प्शन कानून पास किया है। उसके पूरे तौर से अमल में आने में कुछ समय लग सकता है। इसलिये वह दर्मियानी समय जब कि हम जागीर रिज्यूम करें और पूरा सेटलमेंट हो जाय उस समय के लिये इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है। जहां सेटलमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन इलाकों के लिये जो क्लॉज़ १०८ है वह बिल्कुल नई क्लॉज़ है, वह विशेष तरह का क्लॉज़ है। उसमें जो विशेषता है उसे यदि किसानों के दृष्टिकोण से देखते तो कुछ समझ में आता लेकिन आपने उसे किसानों के दृष्टिकोण से नहीं देखा बल्कि एक लैण्ड होल्डर की हैसियत से देखा। उनके लिये जो सहूलियतें और धांधली-बाजी करने की गुंजायश पहले थी वह खत्म हो गई। किसान पहले चाहे केश रेन्ट ही देते हों लेकिन यदि लैंड लोर्ड तहसीलदार के पास दरख्वास्त कर देता कि मैं इससे काइन्ड में वसूल करता हूँ तो जबरदस्ती वहां जाकर कूंत करवा लेते और किसान यदि उसे मंजूर नहीं करते और कहते कि हम केश में फिक्स्ड रेन्ट देते हैं तो भी उनकी सुनवाई नहीं होती थी और किसानों को दूसरी अदालतों में जाकर अपनी बात करवानी पड़ती थी; पहले इस तरह का बर्ताव किसानों के साथ होता था। जो मुश्किलें कई इलाकों में आईं उनको हल करने के लिये इस धारा में नया रूप दिया गया और यह कहा गया कि यदि किसान यह बात मंजूर करता है कि उसके लाटे कूंते होते हैं तो उसके लिये एरियर ऑफ रेन्ट की डिक्री दे सकते हैं और यदि किसान कहता है कि ऐसा नहीं हुआ करता है और लगान वसूल करने का तरीका दूसरा है तो उसको नोट कर लिया जायगा और अमाउन्ट नोट करने के बाद प्रोड्यूस फाइनल मानी जायगी। लैंड लोर्ड को यदि इसके खिलाफ उज्र है तो उसको दूसरी अदालत में जाना पड़ेगा। जिस चीज़ की कमी आपने बताई है उसको हमने भी देखा और आपके जरिये यहां बतलाया गया कि एक एक दरख्वास्त के जरिये दस-दस गांवों के किसानों से लाखों रुपये नाजायज़ तौर से वसूल कर लिये गये थे। इस बीमारी को हमने अच्छी तरह से महसूस किया और उनको ठीक करने के लिये यह जरूरी क्लॉज़ रखा गया है, जिसका क्रिटिसिज्म सदन के सामने आया है।

जो क्रिटिसिज्म माननीय सदस्य ने इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में दिया है और यह कहा कि वह खेत जिसमें एक लैंड होल्डर इम्प्रूवमेंट करने के बदले में लगान वसूल करता है, वह लैंड होल्डर यदि कूए का इम्प्रूवमेंट करता है और जागीरदार के हाथ से कूए में नुकसान हो जाता है तो भी किसान से उसका हर्जाना और एवजाना वसूल कर लेता है।

बल्कि एक किसान द्वारा उस इम्प्रूवमेंट को ठीक कराते समय नुकसान हो जाय तो जो कोरेस्पोन्डिंग फायदा किसान जागीरदार से उठा सकता है वही जागीरदार किसान से नहीं उठा सकता।

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

इस क्लॉज़ को माननीय सदस्य ने ठीक तरह से नहीं समझा। इसमें इम्प्रूवमेन्ट कराने का अधिकार दोनों को है। जागीरदार के पास जमीन है। जहां किसान खातेदार नहीं है, वहां वह इम्प्रूवमेंट करा सकता हैं, जहां दूसरी तरह के किसान नहीं हैं वहां जागीरदार को एब्सोल्यूट अधिकार इम्प्रूवमेंट कराने के हैं। परंजहां खातेदार टिनेन्ट है वहां जागीरदार के इम्प्रूवमेन्ट कराने से कूआ ढह जाता है तो वहां किसान से लेने का सवाल है। खातेदार टिनेन्ट की जमीन में जागीरदार कूआ बनाने की कोशिश करे, किसान के अधिकार छुड़ा कर वापिस उसमें वह चला जाय और किसान के काम में थोड़ा बहुत वह कुआ आता था, उसमें जागीरदार द्वारा इम्प्रूवमेंट कराने से उतना भी काम में न आ सके, ढह जाय तो उस खातेदार किसान को हक है कि जो खेती का काम वह किसान उस कुए से निकाल रहा था उसको भी इम्प्रूवमेंट के नाम पर जागीरदार ने बन्द कर दिया हो तो वह खातेदार किसान उस जागीरदार से जो इम्प्रूवमेंट के नाम पर खराबी कर जाय, उससे एवजाना ले सकता है। यह एक वाजिब बात है। खातेदार किसान को अधिकार है कि बीच में आकर, लैंड होल्डर ठीक कराने के नाम पर, दस्तन्दाजी करे और जो थोडा बहुत काम वह निकाल रहा था उसको भी बन्द कर दे तो उस हालत में वह खातेदार मुआवजे के पाने का हकदार है।

माननीय अध्यक्ष इसकी कॉरेस्पोन्डिंग क्लॉज़ माननीय सदस्य किस तरह की चाहते हैं, इसको मैं ठीक तरह से नहीं समझ पाया हूँ।

और भी छोटी मोटी दिक्कतें उन्होंने बताई हैं, वे उन्होंके सिर्फ एक तरफ के दृष्टिकोण को रखते हुए ही रखी हैं। आज जो लैंड होल्डर्स हैं वे थोड़े दिनों बाद खातेदार टिनेन्ट बनने जा रहे हैं और यह जो क्लॉज़ का अन्तर रखा है वह थोड़े ही दिनों का है।

इसके बाद उन्होंने कहा कि एक किसान के पास ३० एकड इर्रीगेटेड या ६० एकड अनइरीगेटेड जमीन हो तो वह इससे ज्यादा एक्वायर नहीं कर सके, ऐसा इसमें रखा है और जो १२०० रु० की आमदनी का सवाल है वह गलत हो जाता है। इस सम्बन्ध में क्लॉज़ ३१ और १३१ देखने से यह खुलासा हो जाता है।

दरअसल इस कानून को बनाने में हमारी जो मंशा रही है, वह यह रही है जैसे कि हमारे सारे हिन्दुस्तान का ट्रेन्ड चल रहा है, वह यह कि जमीन का ठीक तरह से बंटवारा हो। बंटवारा इस रूप में नहीं हो कि कोई जमीन पर काबिज़ रह कर दूसरे धंधों को करने वाला हो और वह दूसरा धंधा करने से जो गलत तरीके से एक्युमिलेशन जमीन का हो रहा है वह नहीं हो। यह मंशा हमारे हिन्दुस्तान की चल रही है, वही मंशा हमारी इस बिल को बनाने में रही है।

इसके बारे में यह कहा गया है कि जमीन के बारे में ही इस दलील को क्यों लागू किया जाय ? जमीन का ठीक तरह से बंटवारा हो, प्रोपोर्शनेट आमदनी लोगों को हो, यही बात उन दूसरे

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

लोगों पर क्यों नहीं लागू होती, जो दूसरे और तरह के धंधे करके पूंजीपति बनना चाहते हैं ? यह दलील एक तरह से देखा जाय तो मायने रखती है । पर ८० फी सदी हमारे लोग, बल्कि ८० फी सदी से भी ज्यादा नम्बर हमारे यहां उन लोगों का है जो कि जमीन पर रह कर गुजर बसर करते हैं । सवाल हमारे सामने यह है कि आज तक गलत तरीके से एक्युमुलेशन हुआ उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं और इसलिये रेस्ट्रिक्शन्स, सेल और गिफ्ट के बारे में लगाये गये हैं । अगर किसी के पास ३० एकड़ इरीगेटेड या ६० एकड़ अन इरीगेटेड लैंड है और इससे ज्यादा और लोगों से खरीदना चाहे तो खास तौर से सरकार से इजाजत लेकर ही खरीद सकता है ।

हमारे हिन्दुस्तान में औसत आदमी की आमदनी क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ही हमने वह फीगर रखा है कि राउन्ड अबाउट दिस फीगर एक आदमी की औसत आमदनी साल में करीब ४ या ५ हजार रुपया हो सकती है और इस फीगर को ...

श्री भैरोंसिंह ( दांता रामगढ़ )—बीकानेर में भी ऐसी आमदनी हो सकती है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) इस फीगर को रख देने से एक तरह से सीलिंग कमेटी को इशारा मिलता है कि नियर अबाउट दिस फीगर होना चाहिये । उनके दिमाग में शक था, इसलिए खड़े होकर बीकानेर की तरफ इशारा किया । माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो सीलिंग कमेटी अलग अलग इलाकों में, जिलों में, तहसीलों में, जाकर जमीन की पैदावार के हिसाब से किसान की औसत आमदनी क्या है, साल भर का औसत खर्चा क्या है इन सब बातों के लिए मौकों पर जाती है, दौरे करती है और फेक्ट्स और फीगर्स इकट्ठे करती है और माननीय अध्यक्ष, मैं यह बताना चाहूँगा कि सीलिंग कमेटी एक इलाके में इसी फीगर से बाउन्ड हो, गाइड हो ऐसी मेरी मान्यता नहीं है । सीलिंग कमेटी के लिए यह फीगर सब इलाकों के लिए गाइडेंस बने ।

डर तो किसी दूसरी चीज का और इशारा दूसरी तरफ और फिर खामी बतायें इस प्रकार की, तो यह ठीक नहीं जंचता ।

उन्होंने फिर दो तीन मोटे मोटे पोंइन्ट्स की तरफ इशारा किया । किसानों के पोइन्ट से मैं यह मानता हूँ कि कोई घाटे की, नुकसान की बात इस बिल के जरिये नहीं होगी ।

इसके बाद जमीन के इक्वल डिस्ट्रिब्युशन की बात कही गई । जमीन का इक्वल डिस्ट्रिब्युशन तभी हो सकता है जब कि ज्यादा जमीन आगे एक्वायर करने की टेन्डेन्सी पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाये

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

जांय । इसके लिए यह कहा गया है कि एक तरह से शहर के लोगों के कहने से गांवों के लोगों को जमीन अपने हाथों में लेने के लिये ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स लगाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह ( दांता रामगढ़ )—जमीन को लेने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) इस रेस्ट्रिक्शन से किसानों को आर्थिक स्थिति खराब होने वाली नहीं है । जो एक औसतन किसान की हालत है वही इसमें फीगर दिया गया है । इससे ज्यादा जमीन काश्त करने में वह अपने आपको बहुत मजबूत पाता है । ऐसी स्थिति में यह शंका जाहिर करना कि शहरों के लोग उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो यह निर्मूल शंका है । इन गये चार पांच वर्षों में शहरों वाले समझ चुके हैं कि जो उन्होंने फर्म बनाये हैं और दूर बैठे रह कर टेलीफोन के जरिये काम कराने से कितना नफा नुकसान हो सकता है । वे लोग समझ चुके हैं कि दूर बैठे रह कर मजदूरों के जरिये काम कराने से क्या नफा-नुकसान हो सकता है । समय नजदीक आने वाला है कि उस जमीन पर इस तरह से दूर बैठकर काम नहीं चलाया जा सकता । अध्यक्ष महोदय, जो शंकायें माननीय सदस्यों ने की और जो शंकाएं व दलीलें मैंने सुनीं, उनकी दलीलें कम समझ में आती हैं । फिर इसी के आधार पर यह कहें कि यह कानून प्रगतिशील नहीं है तो यह ठीक नहीं । अब मैं उन क्लॉजेज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा जो कि इस बिल की नई तरीके की क्लॉजेज़ है और विशेष तौर से जो क्लॉजेज़ १६, १६ ए., १६ एए. १६बी. १६ सी., १६ डी. और १६ ई. हैं, यह जो धाराएं रखी हैं, उनमें इस प्रकार की विशेषता है और इनमें हमारे राजस्थान के सारे इलाकों की हालत को दृष्टिकोण में रखते हुए सब टीनेन्ट, टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और उन खातेदारों को जिनको हम जमीन हमेशा के लिए लेकर देने जा रहे हैं, उनमें हमने विधान का ध्यान रखते हुए और दूसरी भी कई बातों का ध्यान रखते हुए, इन धाराओं में रखा है । ये धाराएं देखने और पढ़ने में खास तौर से कुछ कोम्पलीकेटेड सी नजर आती हैं, मगर अध्यक्ष महोदय, अगर हम उसकी स्प्रिट और दूसरा सारी बातों को देखें तो मालूम होगा कि वे धाराएं थोड़ी लंबी अवश्य बन गई हैं लेकिन बिल्कुल साफ हैं और हर तरह से इन्साफ की तरफ इशारा कर रही हैं । इसमें जो नहरी इलाके हैं उनको हमने अलग रखा है और वे एलाके जो बेरानी हैं और जिसमें टिनेन्ट और सब टीनेन्ट को खुदकाश्त के हकूक दिलाने हैं वे अलग रखी हैं । वे इलाके जहां कुओं से सिंचाई होती है उनको हमने एक तरफ रखा है । इसके बाद माननीय अध्यक्ष, हमने उन जमीनों को जहां नालबंद की प्रथा है उसको हमने एक तरफ रखा है, और इन सब का अलग अलग क्लेरिफिकेशन किया है । हमने यह अख्तियारात जिलाधीश को दिए हैं कि वे इन जमीनों को तीन तरह से बारें एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज और इसके लिए पिछले २० वर्ष में जो आमदनी हुई हो उसकी औसतन कीमत निकाल कर उसका १/६ हिस्सा लगान का कायम किया जावे । कुओं और नहरों का लगान किस तरह मुकर्रर हो उसका भी पूरा विवरण हमने रखा है और हाइरेक्शन

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

दे रखे हैं। पुराने आर. पी. टी. ओ. की वजह से जो टिनेन्ट और सब टिनेन्ट पिछले ७ या ८ सालों से काश्त करते रहे हैं और वे जो सब टीनेन्ट की हैसियत से ७ या ८ वर्ष से ज्यादा समय से काश्त करते आ रहे हैं और ज्यादा लगान जिनको देना पड़ रहा है उसके लिए भी हमने रेस्ट्रक्शन डाल दिये हैं। ये सब होते हुए भी वह किसान इस बात को जान जावेगा कि वह जमीन हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। १२००) रुपये की आमदनी तक का तो हमने ध्यान रखा है कि उसको तो टिनेन्सी राइट्स मिलने ही चाहिये। इसके अलावा इजेक्टमेंट में हमने इन सारी बातों को ध्यान में रखा है कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

इसके अलावा क्लॉज़ १७ में किसानों को रहने के लिए सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है। यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ है और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर अपने विचार प्रकट किये थे। यह सुविधा अलग अलग इलाकों में नहीं थी। इसके द्वारा किसानों को पक्के मकान या झोपड़े बनाने की दिक्कत थी उसको दूर किया गया है और यह सहूलियत किसानों को मिलेगी कि वे अपने मकान या झोंपड़े बना सकते हैं। इसके अलावा किसानों को हमने मेन हक़ूक जो उनके होते हैं वे दिये हैं और इसके बारे में काफी प्रकाश डाला गया है। किसानों को हमने फिक्सेशन ऑफ टेन्योर दी है। यह बिल जब लागू होगा, उस दिन जिस जमीन पर लागू होगा, खुदकाश्त के सब टिनेन्ट की हैसियत से नहीं, इस कानून के अमल में आते ही जो पुराने कानून के जरिये खातेदार नहीं बने है खातेदार बनेंगे। जो पहले से ही खातेदार एडमिट हो चुके हैं वे इस कानून के नाते खातेदार रहेंगे। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है और इसमें वे बचे हुए किसान जो दूसरे टिनेन्सी एक्ट पास होने और जो समय गुजारा है और जो शिकमी काश्तकार की हैसियतसे नहीं, खुदकाश्त की हैसियत से नहीं, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे किसानों को फिक्सेशन ऑफ टेन्योर मिल जावेगा। धारा १५ में जो एक्सेप्शन्स दिये गये हैं उनको छोड़कर सारे किसानों का फिक्सेशन ऑफ टेन्योर पूरा हो जाता है और पिछले ऑर्डर के मुताबिक जिनको ५—७ साल के बाद बेदखल होने का डर है वह दूर हो जावेगा और वे इस बात को जान सकेंगे कि हर एक किसान किस हालत में खड़ा है और उनको आगे हक़ूक किस तरह से मिल सकेंगे ? आगे उनको अगर कोई दर्द हो तो उसका इलाज किस धारा के नीचे ढूंढना है। माननीय अध्यक्ष, ट्रान्सफर के बारे में जो रेस्ट्रक्शन्स रखे गये हैं वे उचित हैं और होने ही चाहिये।

किसानों को मवेशी चराने के लिए पाश्चर लैंड की डेफिनिशन रखी है और यह भी उनके लिए एक सुविधा है। इसके अलवा दूसरी कई फेसिलिटीज होनी चाहिये उसकी भी गुंजायश कानून में रखी गई है। किसानों को बाड़ा बनाने की गुंजायश मिलती है। इसके अलावा अपने खेतों से वे बेदखल कर दिये जाते थे और आर्बीट्रेटर के जरिये वे आसानी से खेतों से बेदखल कर दिये जाते थे। अगर वे लगान नहीं देते थे तो बेदखल कर दिये जाते थे। मगर इस कानून द्वारा अगर कोई किसान लगान अदा नहीं कर सकता है तो ऐसी सूरत में भी उसको बेदखल

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

करने से पहले मौका मिलेगा कि वह कहीं न कहीं से रुपये लाकर लगान अदा करे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित का प्रबन्ध किया गया है। किसानों को जो आम दिक्कत आती थी, खेती के सिलसिले में आती थी और मेरा खयाल यह है कि किसानों को जिस चीज की जरूरत थी और जिनको मैं आज तक समझ पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि वे सारी जरूरतें पूरी कर दी गई हैं, ऐसी मेरी मान्यता है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, सक्सेशन के चेप्टर में पर्सनल लॉ को लागू करने से थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसा पहले भी मैंने कहा था और यह सक्सेशन का कानून होलली हिन्दू लॉ पर चला जावेगा। परन्तु, माननीय अध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह उदारता भी खास तौर से हमारे उन जागीरदार भाइयों के, जो आने वाले जमाने में काश्तकार होंगे, के लिए रखी गई है और इसीलिए इनको एकोमोडेट करने के लिये इसको परसनल लॉ के रूप में रख कर कम्पलीकेटेड बनाया गया है। बाकी किसानों को कोई नुकसान नहीं है।

इन सब बातों के देखते हुए मैं यही कहूंगा कि राजस्थान का एक बहुत अच्छा कानून है जो हम पास करने जा रहे हैं। जिस दिन यह गजट में छाया होगा उस दिन राजस्थान का हर किसान इसके बारे में खुशियें मनाएगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** ( राजस्व मन्त्री )—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और मुझे इस पर ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि इस बिल के बारे में चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, सबों ने हां अच्छी रुख अपनाया और रोड़े अटकाने की बात की कल्पना मेरे दिमाग पर कतई नहीं है। १६ वें क्लॉज़ जैसे क्लॉज़ पर भी वादविवाद काफी हुआ, लेकिन कोई ऐसी रुकावट आई हो जिसके कारण से हम यह कहें कि किसी पक्ष ने रोड़े अटकाने का रुख लिया तो मैं कहूंगा कि ऐसा रुख नहीं लिया।

( विपक्ष की ओर से हियर, हियर )

वैसे यह बिल खुद में ही ऐसा है कि जिसमें दो रायें कई प्रश्नों पर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी काफी अकोमोडेशन रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई डिवीजन भी शायद ही हुआ हो सारी बहस के दौरान में। कुछ क्लॉज़ेज़ पर हमने एडजस्ट किया है तो कुछ क्लॉज़ेज़ पर दूसरों ने भी एडजस्ट किया है। प्रोसिजर से भी इधर-उधर हुए हैं। तो यह बिल जिसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जा सकें, ऐसा बन गया है।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

कोटे से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि पहले जो किसानों को अधिकार मिले हुए थे उनको भी कम कर दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने यह दलील दी कि पहले ट्रान्सफर की स्टेजेज़ के राइट्स ज्यादा थे और रेस्ट्रिक्शन्स बहुत सारे इम्पोज़ कर दिये गये मोर्टगेज और ट्रान्सफर पर। यह सही है। इसको मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन क्या किया गया है इसको स्पष्ट तौर पर समझना है। आपने यह दलील दी कि सीलिंग पहले निर्धारित नहीं किया और ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अन इरिगेटेड की लिमिट निश्चित करदी गई और वह उचित नहीं किया।

मैं समझता हूं कि जब हम एक बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे इस राज्य के अन्दर हम बड़ी होल्डिंग्स को तरजीह नहीं देना चाहते और ऐसे होल्डिंग्स आगे कायम करना चाहते हैं कि जो फेयर हो और जिन्हे सिलिंग के नाम से पुकार सकें; तो बीच के पीरियड में भी और लैन्ड एक्युमुलेट होकर बड़ी बड़ी हो जायं और फिर सीलिंग कर दिया जाय तो उचित नहीं होगा। ट्रान्सफर के मौके पर और मोर्टगेज के मौके पर यदि हम इस पोजीशन को ले लेते हैं तो उसका एक परिणाम हो सकता है। अतः जो मूल नीति है उसके लिए हमारे सामने एक रास्ता रहता है और उस आधार पर ही यह तय किया गया है।

एक यह बात कही गई है कि पहले सबलेटिंग के दूसरे बहुत से प्रोप्राइटरी राइट्स थे। यह सही है कि पहले जमीन को इस प्रकार का समझा जाता था। जैसे एक कारखाने के बारे में उदाहरण दिया गया, मकान के बारे में उदाहरण दिया गया कि मकान मालिक एक से ज्यादा मकान रख सकता है; तो फिर जमीन पर इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं कि भूमि सुधार के बारे में जो नीति लेकर हम चलना चाहते हैं और जिसको समय २ पर मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, उसमें यह देखना चाहिए कि दर असल जो जमीन जोतता है उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, जमीन पर अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी आजिविका उपार्जत करें, यह नीति रखनी चाहिए। हम इन दो मूलभूत बातों को लक्ष्य करके चलना चाहते हैं। एक बात और है राइट्स को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया? सब टिनेन्सी पर बन्दिशें क्यों हों? मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हम इस बात को मान कर चलते हैं कि जमीन से आजीविका उपार्जन करने वाला और जमीन को जोतने वाला उसका मालिक है तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन्स उस पर आवेंगे। दूसरा हम यह कहते हैं कि अधिक से अधिक आजीविका उपार्जन करने के लिए जमीन होनी चाहिए; तो उस हालत में होल्डिंग्स पर कन्ट्रोल करना पड़ेगा। तो जहां तक इसका सवाल है भविष्य में होल्डिंग्स बड़ी न हों, इस पर रोक लगाई है। जो होल्डिंग्स हैं और स्वयं काश्त करता है तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आर. पी. टी. ओ तो एक टेम्परेरी फेज़ है और १६ वीं धारा के अनुसार सब टिनेन्ट स को अधिकार दे दिये गये हैं जो उचित नहीं है। मैं निवेदन करूं कि क्लॉज़ १३१ डी. के अन्दर यह स्पष्ट है कि कोई किसान जब आर. पी. टी. ओ. सन् १९४९ में

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

लागू हुआ है, पांच साल तक काश्त करता रहे, और काश्त करने के लिए यदि किसी दूसरे को जमीन दे दी है और आर. पी. टी. ओ की वजह से वापिस न ले पाये तो उसको इसके जरिये से अधिकार होगा कि उसको उसकी जमीन वापिस मिल जाय क्योंकि वह स्वयं काश्तकार हो जायगा। पहले काश्त न करता हो तो उसके लिए नहीं है। अगर किसी ने बीच में ही दे दी है तो वह उस कल्पना में नहीं आता है।

एक महानुभाव ने कहा कि 'खातेदार' और 'टिनेन्ट' शब्द जो रखे गये हैं, उससे एक प्रकार से दर्जा नीचा हो गया है। रेन्ट ही रेन्ट देने वाले रह गये, यह किसानों के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उनके नाम चाहे खातेदार रख दीजिये, चाहे खड़मदार रख दीजिये, किन्तु ये सारी चीजें राइट्स को क्लीयर करती हैं। सारी चीजों को देखने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि जो राइट्स दिये गये हैं वे किसानों को दिये गये हैं। आज यह चीज है कि अगर कोई चाहे तो पांच सौ एकड़ जमीन किसी को ट्रान्सफर करना चाहे तो कर सकता है लेकिन यह चीज हमने इसमें जरूर रखी है कि जिस व्यक्ति के पास ३० एकड़ इर्रीगेटेड और ६० एकड़ अन इर्रीगेटेड लैन्ड से कम है उसमें वह बांट सकता है, यदि उसके पास उतनी है तो नहीं बांट सकता। उस जमीन को वह दस टुकड़ों में बांट सकता है; दस को दे सकता है, किन्तु एक को नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से कहना कि राइट्स करटेल हो गये हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह जो पोलिसी हम लेकर चलना चाहते हैं वह उससे मेल खाती हुई चीज है।

बहुत सी चीजें आपके सामने आयी। उन पर पूरी तौर पर देखें तो आपको मालूम होगा कि इस बिल के अन्दर बहुत से मूलभूत आधार हैं, जिनकी चर्चाएं हम लोग पहले करते रहे और जिन्हें एक दिशा मान कर हम चलना चाहते हैं उसका समावेश इसमें किया गया है।

इस बिल में बहुतसी बातें हो सकती हैं जो कुछ तो असेम्बली सेक्रेटेरियेट के लेवल पर उनमें करेक्शन होगा और बहुतों ने कहा कि अमेंडमेंट्स भी आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह अन्तिम ही है और इसमें अमेंडमेंटस नहीं आवेंगे। आ सकते हैं। किन्तु इतना तो निश्चित कह सकता हूं, जिन सिद्धांतों को हमने इसमें मूलभूत आधार पर प्रतिपादित किया हैं उनको लेकर चलें तो वैसी बात नहीं होगी, और उन बेसिक चीजों मे परिवर्तन का सवाल नहीं आयगा।

मैं समझता हूं कि जो बातें मुख्य हैं वे ही कहनी चाहिए, क्योंकि समय भी होने वाला है और करीब ८ बजने वाले हैं। आपने बातें कहीं कि इस बिल को आज ही पास कर दें। माननीय अध्यक्ष की भी यही इच्छा प्रतीत होती है।

**श्री अध्यक्ष**—मेरी इच्छा?

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इसलिए मैं इतना ही कह कर अपनी बातें समाप्त करता हूं और मैं आप सब माननीय सदस्यों के प्रति, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि इतने कोम्प्लीकेटेड और महत्वपूर्ण बिल पर सब ने सहयोग दिया उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यन्त आभारी हूं। आप इस बिल को पारित करें।

( करतल-ध्वनि )

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी बिल, **१९५३** को पारित करने के लिए रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

( करतल-ध्वनि )

अब हम कल ८॥ बजे सुबह तक के लिए स्थगित होते हैं।

( तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही रात्रि के ८ बजे दिनांक ४–११–५४ को प्रात: ८॥ बजे तक के लिए स्थगित हुई। )

**विधान सभा भवन,**
जयपुर,
दिनांक ३, नवम्बर, १९५४

**मनसाराम पुरोहित**
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

## परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २१०२ का उत्तर देखिये)

(१) नई बस्तियों के निवासी जो कि अपना वाणिज्य अथवा उद्योग उपरोक्त बस्ती में स्थापित करने के इच्छुक हैं।

(२) कला शिक्षा प्राप्त किए हुए पुरूषार्थी (Techmical Trainees)

(३) ऐसे पुरूषार्थी जिनका प्रवेश राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं में नियम विरुद्ध था और जिन्हें उन संस्थाओं से निकाल दिया गया।

(४) ऐसे पुरूषार्थियों को जिनका ऋण पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, किन्तु उसका भुगतान आंशिक हुआ है।

चालू वर्ष में केंद्रीय सरकार के अन्तिम आदेशानुसार निम्न श्रेणी के पुरूषार्थियों को लोन दिया जावेगा :

(१) अधिकारी (Claimants).

(२) पुरूषार्थी जिन्होंने अथवा जिनके लडकों ने औद्योगिक व कला शिक्षा (Vcational & technical training)प्राप्त की है और वे अपने छोटे पैमाने पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

(३) औद्योगिक अधिकार वाले पुरूषार्थी जिन्होंने स्वयं अपना उद्योग स्थापित कर लिया है तथा अपने उद्योगों के विकास के लिए विशेष आर्थिक सहायता चाहते हैं।

(४) अधिकारी (Clai ments) जो कि अपने उद्योग-धंधे स्थापित करना चाहते हैं और धन इस ही कार्य के लिए लेना चाहते हैं।

(५) तपेदिक के बीमार, विधवायें, अनाथ, अल्पायु वाले, तथा कर्जदार पुरुषार्थी।

(६) अनाधिकारी : (Non olaimants) जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर्जे के रूप में नहीं दी गई। जो पहिले से ही व्यापार कर रहे हैं और उस व्यवसाय का जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है अनुभव है और जो उचित जमानत देने का प्रबन्ध कर सकेंगे।

देहाती कर्जा निम्नलिखित पुरूषार्थियों को दिया गया है और भविष्य में भी इस ही प्रकार दिया जावेगा :

(१) जो पुरूषार्थी भारत सरकार द्वारा प्रेषित किए गए थे।

(२) जिनको केम्पों से भूमि पर बसाने के लिए देहातों में भेजा जाता था।

(३) जिन्हें सरकार द्वारा जमीनें दे दी जाती थीं।

जहां तक निर्माण कार्य सम्बन्धी ऋणों का प्रश्न है उनका वितरण केवल सहकारी समितियों तक ही सीमित था। अकेले लोगों के लिए सरकार ने योजनानुसार मकान व दुकानें बनवा कर हायर पर्चेज़ सिस्टम व किराए पर दे दिए।

## परिशिष्ट २

(सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

### प्रश्न

१ (१५६। एम. एच. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ४६-क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) पिछले दो वर्षों में सवाई मानसिंह होस्पिटल में कितने एम. एल. एज़. और मंत्रियों के एक्सरे फोटोज़ लिए गए और कितनों का एक्सरे ट्रीटमेंट हुआ और उस पर सरकार का क्या खर्चा हुआ ?

(ख) उन केसेज़ में से कितनों से फीस वसूल की गई और किन किन से नहीं ?

(ग) जिनसे फीस वसूल नहीं की गई है, उसका क्या कारण है ? क्या सरकार बकाया फीस वसूल करने के लिए तैयार है। यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

### उत्तर

(क) चूंकि एक्सरे विभाग के रजिस्टर में रोगी के नाम के अतिरिक्त उसके पद इत्यादि का वर्णन नहीं होता, इसलिए यह संख्या नहीं बताई जा सकती।

(ख) उपरोक्त कारणवश यह संख्या भी नहीं बताई जा सकती।

(ग) केवल उन्हीं व्यक्तियों से वसूल नहीं की जाती जो अपने आपको निर्धन व फीस देने में अशक्त बतलाते हैं। यदि किसी का पता लग जाय कि वह एम. एल. ए. है तो उससे फीस चार्ज की जाती है। केवल एक एम. एल. ए. के नाम फीस बकाया है, जिसके लिए लिख दिया गया है।